



Annual Report

वाषिक रिपार 2013-14



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Ltd. (A Govt. of India Enterprise)

Vision

To emerge as sustainable cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.



Mission

To augment the wealth creation for the Company, inspiring employees in delivering an improved product and to aim for diversification in related fields.

50th

Annual Report 2013-14



Contents	ino.
Board of Directors	2
Chairman's Speech	8
Director's Report	10
Report on Corporate Governaance	18
Managemant Discussion & Analysis	24
Annual Accounts 2013-14	32
Cash Flow Statement	69
Auditor's Report and Management's Replies	71
C&AG's Comments	77
Our Employees — Our Greatest Assets	79
Salient Features of our Units	82

Cement Corporation of India Limited New Delhi



Audit Committee

Smt. Divjot Kohli (Chairperson) Shri S.K. Goyal (Govt. nominee) Shri Manoj Misra, Director (HR) (Member)

Remuneration Committee

Smt. Divjot Kohli (Chairperson) Shri S.K. Goyal (Member) S.S. Mehlawat (Member)

Statutory Auditors

M/s. SPG Associates Chartered Accountants 1/12, Shivaji Nagar Gurgaon (Haryana)

Registered Office

Bankers

Dena Bank

Central Bank of India

Cement Corporation of India Ltd. Core 5, Scope Complex 7, Lodhi Road New Delhi-110003 CIN No. U74899DL1965PLC004322

Branch Auditors

M/s MKA Associates Chartered Accountants, Adilabad-504001

M/s. A.K. Gutgutia & Co. Chartered Accountants, New Delhi-110049

M/s. S S R & Co. Chartered Accountants, Rohtak-124001 M/s. Luharuka & Associates Chartered Accountants, Secunderabad-500003

State Bank of India
State Bank of Hyderabad M/s. Taunk & Srikanth
Corporation Bank Chartered Accountants,
Raipur-492001
Punjab National Bank

M/s. NR & Associates Chartered Accountants, Guwahati-781001

M/s. Gopal & Rajan Chartered Accountants, Cuddapah-516361 M/s. R.K. Singhania & Associates Chartered Accountants, Raipur-492001

Cost Auditors

M/s. Jugal K. Puri and Associates Cost Accountants K-19 (G.F.), South Extension Part-II New Delhi-110049 M/s B.V.R & Associates Cost Accountants Flat No. 101, R.V. Naipunya H. No.6-3-628/3, Anand Nagar Khairatabad, Hyderabad-500004

M/s A.K. Bezboruah & Associate

Cost Accountants Flate No. 403, Kripa Apartment Samagam Path, Near Hathigaon Chariali, Guwahati-781038

BOARD OF DIRECTORS



Shri Manoj Misra Director-HR/CMD (Additional Charge) w.e.f. 1.10.2014



Shri R.P. Tak Chairman & Managing Director upto 30.9.2014



Shri Vishvajit Sahay Director (w.e.f. 28.04.2014)



Shri S.K. Goyal Director



Smt. Divjot Kohli Spl. Director



Shri S.C. Agrawal Director-Fin.



Shri SS Mehlawat Director (upto 31-03-2014)



Shri Ajay Kumar Sharma Dy. Company Secretary





HEADS OF DEPARTMENT (CORPORATE OFFICE)



Shri S.K. Singh-IRS Chief Vigilance Officer



Shri R.N. Sinha Executive Director (MKTG)



Shri Saju.S. Dominic GM (HR)



Shri A.K. Bhardwaj Addl.GM (Non Optg. Plants)



Ms. Saraswati Devi Addl. GM (Opns.)



Dr. Ashok Kothari Addl. GM(P)/TSO)



Shri A.B. Deyashi SM (Fin.)

GENERAL MANAGERS - OPERATING PLANTS



Shri A. K. Srivastava GM-Tandur



Shri V.K. Pandey GM-Rajban



Shri AK Sarkar GM-Bokajan

TURNOVER OF THE CORPORATION



NET PROFIT OF THE CORPORATION







CEMENT PRODUCTION



MANPOWER POSITION



AWARDS GALORE





- 1. First Prizes was won by Tandur Unit- "Publicity Propoganda and Inovation" organised by Mines Safety & Productivity Council 2013.
- 2. Mine Environment & Mineral Conservation Week 2013-14 2012-13 at Panchkula (Haryana)

	2013-14	2012-13
Award For Air & Water Pollution Control Measures	-	Second Prize
Award For Waste Dump Management & Reclamation	Second Prize	Second Prize
Award For Afforestation	Second Prize	-
Award For Mineral Conservation	Third Prize	-

3. 5th Mines Environment and Mineral Conservation Week: 2013-14 2012-13 was celebrated at Guwhati and Shillong:

"Waste Dump Management"	2 nd Prize	1 st Prize
"Reclamation and Rehabilitation"	2 nd Prize	1 st Prize
Publicity and Propaganda	2 nd Prize	-
"OVERALL"	-	2 nd Prize
General Health & Welfare	Third Prize	-
"Noise and Vibration Survey"	-	3 rd Prize
Paryabaran bhandhu Awards	-	Rs. 1100/-

2013-14

2012-13



Speech of the Chairman at the 50th Annual General Meeting

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and on my own behalf, It gives me immense pleasure and privilege for me to extend a warm welcome to all of you on this occasion of 50th Annual General Meeting of the Company. I consider it an honour to place before you the Audited Balance Sheet as on 31st March, 2014, Statement of Profit & Loss for the year ended on that date and the Report of Board of Directors and Auditors thereon, of your Company for your consideration and adoption. These documents are already with you and with your permission I take them as read.

Cement Industry

The Indian economy after growing at an average of around 8.5 percent for most of the last decade, slipped to below 5 percent in the last two years. The agriculture sector at 4.7 percent continued to be the main driver of economic growth, the manufacturing sector's performance remained subdued during the year on account of low investment sentiment and weak demand. High and persistent inflation remained a key macroeconomic challenge facing India throughout the financial year 13-14. The RBI had to keep the lending rates high to contain the inflation, this has had a major bearing on the prospects of the cement industry during FY 13-14.

Number of infrastructure projects got stalled and the people resorted to cutting down on their discretionary spending as is evident from the fact of drying up of new housing projects. This has led to slump in construction activities.

During the financial year recessionary conditions prevailed in the Global Economy also clearly had its impact on our domestic economy leading to fall in the value of the Rupee thereby impacting the petroleum prices among others.

Reduced momentum in the cement consumption resulted in widening of the cement demand and supply gap which in turn put downward pressure on the cement prices in most parts of the country. Additionally, the cement industry had to pear the burden of increased logistic loss due to rise in petroleum prices, resulting lower sales realization.

Company's Performance

Your Company has achieved turnover of Rs. 363.03 crore with net profit of Rs.16.20 crore during the financial year 2013-14. The turnover has been

increased by more than 14% as compared to previous year. However in view of negative networth of the Corporation, no dividend being declared for the financial year 2013-14 also, as per the provisions of Companies Act.

The year in retrospect

Despite slow down in the cement and economic growth, the overall performance of Cement Corporation of India registered a growth of 17.78% over the previous year and increase from 7.06 lakh MT in 2012-13 to 8.31 lakh MT in 2013-14. The major increase came from Tandur Unit which registered a growth of 41.76% in 2013-14 compared to same period 2012-13. Your company operates in North East, South and Northern region out of these three regions, Karnataka has been performing on steady pattern and we have been able to keep the pace by matching prices and pushing volumes in otherwise low demand in the market. This has been achieved as the marketing team was able to harness the rural market in the state. The reason for poor demand is due to ban on mining of sand which still continues.

In Andhra Pradesh some improvement was noticed in month of August to October, but thereafter due to heavy arrivals by almost 30- 35 brands the prices crashed. However to keep a pace with developments in the state, the recently developed loose cement market being explored.

Maharashtra region remains low with issues such as Local Body Tax and low demand in government and private sector. The glut in housing sector has resulted in poor flow of cash in the market. With the permission to allow mining in limited manner, the market has started to show some signs of recovery and the demand has started to emerge. However the pressure on the prices continue.

Whereas the performance in the north eastern region has affected due to poor demand, price cutting, frequent bandhs called by anti national forces in the area, Due to prevailing situation, the competitors who get huge subsidies are passing the same to dealers and leashed out a price war amongst them. However, the CCI team in the area is exploring the new avenues to increase our presence in the region.

The dispatches from Rajban during the period 2013-14 has decreased marginally but we could improve the realization in the area by Rs. 5.24 per bag as compared to pervious year.

Bokajan Expansion Project

As per Sanctioned Scheme, the installed capacity of Bokajan Unit is to be enhanced to 1200 tpd of

clinker, which inter alia envisages enhancement in the cement grinding capacity to 750 tpd at Bokajan and Setting up of Silchar Grinding Unit with 50 tph capacity.

The Work Order for capacity Expansion of Bokajan Cement Factory has been awarded on turnkey basis at a total cost of Rs.142.40 crore. The expansion work is in progress.

The Work Order for Setting up of Silchar Grinding Unit of 50 TPH also has been awarded on turnkey basis at a total cost of Rs.39.68 crore. However, no appreciable progress could be achieved so far. The main reason for delay has been the condition of site i.e. unevenness as expressed by the contractor. However, efforts are being made with available resources to complete the projects

Implementation of ERP

In today's fast paced technological environment, for faster decision making computerization of all functions of the organization has become imperative. Our company is also going ahead for adoption of technology to help management to take faster and informed decision in transparent environment by computerization of all the activities of the Corporation. Your company has taken up ERP project, which once implemented shall completely transform the working environment of the organization, augment the efficiency and bring about transparency. The process of implementation of ERP across all units, Marketing Offices and Corporate office has started and going ahead with full pace.

Corporate Governance

The Company's philosophy on Corporate Governance is to conduct its business in a manner, which is ethical and transparent with all stakeholders in the Company, including shareholders, lenders, creditors and employees. The Company firmly believe that strong governance, by maintaining a simple and transparent corporate structure, is integral to creating value on a sustainable basis. Good governance is a continuing exercise and the Company reiterates its commitment to pursue the same in all aspects of its operations in the overall interest of all its stakeholders. A separate section under the heading Corporate Governance has also been annexed with the Directors' Report. Your company has implemented the Whistle Blower Policy as per the Government guidelines.

Place: New Delhi

Dated: 16th September 2014

Looking Ahead

Your company is looking forward to achieve the completion of key projects and schemes as envisaged in the Sanctioned Scheme from the funds to be generated from the sale of Non- operating Units, The Assets Sale Committee constituted by Hon'ble BIFR is guiding the sale of non operating units, advertisements were also published in leading newspapers for sale of four non-operating units i.e. Mandhar, Akaltara (Chhatisgarh) Kurkunta (Karnataka) and Nayagaon(M.P.). The response received was encouraging, however the parties raised issues regarding Mining Lease transfer formalities and issues relating to land details etc. The matter regarding transfer of Mining Leases in favour of successful bidders is being taken up with concerned State Governments.

Regarding Charkhi Dadri Unit, as per directives of Hon'ble BIFR encumbrance free land of the unit was to be handed over to Government of Haryana at the final negotiated rates. The other assets of the unit (except land) are to be disposed off separately.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspired us in all our endeavors for excellence and on behalf of the Board of Directors of your Company, I wish to convey our sincere thanks to you and Govt. of India particularly to the Department of Heavy Industry, Department of Public Enterprises, Government of India for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Govt. Sector and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

I acknowledge overwhelmed support of Govt. of India, State Governments, CAG and all other concerned Authorities and Agencies, Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & MAB-II.

Last but not the least, I would like to place on record my sincere appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you, Jai Hind

> (R. P. TAK) CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR





DIRECTORS' REPORT

To the Shareholders

Gentlemen.

1. On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 50th Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2014, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

2. Financial Highlights 2013-14 Vs 2012-13

COF	RPORATION AS A WHOLE	(Rs. ir	n crore)
S. No.	PARTICULAR	2013-14	2012-13
1	Revenue from Operation (Net of ED)	324.52	287.35
2	Other Income including exceptional income as per Sanctioned Scheme	76.74	43.86
3	PBDIT	28.21	20.68
4	Interest Expenses	2.95	4.46
5	Depreciation	9.06	8.11
6	Profit before Tax (PBT)	16.20	8.11
7	Tax	0.00	0.00
8	Profit After Tax (PAT)	16.20	8.11

The Corporation has recorded total Sales turnover including excise duty Rs.363.03 crore as against Rs. 316.56 crore of the previous year with increase of 14.68%. Other income includes an amount of Rs.43.05 crores being waiver of interest, penalty etc. in respect of outstanding mining/power dues written back during the year. In view of negative networth of the Corporation, no dividend will be declared for the financial year 2013-14, as per the provisions of Companies Act.

3. Industry Scenario

The Indian cement industry is the second largest producer of quality cement. Indian Cement Industry is engaged in the production of several varieties of cement such as Ordinary Portland Cement (OPC), Portland Pozzolana Cement (PPC), Portland Blast Furnace Slag Cement (PBFS), Oil Well Cement, Rapid Hardening Portland Cement, Sulphate Resisting Portland Cement, White

Cement, etc. They are produced strictly as per the Bureau of Indian Standards (BIS) specifications and their quality is comparable with the best in the world.

The industry occupies an important place in the national economy because of its strong linkages to other sectors such as construction, transportation, coal and power. The cement industry is also one of the major contributors to the exchequer by way of indirect taxes.

Key Drivers of Cement Industry

- Real estate market
- Infrastructure spending
- Various governmental programmes like National Rural Employment Guarantee
- Low-cost housing in urban and rural areas under schemes like Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) and Indira Aawas Yojana
- New Township development

The overall performance of cement market during the period April 2013 to March 2014 was poor due to various reasons. Major among the reason was non release of Government funds and no new major projects came in for execution. Construction activities remained weak in private sector as there has been a ban on sand mining. The real estate especially in Mumbai and Pune which was vibrant in previous years is witnessing stagnation. And the last quarter saw the implementation of Code of Conduct for the Lok Sabha Election. The funds which are released in March normally were absent. Hence the economy march of the country came to a grinding halt.

4. Capital Structure

There has been no change in the capital structure of your Company during the year under review.

5. Operations

Performance of units

Operating Units

The capacity utilization of cement (%), Clinker production (MT), Cement Production (MT) and Despatch of cement (MT) of the operating units

individually and collectively are stated as under:-

	BOKAJ	AN	RAJBAN		TANDUR		FOR OPERAT ING PLANTS ONLY	
	12-13	13-14	12-13	13-14	12-13	13-14	12-13	13-14
CAPACITY UTILISATION OF CEMENT(%)	67.35	46.29	56.6	50.49	43.43*	61.94	48.96	57.83
CLINKER PRODUCTION (MT)	122270	103360	95005	102090	482880	535040	700155	740490
CEMENT PRODUCTION (MT)	133350	91655	140360	125225	434295	619385	708005	836265
DESPATCH (MT)	133100	87366	140051	130605	432463	613078	705614	831049

^{*} The production at Tandur remained suspended for around 3 months for upgradation/modernization work during 2012-13

Non-operating Units:-

During the year 2013-2014, the following six non – operating units of CCI (except Adilabad) remained closed.

 Mandhar
 Kurkunta
 Nayagaon
 Akaltara
 Charkhi Dadri
 Delhi Cement Grinding Unit

Bokajan Expansion Project

As per Sanctioned Scheme, the installed capacity of Bokajan Unit is to be enhanced to 1200 tpd of clinker, which inter alia envisages enhancement in the cement grinding capacity to 750 tpd at Bokajan and Setting up of Silchar Grinding Unit with 50 tph capacity.



View of Bokajan Plant

The Work Order for capacity Expansion of Bokajan Cement Factory has been awarded to M/s. Promac Engineering Industries Ltd., Bangalore on turnkey basis at a total cost of Rs.142.40 crore. The expansion work is in progress.

The Work Order for Setting up of Silchar Grinding Unit of 50 TPH has been awarded to M/s. Promac Engineering Industries Ltd., Bangalore on turnkey basis at a total cost of Rs.39.68 crore. However, no appreciable progress could be achieved so far. The main reason for delay has been the condition of site i.e. unevenness as expressed by M/s. Promac. However, M/s. Promac has been advised to expedite the work.

Technology Upgradation at Tandur

As envisaged in the Sanctioned Scheme, technology upgradation scheme at Tandur has been taken up for implementation:

Fourteen schemes have been completed. Balance schemes are under various stages of implementation. Status of major ongoing schemes are as under:



Technology Upgradation at Tandur

(1) Order for the three energy saving schemes have been placed on M/s. Enexco Technologies India Pvt. Ltd. for Design, Engineering, Modification, Supply, Civil / Structural Design including civil works / foundations, Erection & Commissioning, and hooking up with the existing system for complete Mechanical Transport System in place of Pneumatic Transport on turnkey basis for Raw Mill, Kiln Feed and Cement Mill (I & II) Sections with financial involvement of Rs.6.91 crores.

Trial runs have been taken in respect of Cement Mill-I & II and raw mill & work related to kiln feed section is also in completion stage and commissioning is expected to be done shortly.

(2) The Work Order for design, engineering,





manufacture, supply, erection & commissioning of ESP and clinker cooler on turnkey basis has been awarded to M/s. Andrew Yule, Kolkata at a total cost of Rs.10.85 crore. The work is in progress. As per the latest schedule given by the party, the project is expected to be completed by September, 2014.

(3) Orders for installation of Energy Management System (EMS) and installation of magnetic separator in Coal Mill Section have been placed. Budgetary offer has been collected for close circuiting of ball mil for manufacture of PPC. Action for other items such as, replacement of the existing 8 Nos. conventional cyclones at VRM outlet by 4 Nos. new generation high separation efficiency cyclones, Replacement of existing classifier in VRM by a new generation high efficiency classifier, Replacement of existing PH top stage cyclones by new low pressure drop high efficiency cyclones, Replacement of the existing kiln burner by multi channel burner, have been initiated.

With the help of these equipments, efficiency of Tandur plant will be increased alongwith saving on power bill.

6. Marketing

Despite slow down in the cement and economic growth, the overall performance of Cement Corporation of India registered a growth of 17.78% over the previous year and increase from 7.06 lakh MT in 2012-13 to 8.31 lakh MT in 2013-14. The major increase came from Tandur Unit which registered a growth of 41.76% in 2013-14 compared to same period 2012-13. While Rajban and Bokajan saw a de-growth of 6.34% and 34.36% over the previous year. The decrease in Rajban was due to the natural calamity which saw cloud burst and heavy deluge in the marketing area of Rajban. Bokajan was adversely affected by the disturbed condition and bunds in Assam, Manipur and Nagaland.

To improve the performance a new segment of loose cement sales was identified and orders were procured in Tandur to cater to this segment. This also helped in enhancing the sales of Tandur apart from increasing the dealer network and expansion of the market. New attractive colourful packaging was introduced in the market to strengthen the branding of CCI and increase its popularity. During the period close contacts were established with all stakeholders.

7. Customer Care

Our company takes utmost care while dealing with the valuable Customers. Their complaints are addressed on top most priority. Their suggestions are taken as guiding factors for further improvement in our services up to their satisfaction.

8. Quality

Quality aspects are given utmost importance in all the three operating units of CCI. Regular quality monitoring and control activities from raw material stage to product stage are being done in own well equipped laboratories by well qualified and trained personnel. Besides, cement samples are tested for complete physical & chemical parameters in reputed govt. laboratories such as NTH, NCB etc.

All the three Operating units are ISO 9001 certified. Tandur unit is in the process of obtaining ISO 14001.

9. Implementation of ERP

In today's fast paced technological environment, for faster decision making computerization of all functions of the organization has become imperative. Our company is also going ahead for adoption of technology to help management to take faster and informed decision in transparent environment by computerization of all the activities of the Corporation. Our company has taken up ERP project which once implemented shall completely transform the working environment of the organization, augment the efficiency and bring about transparency. The process of implementation of ERP across all units, Marketing Offices and Corporate office has started and going ahead with full pace. The end-to-end consultant for the purpose of implementation of ERP was appointed during the month of September, 2012.

- The "As is study" to identify all the activities being carried out in the organization including IT infrastructure, measure & record performance as cycle times, quantities, cost, number of steps etc has been completed.
- The "To Be functionalities" identification of all the business processes that need to be covered by the ERP solution and classified them as "Critical"/ "Essential"/"Desirable" has been done.

The appointment of implementing agency for procurement of hardware, networking and software, as required for implementing ERP is under process.

10. Human Resource Management & Industrial Relations

Your Company lays utmost importance on the human resources as employees are the most valued asset of any organization. Manning your company there are 907employees possessing a variety of skills, qualifications and competence. Your Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. The Corporation has been making all efforts to ensure development of human competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees.

Your company in its effort to extend social security measures beyond the age of retirement of our employee, has introduced the Post Retirement Medical Benefit Scheme during the year 2013-14 for the benefit of employees who have retired on or after 01.04.2011. The scheme will benefit exemployees of the company and their spouse.

The Industrial Relations remained peaceful throughout the year in all the units of the Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with the trade unions and employees at various forums which have significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations resulting into no mandays lost during the year.

11. Human Resource Development

Our Company is conscious about the need of Human Resource Development and has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future. In order to have an extensive study of manpower restructuring, the company has appointed M/s Administrative Staff College of India(ASCI), Hyderabad for conducting the study of manpower in the Corporation. A preliminary report in this regard has been submitted by the ASCI to the Management and some suggestions were given to the company which are to be incorporated in the report. After receiving the consolidated and final report, suitable manpower restructuring will be taken up.

12. Training and Development

As part of Human Resource development, your company has given utmost importance to the skill development of all level of employees. During the year 2013-14, total 963 mandays of in-house training was imparted to the employees to enhance their skill. Your company has also nominated 14 employees for external training on various subjects during the year. A cross section of employees was also nominated for several seminars and conferences on in their functional area of working at different locations.



Training Programme at Bokajan

Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on the concept and implementation of Risk Management techniques. Besides above, your company has also conducted competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

13. Official Language Implementation

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Govt. The Official Language Implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation also takes active part in the activities of Official Language Implementation Committee. Hindi Week/Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work.

14. Corporate Social Responsibility

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your Company has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level. The thrust area on which CSR activities has been carried out are in the nature of





infrastructural facilities for educational institutions, financial assistance to BPL students of Polytechnics, Medical / Health care camps at the villages around the plants, sports activities etc.



Medical Camp Organised by CCI-Bokajan

15. Compliance with Corporate Governance

CCI is a Central Public Sector Enterprise and the entire shareholding is held by Govt. of India. The company has been making efforts continuously towards raising the standards of Corporate Governance. Report on Corporate Governance as per DPE guidelines is enclosed.

16. Activities and achievements of the Vigilance Department

The vigilance functions in the Corporation consist of preventive, punitive, pro-active and participative approaches, aimed at stream-lining and achieving operational efficiency in a fair and transparent manner as also to deter proclivities of wrongful conduct.

While appropriate disciplinary proceedings were initiated in cases where the investigation yielded credible evidence against the erring officials, several preventive and system improvement measures have been taken to plug the loopholes.

In order to bring awareness about various facets of Vigilance including the vision and initiates at the apex level of CVC, regular interaction is conducted between the Vigilance and the operating functionaries.

The CVC instructions relating to transparency, accountability and timely response in dealing with the matter of public administration through leveraging of technology are being adhered to by use of CCI's website, tender section, vigilance complaints section, Right to Information Act and review/updation of Manuals/Rules, etc. CCI's

website takes care of statutory requirement of Right to Information Act and voluntary disclosure of information regarding the activities in various functional areas.



Prize Distribution of vigilence awarness week

Personnel, Marketing & Purchase Manuals are in the advance stage of updation/revision. Implementation of Integrity Pact in CCI has been approved by the Board of Directors on 24th December, 2013. With a view to leverage the potential of Information Technology, ERP implementation is in progress to cover various activities and operations. E-tendering, e-auction, e-procurement (RTGS and limited e-payment by Tandur Unit) are being implemented to the extent possible.

Annual property Returns are being obtained from employees. All prescribed Returns relating to vigilance functioning are being sent to CVC, DHI, etc. in time. The list of 'Officers of Doubtful Integrity' and 'Agreed List' for the year 2014 has been prepared and officers whose names are figuring in the list have been posted to non-sensitive areas. Besides surprise/regular checks are being conducted in sensitive areas. Half Yearly Review of Vigilance work is being done by the Board of Directors of CCI.

17. Status of sale of CCI Units

Sale of Non-Operating units are in progress under guidance of Assets Sale Committee constituted by Hon'ble BIFR. As per the decision of ASC in its meeting held on 2.8.2013, an advertisement was published in leading newspapers on 12.8.2013 for sale of four non-operating units of CCI i.e. Mandhar, Kurkunta, Nayagaon and Akaltara. The last date of submission of EOI was 2.9.2013. The response received was encouraging, however the parties raised issues regarding Mining Lease transfer formalities and issues relating to land details, liabilities, payment schedule etc. The matter

regarding transfer of Mining Leases in favour of successful bidders is being taken up with concerned State Governments.

Regarding Charkhi Dadri Unit, as per directives of Hon'ble BIFR in its hearing held on 23.12.2013 and with the consent of DHI, encumbrance free land of the unit was to be handed over to Government of Haryana at the final negotiated rate. The other assets of the unit (except land) are to be disposed off separately.

18. Particulars of employees as required under Section 217(2A) and 217(1) (e) of the Companies Act, 1956 etc.

Information as per Sub-Section (2A) of Section 217 of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules 1975, and forming part of Directors' Report for the year ended 31.03.2014 'Nil'

As required under the provisions of Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956, information under Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 is annexed herewith.

19. Directors' Responsibility Statement under Section 217(2AA) of Companies Act,1956

Your Directors confirm that :-

- a) In the preparation of the annual accounts, the applicable Accounting Standards have been followed:
- b) Such accounting policies have been selected and applied consistently and such judgments and estimates have been made which are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and statement of the profit & loss of the Company for the period.
- c) Proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and
- d) The annual accounts have been prepared on a going concern basis.

Place: New Delhi

Date: 16th September 2014

20. Auditors

M/s. SPG Associates, Chartered Accountants, Gurgaon were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2013-14 and M/s. R K Singhania & Associates, M/s. Taunk & Srikanth, M/s. Gopal & Rajan, M/s. AK Gutgutia & Co., M/s. N R & Associates., M/s. MKA Associates, M/s. SSR & Co., M/s. Luharuka and Associates, were appointed as Branch Auditors. The report of the Statutory Auditors and replies thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

21. Audit Committee

The Audit Committee discussed in detail the draft Annual Accounts for 2013-14 before submission of the same to Board for approval. The queries raised by Audit Committee were replied to the satisfaction and the Annual Accounts were reviewed by Audit Committee and submitted to the Board which were approved.

22. Board of Directors

During the period under review, Shri S.S. Mahlawat (Govt. nominee) ceased to be Director of the Company. In his place, Shri Vishvajit Sahay, Joint Secretary, Govt. of India, Department of Heavy Industry (Govt. nominee) joined the Board w.e.f. 28.4.2014.

23. Acknowledgement

Board acknowledges the support and guidance to your Corporation received from Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, DGS&D, PESB, BRPSE, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sectors for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s S.P.G. Associates, Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II, New Delhi. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

(R.P. TAK)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR





Particulars as required under Companies (Disclosure of particulars in the Report of the Board of Directors) Rules 1988

A. Conservation of Energy

(a) Energy conservation measures taken :-

- i. Idle running of compressors and other auxiliary drives is eliminated/minimized by close monitoring and synchronization with the running hours of the main equipment.
- ii. Replacing inefficient/higher capacity motors with energy efficient/low capacity motors.
- iii. Improving the power factor of the plants by installing capacitors.
- iv. Installing demand controllers for effective control of maximum demand.
- v. Maintenance of fineness of coal within desired limits for better combustion efficiency.
- vi Arresting leakages in preheater tower to maintain oxygen percentage in the exit gases at the optimum level.
- vii. Operation of Raw mill circulating fan and Ph fan through LRC at Rajban unit.
- viii. Providing MCBs at colony & Plant & operation of street light through time switches at Rajban unit
- ix. Conventional Sodium light fittings have been Phase wise replaced with Energy efficient LED light fittings at Rajban unit.
- x. Low wattage luminaries have been installed in place of high wattage MV/SV lamps in plant as well as in colony areas.
- xi Operation of E.O.T. Crane, Giri Pump, Coal Mill, Blending & Aeration is restricted during peak load hours, at Rajban.

(b) Total energy consumption and energy consumption per unit of production:

1. Electricity	(2013-2014) (Operating Units only)	(2012-2013) (Operating Units only)
a) Purchased		
i) Units ii) Total amount iii) Rate per Unit	114484272 634597624.27 5.54	103706130 463040561 4.46
b) Own generation		
 i) Through Diesel Generation Unit (KWH) Unit/ liter of diesel oil (KWH/litre) Cost per Unit(Rs./KWH) 	66778 2.94 15.22	2238716 2.93 11.28
2. Coal		
i) Qty.consumed (Tonne)ii) Total Cost(Rs)iii) Average rate (Rs./MT)	175183 860054479.1 4909.46	167024 788974759 4723.72

	Consumption per unit of production		
i)	Electricity (KWH/ tonne of packed	137	150
	cement incl. Township)		
ii)	Booked coal (kg./kg. of clinker/	0.2366	0.2386
	production)		
iii)	Coal Quality (UHV)	3818	4158
	(K.Cal/kg. of coal)		



B. **Technology Absorption**

I. Research and development (R&D)

- Specific Areas in which R&D was carried out by the company Quality control/improvement activities as mentioned in point no.8 are undertaken.
- ii) Benefits derived as a result of the R&D: Proper maintenance of quality of cement.
- iii) Future plan of action:

II. **Technology Absorption, Adoption & Innovation**

As no technology was imported in the year, the information on absorption, adoption and innovation is NIL.

Expenditure on R&D (2013-14):

		(Rs. in crores)
a)	Capital	_
b)	Revenue	4.11
c)	Total	4.11
d)	Total R&D Exp. As a % of total turnover	1.13%

C. Foreign Exchange Earnings and outgo

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage of our plants, which are far away from sea ports, our inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. However, entire production of cement is being sold in the domestic market.

Total foreign exchange used and earned:	(Rs. in crores) Nil
Total foreign exchange used during the year:	Nil
Total foreign exchange earned during the year :	Nil



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines the Government of India issues from time to time should go a long way to enhancing value for all those who are associated with the Corporation; shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

The Corporation believes that its operations and actions must serve the underlying goal of enhancing the interests of its stakeholders over a sustained period of time, in a socially responsible way.

The Company is committed to conforming to the highest standards of CorporateGovernance.

2. Board of Directors:

i. Size of the Board:

Cement Corporation Of India Limited is a Government company as defined under the Companies Act. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12. The number of independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

ii. Composition of Board:

Presently, the Board of CCI comprises six Directors out of which three are functional Directors including the Chairman & Managing Director and two are Part-time official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry, Government of India and one Special Director is BIFR nominee.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship

and Committee positionsheld by them

-							
	SN	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure	No. of Board Meeting Attended	Attendanc e in AGM (held on 25.09.2013)	No. of Directors- hip held as on 31.03.2014	No. of Committee member- ship held in other companies as on 31.03.2014
	Fι	unctional Directors:					
	1.	Shri R.P. Tak (Chairman & Managing Director)	5	5	Yes	NIL	
	2.	Shri Manoj Misra,Director (Human Resource)	5	5	Yes	NIL	NIL
	3.	Shri S.C. Agrawal Director (Finance)	5	5	Yes	2*	NIL
		Government Nom	inee Directo	ors:			
	4.	Shri Harbhajan Singh. (upto5.6.2013)	1	1	No	7	NIL
	5.	Shri S.K. Goyal	5	5	Yes	6	NIL
	6.	Shri S.S. Mahlawat	4	4	Yes	NIL	NIL
		Independent Directors:					
Ī	7.	Shri V.K. Aggarwal (upto9.9.2013)	2	2	No	2	NIL
	8.	Shri PankajAgarwal (upto 9.9.2013)	2	2	No	2	NIL
	9.	Smt. DivjotKohli (BIFR Nominee)	5	3	Yes	NIL	NIL

*Holding additional Charge of Chairman & Managing Director.

The company held five Board Meetings on 17.5.2013, 30.7.2013, 25.9.2013, 24.12.2013 and 21.3.2014 during the year under report and time gap between two Board Meetings was not more than three months.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation.

Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.

The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the functional director/CMD

Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions.

The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/ Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board/ Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board meeting for their confirmation.

v. Follow-up mechanism:

An action-taken report on the important decisions of the Board/Committee members is presented in subsequent meetings. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Capital budgets, Annual Plan, MOU
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.

- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Award of large contracts.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the independent Directors were paid sitting fees at the rate of Rs. 6000/- (Rs. Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof respectively during the financial year 2013-14.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

S. N.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies /Disclosures				
Functional Directors:							
1.	Shri R.P. Tak	Chairman & Managing Director	Member of Executive Board of SCOPE and Member of Board of Governors of NCBM				
2.	Shri Manoj Misra	Director(HR)	NIL				
3.	Shri S.C. Agrawal	Director(Fin)	Addl.Charge of the post of C&MD of (1) Triveni Structurals Ltd (2) Bharat Yantra Nigam Ltd.				
Go	vernment Nominee	Directors					
4.	Shri Harbhajan Singh	(Joint Secretary, Ministry of HIPE.)	(1) Andrew Yule Company Limited (2) Tide Water Oil India Limited (3) HMT Ltd. (4) HMT (I) Ltd. (5) Heavy Engineering Corporation (6) Scooters India Limited, (7) NTPC – BHEL Power Projects Private Limited				
5.	Shri S.K. Goyal	Govt. Director	(1) Scooters India Ltd. (2) Andrew Yule & Company Limited (3) NEPA Limited (4) Bharat BhariUdyog Nigam Ltd. (5) Automotive Research Association of India (ARAI), Pune – Governing Council Member (6) Automative Skill Development Council – Governing Council Membe				





6.	Shri S.S. Mahalawat	Govt. Director	Nil
Ind	lependent Directors:		
7.	Shri V.K.Aggarwal	Part-time non-official Director	(1) Power Exchange India Ltd. Mumbai (2) Maharashtra State Coop Bank, Mumbai – Chairman of the Board
8.	Shri Pankaj Agarwal	Part-time non- officialDirector	(1) Mazagon Dock Ltd. (2) Neeraj Agrawal & Co. (Partner)
9.	Smt. DivjotKohli	BIFR nominee	M/s Supriya Pharmaceuticals Ltd.

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be} by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2013-14.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimisation

The risk management system is an integrated and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

As per the provisions of Section 292-A of the Companies Act, 1956, the Company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1. Smt. Divjot Kohli, Chairperson
- 2. Shri S.K. Goyal (Govt. nominee), Member
- 3. Shri Manoj Misra, Director(HR), Member

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 1956 and the Guidelines on Corporate Governance

as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2013-14, four Audit Committees Meetings were held on 20.6.2013, 30.7.2013, 29.11.2013 and 21.3.2014 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
Smt. Divjot Kohli	4 Nos.*	2 Nos.
Shri S.K. Goyal	4 Nos.	4 Nos.
Shri ManojMisra	4 Nos.	4 Nos.
Shri V.K. Aggarwal	2 Nos.**	2 Nos.
Shri Pankaj Agarwal	2 Nos.**	2 Nos.

^{*} Audit Committee was reconstituted on 25.9.2013 consisting of Smt. Divjot Kohli as Chairperson, Shri S.K. Goyal and Shri Manoj Misra as Members.

** Ceased to be director on the Board w.e.f. 8.9,2013

4. Remuneration Committee

Remuneration and allowances payable to Directors are determined by the President of India. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE will constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

(i) Composition of Remuneration Committee:

After the approval of the Board of Directors, the Remuneration Committee was reconstituted w.e.f. 25.9.2013 consisting of the following Directors:-

- 1. Smt. Divjot Kohli, Chairperson
- 2. Shri S.K. Goyal, (Govt. nominee), Member
- 3. Shri S.S. Mahlawat, (Govt. nominee), Member

The meeting of remuneration committee was held on 20.6.2013, 30.7.2013 and 27.8.2013 during the financial year ended as on 31st March, 2014.

(ii) Detail of Remuneration paid to Functional Directors:

Details of remuneration paid to functional Directors of the Company for the year 2013-14 are given below:-

(Rs. In lakhs)

S. N.	Name	Salary Including DA & HRA	Other benefits	Contribution to PF & Other funds	
1.	Shri R.P. Tak	20.60	10.74	1.77	33.11*
2.	Shri Manoj Misra	19.12	4.16	1.64	24.92
3.	Shri S.C. Agrawal	16.86	4.18	1.45	22.49
	Total	56.58	19.08	4.86	80.52

^{*} Including PRP

5. Share holders/ Investors grievances committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

6. Meeting of Independent Directors

A separate meeting of Independent Directors without the presence of any Functional Directors, Government Nominee directors and management personnel of CCI Limited, was held on 20th June, 2013 under the Chairmanship of Shri V.K. Aggarwal, Nonofficial Part Time Director.

7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years is given hereunder:-

	I			
S. N.	Year	Location	Date & Time	Whether any special resolution passed
1.	2010-11	New Delhi	21.9.2011 (12.30 P.M.)	No
2.	2011-12	New Delhi	18.9.2012 (12.30 P.M.)	No
3.	2012-13	New Delhi	25.9.2013 (12.30 P.M.)	No

9. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 299 of Companies Act) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) released in May 2010.

The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to non-compliance under laws, during the last three years.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the accounting standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2014.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2013-14 and last three years.

10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance, CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

11. Means of communication

Annual financial performance is posted in the Company's website. www.cementcorproation.co.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.





12. Audit Qualifications

The Company has been putting all the efforts towards ensuring a regime of unqualified financial statements however there are certain qualifications and remarks in the Statutory Auditor's report in the financial year 2013-14 which will be resolved and complied with in due course.

13. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cementcorporation.co.in

Place: New Delhi

Date: 16th September 2014

14. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Co., Company Secretaries in Whole Time Practice confirming the compliance subject to the their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms part of the Annual Report for the financial year 2013-14 which is **Annexed** herewith.

(R.P. Tak)

for and on behalf of the Board of Directors (Chairman & Managing Director)



Amit Agrawal & Associates

Company Secretaries





COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

То

The Members of Cement Corporation of India Limited, New Delhi - 110003

- 1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Cement Corporation of India Limited, having its registered office at Core -5, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 for the financial year ended on 31.03.2014, as stipulated in guidelines issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt of India, May,2010 (as amended from time to time).
- 2. The compliance of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementations thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.
- 3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned DPE Guidelines except the following:
 - a. The composition of independent directors on the board does not fulfill as it should be at least 1/3rd of actual strenght of the board, where as two of the independent directors of the company leased during the year. Hence, after cessation there is no Independent Directors in the Board of the company.
 - b. As per the DPE guidlines the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and two-thirds of the members of audit committee shall be independent Directors. However, during the financial year two Independent directors of the company were ceased, hence the compliance related to composition of Audit committee was not maintained part of the financial year after cessation of the Independent Directors.
- 4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For- Amit Agrawal & Associates Company Secretaries

Place: Delhi Date: 05.09.2014

> FCS Amit Agrawal Proprietor CP No. 3647



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Overview

Cement is one of the core industries which plays a vital role in the growth and expansion of a nation. The demand for cement depends primarily on the pace of activities in the business, financial, real estate and infrastructure sectors of the economy.

The Eight Core Industries have a combined weight of 37.90 % in the Index of Industrial Production (IIP). The combined Index of Eight Core Industries stands at 175.4 in March, 2014, which was 2.5 % higher compared to the index of March, 2013. Its cumulative growth during April-March, 2013-14 was 2.6 %.

Cement production (weight: 2.41%) remains same in March, 2014 as of March, 2013 while its cumulative growth during April to March, 2013-14 was 3.0 % over the corresponding period of previous year, which is probably the lowest in the last 5 years. The average cumulative growth hovers in between 9% to 11%. It is also to be noted that the growth which has come is mainly from the newly setup units.

2. Outlook

The Indian cement industry is extremely energy intensive and is the third largest user of coal in the country. Indian Cement Industry has grown rapidly till recently. In the last few years the growth of the cement industry slowed down due to retarded economic situation of the country. With the advent of new government stress is on development of the infrastructure and thus the coming years have promises for the industry in India. The capacity installation took a break is now on path of recovery. This industry as on date uses latest technology, which is among the best in the world. Also, the industry has tremendous potential for development as limestone of excellent quality is found almost throughout the country.

3. Financial review and analysis

The net profit during the year has increased to Rs. 16.20 crores as against net profit of Rs. 8.11 crores during the previous year. The dispatches during the year were 8.31 lakhs MT of Cement as against 7.06 lakh MT during the previous year.

4. Risk and concerns

Risk Management is an important aspect in today's business environment. The aim of Risk Management is to identify, monitor and take mitigation measures in respect of events that may pose risks for the business. The company Risk Management is embedded in the business processes. Your company has identified the following risks:-

(a) Commodity price risk

This risk impacts the Corporation by way of price fluctuations in raw materials, energy as well as finished goods. As per the Sanctioned Scheme, CCI is installing energy saving equipments for conservation of energy so as to optimize the power consumption. Other measures are also taken for conservation of energy, such as, replacing inefficient/higher capacity motors with energy efficient low capacity motors, installing demand controllers for effective control of maximum demand, arresting leakages in pre-heater tower to maintain oxygen percentage in exit gasses at the optimum level. Conventional lights have been equipped with new energy efficient chokes and regulators etc.

(b) Securing Internal Resources

The cement business operations are dependent on continuous availability of quality coal at economic prices. The availability and quality of limestone depends on its reserve/deposits in the respective

mining area.

To improve the quality of coal, the issue is also being taken up with Coal Controller of India through CMA. All the three operating units of CCI are having its own captive mines for limestone, shale, etc.

(c) Project Execution Risks

Your Company has undertaken expansion of Bokajan Expansion plan which are exposed to risk of time and cost over runs. Any delay in project implementation may impact the revenue and profit for the delayed period.

CCI has planned to mitigate the risk by executing the projects through dedicated project implementation team which reviews the project execution on continuous basis.

(d) Human Resource Risk

Company's ability to deliver value is dependent on its competence to attract, retain and nurture talent. Attrition and non-availability of the required talent resources can affect the performance of CCI. In this regard, CCI is continuously bench marking the past HR practices across the industry and carrying out necessary improvements to attract and retain the best talent.

(e) Competition risk

Presently, there are no barriers for entry of new cement manufacturers in the market. CCI is always exposed to competition risk. The increase in competition can create pressure on margin, market share etc.

CCI is continuously making efforts to enhance the brand image of the company by focusing on quality, timely delivery and customer service.

(f) Compliance Risk

Any deficit in compliance of various rules, regulations, guidelines of Central Govt. and State Governments can attract penal provisions. The company is regularly monitoring and reviewing the changes being brought in regulatory frame work and necessary actions are being taken accordingly.

5. Internal Control system

The Corporation's internal control system is commensurate with its needs. Internal Auditors have been selected from the list of firms obtained from C&AG. Further, no major internal control weakness has been reported by the Auditors.

In order to strengthen internal control system and internal checks in the organization, Internal Audit Team conducts internal audits at operational level. Actions are taken against discrepancies/deviations, if any. The Audit Committee reviews the Internal Audit Reports and observations and suggestions given by the Audit Committee are appropriately implemented for strengthening the control of various business processes.

6. CSR Policy

The company has a CSR policy approved by the Board of Directors which is based on philosophy wherein CCI serve the interest of the society by taking responsibility for the impact of their activities on their customers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of their operation. The policy also empowering and inspiring communities in the locational periphery of factories for attaining long-term sustenance through voluntary social actions covering micro-enterprises, self-help groups etc. and regarding the community as a major stakeholder and accordingly identifying their needs and addressing their concern areas has ensured a better quality of life. CCI has been playing a dominant role in the socio-





economic development of the North-East Region and regions surrounding Tandur and Rajban Cement

plants and recognizes that its business activities have direct and indirect impact on the society. The company strives to integrate its business values and operations in an ethical manner to demonstrate its commitment to sustainable development.

7. Other disclosures

Chapter-7 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segmentwise and productwise performance, the company deals only in one segment i.e. various brands of cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

Conclusion

The demand growth slowdown in global economy coupled with surplus capacities may impact company's profitability. However, efforts are made to inroad in newer areas for marketing the products to meet the short term challenges. The company will continue to focus on cost reduction measures and improving its productivity and also to utilize the 'assets of non-operating units to generate the additional revenue to improve the financial performance of the Corporation.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing companies objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.

Resources and Utilisation of Resources

PARTICULARS	2013-14	2012-13	2011-12
Resources			
Net worth Borrowings	(1,42,60) 3,73,38	(1,58,08) 3,73,38	(1,65,24) 3,73,38
TOTAL	2,30,78	2,15,30	2,08,14
Utilisation of Resources Fixed Assets Less: Depreciation	7,67,37 5,84,86	7,53,46 5,77,23	7,10,01 5,71,67
SUB TOTAL Investments Net Current Assets	1,82,51 2,28 45,99	1,76,23 2,28 36,79	1,38,34 2,28 67,52
TOTAL	2,30,78	2,15,30	2,08,14
Income & Expenditure Income			
Sales & Despatches Accretion/(Decretion) to Semi finished	3,23,89	2,84,27	3,32,73
goods and transfer of clinker Other Income	(10,29) 77,37	17,97 46,94	23,40 40,70
TOTAL	3,90,97	3,49,18	3,96,83
Expenditure Raw materials & Stores Depreciation Interest Other Expenses	59,96 9,06 2,95 3,02,80	51,99 8,11 4,46 2,76,51	56,01 7,44 9,11 3,04,84
SUB TOTAL Profit/(Loss)	3,74,77 16,20	3,41,07 8,11	3,77,40 19,43
TOTAL	3,90,97	3,49,18	3,96,83





What We Earned and How we Spent

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2013-14	2012-13	2011-12
I. What we earned Sales and despatches & clinker transfer	3,23,89	2,84,27	3,32,73
Misc. Income	77,37	46,94	40,70
Accretion/(Decretion) to Semi-finished goods and finished goods	(10,29)	17,97	23,40
TOTAL	3,90,97	3,49,18	3,96,83
2. How we Spent			
Raw Materials	41,16	36,65	39,11
Stores & packing Materials	18,80	15,34	16,90
Emp. Remuneration & Benefits	60,96	56,50	60,45
Power	63,58	46,32	47,76
Coal & fuel	86,18	81,48	94,23
Repairs & Maintenance	18,60	16,18	27,05
Selling Expenses	39,09	33,34	41,68
Interest	2,95	4,46	9,11
Depreciation	9,06	8,11	7,44
Other Expenses	34,39	42,69	33,67
SUB-TOTAL	3,74,77	3,41,07	3,77,40
Profit/(Loss)	16,20	8,11	19,43
TOTAL	3,90,97	3,49,18	3,96,83

Contribution to Exchequer

PARTICULARS	2013-14	2012-13	2011-12
Excise Duty	28,30	32,56	38,20
Sales Tax	37,11	29,62	38,50
Royalty & Cess	8,74	7,05	7,68
TOTAL	74,15	69,23	84,38

Sources & Application of Funds

	<u>20</u>	013-14	20	<u> 12-13</u>	20	<u>2011-12</u>		
PARTICULARS	Sources	Uses	Sources	Uses	Sources	Uses		
A. Internal Generation :								
Additions to Reserves & Surplus Depreciation Provisions	16,20 9,06 0	0 1,43 0	8,11 8,11 0	0 2,55 0	19,43 7,44 4,04	0 97 0		
TOTAL	25,26	1,43	16,22	2,55	30,91	97		
B. Long term sources & uses								
Share Capital Long term loans Investments Additions to Fixed Assets	0 0 0 0	0 0 0 1391	0 0 0	0 0 0 43,44	0 1,67 0 0	0 0 0 23,64		
TOTAL	0	13,91	0	43,44	1,67	23,64		
C. Short Term Sources & uses Increase/(Decrease) in working capital Deferred Revenue	0	9,20	30,72	0 95	0	8,66		
Expn. written off								
TOTAL	0	9,92	30,72	95	69	8,66		
Summary								
Internal Generation	25,26	1,43	16,22	2,55	30,91	97		
Long term sources & uses	0	13,91	0	43,44	1,67	23,64		
Short term sources & uses	0	9,92	30,72	95	69	8,66		
TOTAL	25,26	25,26	46,94	46,94	33,27	33,27		





Value Added Statement

PARTICULARS	2013-14	2012-13	2011-12
Value of Production, Sales & Services	3,13,60	3,02,18	3,56,13
Less : Direct Materials consumed	1,41,59	1,28,93	1,45,18
Value Added	1,72,01	1,73,25	2,10,95
Other Misc. Income	77,37	46,94	40,70
Distributed as follows : Employees :			
Salaries, Wages and other benefits	60,96	56,50	60,45
Suppliers of Materials & Services:			
Stores & Spares	15,54	12,94	24,60
Power	63,58	46,32	47,76
Repairs & Maintenance	7,61	7,78	7,51
Other production expenses	8,64	6,71	7,90
Selling Expenses	39,09	33,34	41,68
Others	25,75	35,92	25,77
TOTAL	1,60,21	1,43,01	1,55,22
Suppliers of Capital:			
Interest on Govt. Loans	0	0	1,67
Interest on Other Loans	2,95	4,46	7,44
TOTAL	2,95	4,46	9,11
Retained in Business:			
Depreciation for Replacement of Assets	9,06	8,11	7,44
Profit/(Loss)	16,20	8,11	19,43
TOTAL	25,26	16,22	26,87
Average Number of Employees	9,07	906	907
Value Added per Employee (₹ in lakhs)	18,96	19,12	23,26

Ten Year Dig	est								(₹ in	lakhs)
PARTICULARS	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
STATEMENT OF PROFIT & LOSS										
Sales & despatches and Accretion/ (Decretion) to stock	31360	30218	35613	30286	33426	32356	29209	28903	19523	14889
Other Income	7737	4694	4070	5893	3462	4402	2325	14906	94724	946
Raw Materials consumed	4116	5137	4899	3969	3630	3412	2883	2911	3616	2058
Stores & packing material consumed	1880	1534	1690	1703	1640	1670	1368	1531	1216	1065
Employees Remuneration & Benefits	6096	5650	6045	4997	4597	5724	3689	3595	6943	2654
Interest	295	446	911	3683	3752	3738	3465	3110	1152	18672
Depreciation	906	811	744	774	899	1107	1150	1669	1687	1851
Other Manufacturing Expenses	24184	20523	23451	18340	17095	15852	14890	14332	16449	11429
Profit (+)/Loss (-)	1620	811	1943	2713	5275	5255	4089	16661	83184	(21894)
BALANCE SHEET										
Equity	81141	81141	81140	81140	81140	81140	81140	80609	44682	42928
Reserves & Surplus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loans	37338	37338	37338	37172	46875	44083	44519	41772	88288	174213
Net Fixed Assets	12741	12911	9863	10224	10734	11474	10982	11990	13600	15199
Current Assets	38412	40710	42486	39269	49033	41763	37285	29141	19898	15192
Current Liabilities & Provisions	33813	37033	35737	33137	36059	37404	38116	37305	35513	34945
Capital W.I.P.	5512	4713	3973	2051	1577	1329	2224	1375	1081	1105
Other Assets (Including DRE)	1891	1821	1726	1795	1907	1963	1931	1738	1802	5304
Other Intangible Assets	93736	95356	96167	98110	100823	106098	111353	115442	132102	215286
Capital Employed	17338	16588	16612	16356	27533	19499	13179	15943	9514	1259
No. of Employees (Nos.)	907	906	907	988	1078	1159	1460	1523	1570	1586





BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

					<i>(</i> ₹ in lakhs)
PARTICULARS	NOTE NO		AS AT 31ST MARCH 2014		AS AT 31ST IARCH 2013
I. EQUITY AND LIABILITIES (1) SHAREHOLDER'S FUNDS a) Share Capital b) Reserves & Surplus (2) SHARE APPLICATION MONEY PE	1 2 NDING	8,11,41 (9,37,36) 0		8,11,41 (9,53,56) 0	
(3) NON CURRENT LIABILITIES a) Long Term Borrowing b) Other Long Term Liabilities c) Long Term Provisions	3 4 5	1,87,90 3,34,23 99,06	(1,25,95)	1,87,90 3,76,01 97,75	(1,42,15)
(4) CURRENT LIABILTIES a) Short Term Borrowings b) Trade Payables c) Other Current Liabilities d) Short Term Provisions	6 7 8 9	0 16,75 56,68 16,89	6,21,19	0 16,05 55,63 10,37	6,61,66
TOTAL II. ASSETS			90,32 5,85,56		82,05 6,01,56
(1) NON CURRENT ASSETS a) Fixed Assets i) Tangible Assets ii) Capital work in Progress iii) Intangible Assets-Under Development b) Non-Current Investments c) Long term loans and Advances d) Other non-current Assets e) Unamortised expenses TOTAL NON CURRENT ASSETS (2) CURRENT ASSETS	12 13 14 15	1,27,41 55,10 2 2,28 19,26 75 16,65	2,21,47	1,29,11 47,12 2 2,28 19,56 76 15,93	2,14,78
 a) Current Investments b) Inventories c) Trade Receivables d) Cash and Cash equivalents e) Short Term loans and Advances f) Other Current Assets TOTAL CURRENT ASSETS TOTAL	16 17 18 19 20 21	1,48,88 10,59 1,67,68 28,06 8,88	3,64,09 5,85,56	0 1,62,36 16,67 1,76,72 21,61 9,42	3,86,78

Significant Accounting Policies, (Notes No. 32) and the accompanying notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements

Place: New Delhi Sd/- Sd/- Sd/- Dated: 03/07/2014 (A K SHARMA) SCAGRAWAL (R.P. TAK)

Dy. Company Secretary

Director-Finance

Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached

For SPG ASSOCIATES Chartered Accountants FIRM REG. NO-011217N

Place: New Delhi (S P GOEL)
Dated: 03/07/2014 Partner
Membership No. 083131

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(₹in lakhs)

						(₹in iakns)
	PARTICULARS	NOTE		For the Year		For the Year
		NO		ended 31st		ended 31st
				March 2014		March 2013
	DEVENUE					1110112010
	REVENUE					
	Revenue from operations					
	a) Sale of Products (Including Sale of					
	Clinker ₹ 478 Lakhs)		3,63,03		3,16,56	
	Less:- Excise Duty		39,14		32,29	
	·			3,23,89		2,84,27
	b) Other Operating Revenues			63		3,08
	Net from operation			3,24,52		2,87,35
ш	Other Income	22		33,69		40,31
				00,00		10,01
Ш	Total Revenues			3,58,21		3,27,66
	Total Nevertues			3,30,21		3,27,00
	EXPENSES					
	Cost of Materials Consumed	23		41,26		36,75
	Purchase of Clinker			0		14,72
	Change in Inventories of Finished Goods	3				,
	Work-in-progress and Stock in Trade	24		10,29		(17,97)
	Employees Benefits Expenses	25		60,96		56,50
	Other Expenses	26		2,60,64		2,15,70
	Finance Cost	27				
		21		2,95		4,46
	Depreciation and Amortisation			8,96		8,01
11/	Total Evnance			2.05.00		2 40 47
IV	Total Expenses			3,85,06		3,18,17
V	Profit /(Loss) before Exceptional and			(26,85)		9,49
-	Extraordinary Item			(==,==)		٥, ١٠
VI	Exceptional Items	28(A)		43,05		3,55
VII				16,20		13,04
	Extraordinary items	28(C)		0		(4,93)
IX	Profit /(Loss) before tax	20(0)		16,20		8,11
X	Tax Expense of Continuing operation	20				_
ΧI		15		(40.70)		0
ΧI	Profit/(Loss) for the year from			(12,78)		20,38
	continuing Operations	00(5)				(40.07)
XII	Profit/(Loss) from discontinuing	28(D)		28,98		(12,27)
	operations					
	Tax Expense of discontinuing operation			0		0
XIV	Profit/(Loss) from discontinuing oper	ations		28,98		(12,27)
	After Tax					
XV	Profit / (Loss) for the year			16,20		8,11

Significant Accounting Policies, (Note No. 32) and the accompanying notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements

 Place : New Delhi
 Sd/ Sd/ Sd/

 Dated : 03/07/2014
 (A K SHARMA)
 SC AGRAWAL
 (R.P. TAK)

Dy. Company Secretary Director-Finance Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached For SPG ASSOCIATES Chartered Accountants FIRM REG. NO-011217N

Place : New Delhi (S P GOEL)
Dated : 03/07/2014 Partner
Membership No. 083131







NOTE NO. 1 SHARE CAPITAL

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
Authorised 5000000 Equity Shares (Previous Year 5000000) of ₹ 1000/- each 4000000 0.01% non-cumulative	5,00,00 4,00,00	5,00,00 4,00,00
Redeemable Pref. Share of ₹ 1000/- each (Previous Year 4000000)	9,00,00	9,00,00
Issued, Subscribed & Fully Paid up 4559749 Equity Shares of ₹ 1000/- each Fully Paid Up (Previous year 4559749 Shares) 3554325 0.01% Non-cumulative	4,55,98	4,55,98
Redeemable Pref. Share of ₹ 1000/- each	3,55,43	3,55,43
(Previous year 3554325 Shares) Total	8,11,41	8,11,41

Reconciliation of number of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the year

	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
Number of Shares outstanding as at the beginning of the year Add: Number of shares Alloted during the year	4,55,97,49 0	4,14,22,49 41,75,00
Number of Shares outstanding as at the end of the year	4,55,97,49	4,55,97,49

Reconciliation of number of preference shares outstanding at the beginning and at the end of the year

	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
Number of Shares outstanding as at the beginning of the year Add: Number of shares Alloted during the year	3,55,43,25 0	3,55,43,25 0
Number of Shares outstanding as at the end of the year	3,55,43,25	3,55,43,25
Details of shareholder holding more than 5% share in the Corporation Name/Class of share holder - Govt of India -Equity Shares -Preference Shares	100% 100%	100% 100%

NOTE NO. 2 RESERVES AND SURPLUS

		<i>(</i> ₹ in lakhs)
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
Surplus/(Deficit) in statement of Profit and loss As per Last Balance Sheet Less:- Profit During the Year	(9,53,56) 16,20	(9,61,67) 8,11
Closing Blance	(9,37,36)	(9,53,56)



NOTE NO. 3 LONG TERM BORROWINGS

		(₹ in lakhs)
PARTICULARS	AS AT 31ST	AS AT 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Unsecured		
Govt. Loans	1,50,90	1,50,90
Inter Corporate Borrowings	37,00	37,00
Total	1,87,90	1,87,90

Details of Default in respect of Loans & Borrowings*

(₹in lakhs)

S.No	PARTICULARS	Loan	Default	2013-14		2013-14		2012-13		
		Amount	Since	Principal	Interest	Principal	Interest			
1.	M/s. Goa Shipyard Ltd.	3000	1995	3000	1369	3000	1369			
2.	M/s. ONGC Ltd.	700	1991	700	4794	700	4794			
3.	Govt. Of India	15090	Since Long	15090	0	15090	0			
	Total	18790		18790	6163	18790	6163			

^{*}As per Sanctioned Scheme payment of above Plan Loan & Borrowings shall be made out of sale proceeds of Non-Operating Units



NOTE NO. 4 OTHER LONG TERM LIABILITIES (₹ in lakhs) **PARTICULARS AS AT 31ST** AS AT 31ST **MARCH 2014** MARCH 2013 **Trade Payable** -MSMEs 81 92 -Others 29,89 30,60 Security & Earnest Money Received 19,09 14,61 Advance from Customers 8,55 6,04 11,71 12,00 Sales Tax Payable Power 24,28 66,58 Royalty Payable 5,07 8,41 Interest Accrued and due on Borrowing- Govt Loan 1,23,85 1,23,85

61,63

49,35

3,34,23

61,63

51,37

3,76,01

Interest Accrued and due on Borrowing-Others

Others Payable

Total

NOTE NO. 5 LONG TERM PROVISIONS		
		(₹ in lakhs)
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
Gratuity	34,95	35,27
Capital work in progress	47	3
Earned leave liability	15,44	14,52
Others	48,20	47,93
Total	99,06	97,75

NOTE NO. 0 OHORT TERM BORROWINGS							
		(₹ in lakhs)					
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013					
Loan from Bank	0	0					
Others	0	0					
Total	0	0					

NOTE NO. 6 SHORT TERM BORROWINGS

NOTE NO. 7 TRADE PAYABLE		
		(₹ in lakhs)
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
Trade Payable		
MSMEs	52	24
Others	16,23	15,81
Total	16,75 	16,05



NOTE NO. 8 OTHER CURRENT LIABILITIES							
		(₹ in lakhs)					
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013					
Advance from customers	9,25	9,72					
Security and Earnest Money Deposits received	7,79	8,37					
Sales tax payable	7,82	7,54					
Excise duty payable	1,11	83					
Power dues	7,82	5,07					
Dues to Employees	6,45	7,99					
Royalty payable	93	16					
Others payable	15,51	15,95					
Total	56,68	55,63					

NOTE NO. 9 SHORT TERM PROVISIONS						
		(₹ in lakhs)				
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013				
Gratuity	6,13	77				
Earned Leave liabilities	2,31	42				
Other provisions	8,45	9,18				
Total	16,89	10,37				



NOTE NO. 10 FIXED ASSETS

Tangible Assets

(₹ in Lakhs)

GROSS BLOCK					D	DEPRECIATION				NET BLOCK		
PARTICULARS	As at 1st April, 2013	Add-/ Adjust ments	Deduct ions/ Sales	Tra in/ Tra out	As at 31st March, 2014	As at 1st April, 2013	For the Year	Tra in/ Tra out	Adj./ Disp- osal	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Works												
Land Freehold	553	501	0	0	1054	146	0	0	0	146	908	407
Land Leasehold	481	0	0	0	481	158	0	0	0	158	323	323
Roads & Culverts	654	0	0	0	654	333	11	0	0	344	310	321
Plant Buildings	8884	0	0	0	8884	7558	185	0	0	7743	1141	1326
Non-Plant Buildings	1054	0	0	0	1054	528	17	0	0	545	509	526
Water Supply,	1015	0	0	0	1015	961	1	0	0	962	53	54
Drainage & Sewerage												
Railway Siding	1823	0	0	0	1823	1533	11	0	0	1544	279	290
Electrical Installation	1970	0	0	0	1970	1810	13	0	0	1823	147	160
Plant & Machinery	46116	212	0	0	46328	38018	600	0	0	38618	7710	8098
Aerial Ropeway	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
Railway Rolling Stock	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
Quarry Equipments	2741	0	135	0	2606	2576	4	0	124	2456	150	165
Vehicles	445	9	14	0	440	364	11	0	10	365	75	81
Furniture &Fixtures	266	0	0	0	266	247	2	0	0	249	17	19
Office Equipments	424	21	0	0	445	375	9	0	0	384	61	49
Misc. Equipments	824	8	9	0	823	700	8	0	8	700	123	124
P&M Costing ₹5000/-	49	1	0	0	50	49	1	0	0	50	0	0
TOTAL WORKS	68428	752	158	0	69022	56434	873	0	142	57165	11857	11994

			GRO	OSS BL	OCK		D	EPRE	CIATIO	N	NET BI	LOCK
PARTICULARS	As at 1st April, 2013	Add-/ Adjust ments	Deduct ions/ Sales	Tra in/ Tra out	As at 31st March, 2014	As at 1st April, 2013	For the Year	Tra in/ Tra out	Adj./ Disp- osal	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
TOWN SHIP												
Land Freehold	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
Land Leasehold	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	29
Roads & Culverts	39	0	0	0	39	19	1	0	0	20	19	20
Residential & Welfare												
Buildings	1754	0	0	0	1754	934	28	0	0	962	792	820
Water Supply, Drainage)											
& Sewerage	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
Electrical Installation	41	0	0	0	41	40	0	0	0	40	1	1
Vehicles	123	0	1	0	122	105	4	0	1	108	14	18
Furniture & Fixtures	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
Office Equipments	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0
Misc. Equipments	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
Total Township	2206	0	1	0	2205	1289	33	0	1	1321	884	917
Total Works & Township	70634	752	159	0	71227	57723	906	0	143	58486	12741	12911
Previous Year	67031	3869	266	0	70634	57167	811	0	255	57723	12911	9863

NOTE NO. 10 FIXED ASSETS (Contd...)

Depreciation charged to :-

Statement of Profit & Loss Quarry (Note -23)

CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
8,96	8,01
10	10
9,06	8,11



DEPRECIATION RELATING TO:

Depreciation on following Electrical Installations, Non Plant & Residential Buildings have been charged at rates which are higher than prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 on the basis of technical evaluation of estimated commercial life of the assets (total financial implication of ₹ Nil previous year ₹ 0.23 lacs) on 11 KV switch gears, cables, trenches, rail track, yard area, fencing & melting @ 3.84%, control room @ 2.4% ND/PT/LA/PI isolators with and without ES, AC/DC board @ 6.25%, LA @ 7.14%, Control & Relay Panel Feeder & Transformer @ 5.55%, Control Cables @ 9%, MPEB Quarters @ 2.43%.

NOTE NO. 11 CAPITAL WORKS IN PROGRESS

(₹ in lakhs)

	ALANCE AS AT ST APRIL, 2013	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2014
Mechanical Consultancy	1,15	5	0	0	1,20
•		_	_	0	
Civil Engineering Works	16,47	4,68	3	U	21,12
Plant & Machinery	26,94	4,93	0	2,12	29,75
Incl. Awaiting Erection					
Erection Expenses of Pla	int 1	0	0	0	1
& Machinery					
Incidental Expenditure	1,35	1	0	0	1,36
Pending Allocation (Refer	Annex.)				
Capital Stores	12	0	0	0	12
Others	1,08	49	0	0	1,57
TOTAL	47,12	10,16	3	2,12	55,13
Provision -WIP					
Civil Engg, Works	0	0	3	0	3
TOTAL	47,12	10,16	6	2,12	55,10

NOTE NO.11(A) CAPITAL WORKS IN PROGRESS (Intangible Assets)

PARTICULARS	BALANCE AS AT 1ST APRIL, 2013	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2014
Software Development TOTAL	2	0	0	0	2



ANNEXURE OF NOTE-11 INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION PERIOD ACCOUNT

		(₹ in Lakhs)
PARTICULARS	AS AT 31ST	AS AT 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Employees Remuneration and Benefits		
Salaries, Wages & Allowances	0	7
Total remuneration	0	7
Misc. Expenses	2	3
Legal Expenses	12	0
Security Expenses	9	8
Net Expenditure during the year	23	18
Bal. Tfd. to NYO Expansion	22	9
Addition during the year	1	9
Summary of IEDC Account		
Opening Balance of IEDC	135	1,26
Addition during the year	1	9
Less:- Capitalised during the year	0	0
Adjustment during the year	0	0
Closing balance of IEDC TFD. to capital WIP	136	1,35

NOTE NO.12 NON-CURRENT INVESTMENTS

					(₹ in Lakhs)
	PARTICULARS	Market Value as at 31-03-2014	Book Value as at 31-03-2014	Market Value As at 31-03-2013	Book Value as at 31-03-2013
_	Ferm Investments d Shares (Fully Paid) At Cost				
Ar ₹5	Equity Shares of ₹ 10/-each of higher Cement Co Ltd. M. value @ 5.64 per share on NSE (Previous year 5.55 per Share)	@	@	@	@
Sh Co Ne Ma	0 Equity Shares (Including 180 Bonus pares) of ₹ 10/- each of ACC Ltd. converted from 28 shares of ₹ 100 each, ew shares certificates are awaited parket Value @ ₹ 1362.00 Per share on SE (Previous Year ₹ 1159.20 per Share)	3	@	3	@
Unquo	oted Shares (Fully Paid) At Cost				
	Equity Share of ₹ 10/- each of Assam engal Cement Co Ltd.*		@	-	@
	Equity Shares of ₹ 10/- ch of Jaipur Udyog Ltd.		@	-	@
	Equity Shares of ₹ 5/- ch of Sone Valley Cement Co. Ltd	-	@	-	@
of /	31520 Equity Shares of ₹10/- each A P Gas Power Corporation Ltd. cl 2315520 Bonus Shares) (1610680	3,22		3,22	
Sh of	ares sold including 134000 Bonus ares) Balance Held 3920840 Shares ₹ 10/- each (Including 2181520 onus Shares)		2,28	94	2,28
то	TAL NON-CURRENT INVESTMENTS		2,28		2,28
Aggre	gate of Quoted Investments				
Cost		-	@	-	@
Market	t Value	3	-	3	-
	gate of Unquoted Investments		0.00		0.00
Cost			2,28		2,28
TO	OTAL NON CURRENT INVESTMENTS		2,28		2,28



^{*} Yet to be transferred in the name of the Corporation







NOTE No. 13 LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(▼ in Lakh			
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013	
Capital Advances - Secured, Considered Good - Unsecured, Considered Good - Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	61 1,91 13 13	61 1,91 13 13	
Sub Total	2,52	2,52	
Deposits - Central Excise - Secured, Considered Good - Unsecured, Considered Good - Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances Sub Total	0 1,48 28 28 ———————————————————————————————	0 1,85 28 28 ———————————————————————————————	
Other Deposits - Secured, Considered Good - Unsecured, Considered Good - Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 10,52 25 25	0 9,75 16 16	
Sub Total	10,52	9,75	
Contractors & Suppliers - Secured, Considered Good - Unsecured, Considered Good - Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 43 2,62 2,62	0 79 2,33 2,33	
Sub Total			
Balance with Govt. Deptt. - Secured, Considered Good - Unsecured, Considered Good - Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 1,29 52 52	0 1,18 52 52	
Sub Total	1,29	1,18	

NOTE No. 13 LONG TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

(₹ in .		
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
Insurance & Claims Others	III/AROTT 2014	1017 (1 (0112010
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	49	75
- Doubtful	2,04	1,78
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	2,04	1,78
Sub Total	49	75
Loans & Advances to Employees		
- Secured, Considered Good	1	1
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Loan & Advances	0	0
Sub Total	1	1
Claims Recoverable Railways		
- Secured, Considered Good	0	0
 Unsecured, Considered Good 	7	7
- Doubtful	3,88	3,88
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	3,88	3,88
Sub Total	7	7
ED Relief Recoverable		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	29	29
- Doubtful	93	93
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	93	93
Sub Total	29	29
Recoverable from Employees		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	1	1
- Doubtful	8	8
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	8	8
Sub Total	1	1
Recoverable from Outside Party		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	2,15	2,34
- Doubtful	8,55	7,16
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	8,55	7,16
Sub Total	2,15	2,34
Shortage Losses pending Investigation		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	5,90	5,90
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	5,90	5,90
Sub Total	0	0
Grand Total	19,26	19,56





NOTE No. 14 OTHER NON CURRENT ASSETS

		(₹ in Lakhs)
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
A) Long Term Trade Receivable (Including Trade Receivable on Deffered Credit Term): B) Interest Accrued and Due on Loans & Advances	0	0
(Unsecured, Considered Good)	75	76
Total	75	76

NOTE No. 15 UNAMORTISED EXPENSES

(₹ in Lakhs)

		((246)
PARTICULARS	AS AT 31ST	AS AT 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Quarry Development Expenditure Opening Balance Additions	15,93 2,46	14,98 3,52
	18,39	18,50
Less : Adjusted/Capitalized	1,74	2,57
Total	16,65	15,93

NOTE No. 16 CURRENT INVESTMENTS

AS AT 31ST	AS AT 31ST
MARCH 2014	MARCH 2013
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
	0 0 0 0

NOTE No. 17 INVENTORIES (As Verified, Valued and Certified by the Management)

50 सी सी आई CCi

		(₹ in Lakhs)
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
a) Stores and Spares -In Stock -In Transit	66,52 12	70,40 29
Total	66,64	70,69
b) Work in Progress -In Stock -In Transit	39,94	51,91 0
Total	39,94	51,91
c) Finished Goods -In Stock -In Transit	16,07 2,87	9,87 7,50
Total	18,94	17,37
d) Raw Materials -In Stock -In Transit	9,87 3	10,00 2
Total	9,90	10,02
e) Loose Tools -In Stock -In Transit	1 0	2 0
Total	1	2
f) Packing Materials -In Stock -In Transit	92	51 0
Total	92	51
g) Coal -In Stock -In Transit	9.20 0	8,61 0
Total	9,20	8,61
h) Scrap -In Stock -In Transit	3,44	3,33
Total	3,44	3,33
Total Inventory	1,48,99	1,62,46
Less: Unrealisable Inventory	11	10
Grand Total	1,48,88	1,62,36



NOTE No. 18 TRADE RECEIVABLES

		(₹ in Lakhs)
PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
A) Trade Receivables Outstanding for a period exceeding six months:-		1411 11 12 12 12
-Sucured, Considered Good	48	0
-Unsecured, Considered Good	34	5,00
-Doubtful	15,11	12,02
Less: Allowances for bad and doubtful debts	15,11	12,02
Total (A)	82	5,00
B) Others Trade Recivables:		
-Sucured, Considered Good	72	72
-Unsecured, Considered Good	9,05	10,95
-Doubtful	0	0
Less: Allowances for bad and doubtful debts	0	0
Total (B)	9,77	11,67
Total (A+B)	10,59	16,67

NOTE No. 19 CASH AND CASH EQUIVALENTS

PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2014	AS AT 31ST MARCH 2013
Cash in hand	2	3
Remittances in transit	0	0
Cheques / DD in hand	1,33	72
Bank Deposits*	1,50,54	1,57,11
Balance with Banks - on Current Accounts	7,71	11,81
Total	1,59,60	1,69,67
Bank Balances held as margin money in form		
of FDR's Against Guarantees/Latter of credit		
Guarantees	8,08	7,05
Letter of Credit	0	0
Grand Total	1 67 60	1 76 70
Granu Iotai	1,67,68	1,76,72

^{*}Note: Bank deposits includes deposits of ₹80.00 lakhs (Previous Year ₹2470.00 Lakhs) whose maturity period is more than 12 months.

NOTE No. 20 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

		(₹ in Lakhs)
ARTICULARS	AS AT 31ST	AS AT 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Balance with Govt. Deptt.		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	3,28	3,42
-Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	3,28	3,42
Contractors & Suppliers -Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	8,32	5,09
-Doubtful	3	0,00
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	3	0
Sub Total	8,32	5,09
Other Deposit		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	2,88	10
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	2,88	10
Insurance & Claims Others		
Secured, Considered Good	0	0
Unsecured, Considered Good	15	8
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	15	8
Laons & Advances to Employees		
-Secured, Considered Good	2	4
-Unsecured, Considered Good	9	11
-Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	11	
ED/Vat Relief Recoverable -Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	6,70	5,81
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	6,70	5,81
Recoverable from Employees		
-Secured, Considered Good	33	21
-Unsecured, Considered Good	29	01
-Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	62	22





NOTE No. 20 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

(₹ in Lakhs)

	•
AS AT 31ST	AS AT 31ST MARCH 2013
0 6,00 65 65	0 6,74 0 0
6,00	6,74
28,06	21,61
	0 6,00 65 65 65

NOTE No. 21 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ in Lakhs)

		<u> </u>
PARTICULARS	AS AT 31ST	AS AT 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Interest Accrued on term deposit	8,88	9,42
Total	8,88	9,42

NOTE No. 22 OTHER INCOME

		(Z III Lakiis)
PARTICULARS	FOR THE YEAR	FOR THE YEAR
	ENDED 31ST	ENDED 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Income from		
Rent from Property	10,47	8,89
Interest on loans and Advances-Employees.	7	11
Receipts form Township	47	43
Prior Period Income (Net) (Note No. 28 B)	0	4,98
Excess Provision written back	31	2,48
Bank Interest	17,25	18,24
Misc. Income	4,82	4,46
Profit on sale of Discarded Assets	30	72
Total	33,69	40,31

NOTE No. 23 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

			(₹	in Lakhs)
PARTICULARS	FOR THE YEAR EN	IDED	FOR THE YEA	R FNDFD
	31ST MARCH 2		_	RCH 2013
Opening Balance		0,00	01011111	10,82
Acquisition during the year	10	0,00		10,02
Limestone Raising, Quarrying & Transportation @	2/	4,85		24,53
(Refer Details below)		4,03		24,00
Other Raw Materials Purchased	16	6,28		11,40
Other Naw Materials Furbridged				
Sub total	51	1,13		46,75
Less Closing Stock		9,87		10,00
Ğ	_			
Total Raw Materials Consumed	41	1,26		36,75
@ Limestone Raising, Quarrying &				
Transportation				
Limestone Raising & Payments to Contractors	!	5,63		6,72
Employees Remuneration & Benefits		0,00		0,. =
Salaries, Wages & Bonus	4,91		4,49	
Gratuity Paid	9		16	
Benefits to Employees	0		4	
Contribution to Provident Fund	28		25	
Contribution to Pension Fund	5		6	
Leave Encashment	9		9	
Medical Expenses	23		14	
Provision for Gratuity	61		32	
Provision for Earned Leave	30		16	
Stores Consumed		6,56		5,71
Gross Amount	2,84		2,72	
Less: Amount Included under Repairs	1,87		1,46	4.00
5		97		1,26
Power	63		65	
Fuel	60		30	
Rates & Taxes	15 0		23 2	
Insurance Royalty & Cess	7,18		7,04	
Quarry Development Expenditure written Off	1,74		2,57	
Travelling Expenses	1		2,57	
Other Expenses	1,87		1,97	
Depreciation	10		10	
		2,28		12,89
Repairs-Machinery	99	, -	67	,
- Building	6		10	
- Others	82		70	
	1	1,87		1,47
Sub Total		7,31		28,05
Less: Quarry Development Expenditure		2,46		3,52
Total	24	4,85		24,53







NOTE No. 24 CHANGE IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

				11
PARTICULARS	FO	R THE YEAR	F	OR THE YEAR
	E	ENDED 31ST		ENDED 31ST
	N	MARCH 2014		MARCH 2013
Semi-Finished Goods				
- Closing Stock	39,94		51,91	
- Opening Stock	51,91		38,65	
		(11,97)		13,26
Finished Goods				
- Closing Stock	16,07		9,87	
- Opening Stock	9,87		5,82	
		6,20		4,05
Finished Goods in Transit				
- Closing Stock	2,87		7,50	
- Opening Stock	7,50		6,57	
		(4,63)		93
Scrap Stock				
- Closing Stock	3,44		3,33	
- Opening Stock	3,33		3,60	
		11		(27)
Total Accretion/(Decretion)		(10,29)		17,97

NOTE No. 25 EMPLOYEES BENEFITS EXPENSES*

(₹ in Lakhs)

		//
PARTICULARS	FOR THE YEAR	FOR THE YEAR
	ENDED 31ST	ENDED 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Salaries, Wages & Bonus	44,02	40,77
Gratuity Paid	55	1,03
Benefits to Employees	8	13
Provision for Earned Leave	2,57	2,20
Contribution to Provident Fund	2,91	2,52
Contribution to Pension Fund	44	54
Medical Expenses	2,60	2,59
Leave Encashment	1,25	78
Provision for Gratuity	4,52	3,84
Staff Welfare Expenses	2,02	2,10
Total	60,96	56,50
*Includes CMD and Directors Remuneration as under;	-4	0.4
Salaries and Allowances	74	64
Contribution to Provident Fund	5	4
Contribution to Employed Pension Fund	0	0
Provision for Gratuity	5	4
Other Benefits	2	5
Earned Leave Liability	4	4

In addition, Chairman & Managing Director and full time Directors are also allowed use of company vehicle for non duty journey upto 1000 kms. per month on payment of ₹ 2000/- per month.







NOTE No. 26 OTHER EXPENSES

(₹ in Lakhs)				
PARTICULARS	F	OR THE YEAR	FO	R THE YEAR
		ENDED 31ST	E	ENDED 31ST
		MARCH 2014	N	MARCH 2013
Power	63,58		46,32	
Coal	86,01		78,90	
Fuel Oil	17		2,58	
Rent	22		24	
Excise Duty	2,47		2,13	
Rates & Taxes	3,10		1,08	
Insurance	19		28	
Sub-Total		1,55,74		1,31,53
Repairs & Maintenance				
Plant & Machinery	13,17		11,94	
Buildings	1,91		1,39	
Others	3,52	40.00	2,85	40.40
Total		18,60		16,18
Other Production Expenses		8,64		6,71
Tools & Tackles Written Off		2		2
Travelling Expenses		1,03		1,17
Selling Expenses	24.00		20.04	
Freight on Cement	31,06		28,94	
Handling Charges Secondary Transporation	7,50 10		4,00 0	
Octoroi Paid	10 5		25	
Sales Promotion & Publicity	18		11	
Other Selling Expenses	20		4	
Total Selling Expense	20	39,09	7	33,34
Running Expenses of Vehicles		44		42
Auditors' Remuneration				72
Audit Fee	4		4	
Reimbursement of Expenses	1		2	
In Other Capacity	1		1	
Total Auditors Remunerations		6		7
Cost Audit Fee	1		1	
Cost Audit Expenses	0		0	
Total Cost Audit Expenses		1		1
Subscriptions to CRI & Others		8		6
Losses on Disposal of Fixed Assets		0		0
Communication Charges		33		35
Printing & Stationary		26		25
Hire Charges on Data Processing		2		2
Legal and Professional Fees		99		73
Security Expenses		3,83		3,01
Training of Workers & Supervisors		4		4
Miscellaneous Expenses*		3,34		2,99
Payment to Contract Labour		2,99		2,32
Expenses on closed project		22		9
Provision for Doubtful Debts & Advances		5,84		1,05
Prior Period expences (Net)		27		0
Refr Note No. 28(B)]				
Sub-Total		2,41,84		2,00,36

NOTE No. 26 OTHER EXPENSES (contd...)

Stores and Spare Parts Gross Amount Less: Incld. Under Repairs & Maint.	15,54 10,99	12,94 8,40	
Net Stores & Spares Consumed Packing Materials	4,55 14,25		4,54 10,80
Total	2,60,64		2,15,70
*Includes :- Entertainment Expenses Director Sitting Fees	 0 2		0 2



NOTE No. 27 FINANCE COST

(₹ in Lakhs)

		' ' '
PARTICULARS	FOR THE YEAR	FOR THE YEAR
	ENDED 31ST	ENDED 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Interest on		
-Deposits From Stockists	13	12
-Others	2,82	4,34
Total	2,95	4,46

NOTE No. 28 EXCEPTIONAL, EXTRA ORDINARY ITEMS & ADJUSMENTS RELATING TO PAST YEARS

Note No. 28 (A) Exceptional Items

PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013
Income		
Waiver of Interest /penalty as per Sanctioned Scheme	43,05	7,57
Total Exceptional Income (i)	43,05	7,57
Expenses		
Interest	0	4,02
Total Exceptional Expences (ii)	0	4,02
Net Exceptional Items Income/ (Expenses) (i-ii)	43,05	3,55
(Expenses) (I-II)		



NOTE: No. 28 (B) PRIOR PERIOD ITEMS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FOR THE YEAR	FOR THE YEAR
	ENDED 31ST	ENDED 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Income		
Raw Materials	1	0
Stores & Spares	0	617
Employees Remuneration & Benefits	2	0
Sales	1	1
Repairs & Maintenance	12	0
Rates and Taxes	4	0
Interest	11	0
Power & Fuel	0	6
Total Prior Period - Income (i)	31	6,24
Expenses		
Repairs & Maintenance	18	9
Raw Materials	0	1,04
Stores & Packing Materials	8	0
Demurrage	0	5
Selling Expenses	5	0
Power & Fuel	0	1
Rates and Texes	12	0
Freight Charges	0	7
Others	15	0
Total Prior Period Expenses (ii)	58	1,26
Net Prior Period Income / (Expenses) (i-ii)	(27)	4,98

NOTE: No. 28 (C) EXTRA-ORDINARY ITEMS

		11
PARTICULARS	FOR THE YEAR	FOR THE YEAR
	ENDED 31ST	ENDED 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
Income	0	0
Total Extra Ordinary Income (i)	0	0
Expenses		
Loss due to Burglary/theft at AKO	0	4,93
Total Extra-Ordinary Expenses (ii)	0	4,93
Net Extra-Ordinary Income/(Expenses) (i-ii)		(4,93)
Not Extra-ordinary moonie/(Expenses) (i-ii)		(1 ,93)

NOTE: NO. 28 (D)

STATEMENT OF REVENUE & EXPENSES OF CONTINUING AND DISCONTINUING OPERATION FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014



	Continuing Operation Discontinuing Operation Total									
PA	RTICULARS	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13			
A.	Revenue :-									
Oth Acc Ser	nover (Net) er Operationg Revenue cretion/(Decretion) to mi-Finished Goods and	3,23,89 63	2,84,27 3,08	0	0	3,23,89 63	2,84,27 3,08			
Fini	ished Goods	(10,29)	17,99	0	(2)	(10,29)	17,97			
Tota	al Income	3,14,23	3,05,34	0	(2)	3,14,23	3,05,32			
B.	Expenses:-									
Оре	erating Expenses	3,56,62	3,18,64	15,19	13,04	3,71,81	3,31,68			
Tota	al Expenses	3,56,62	3,18,64	15,19	13,04	3,71,81	3,31,68			
C.	Profit/(Loss) before interest & tax from Operationg Activities	(42,39)	(13,30)	(15,19)	(13,06)	(57,58)	(26,36)			
	Interest Expenses	1,83	2,95	1,12	1,51	2,95	4,46			
D.	Profit/ (Loss) Before Tax	(44,22)	(16,25)	(16,32)	(14,57)	(60,54)	(30,82)			
E.	Income Tax	0	0	0	0	0	0			
F.	Profit/(Loss) from Operating Activities after Tex	(44,22)	(16,25)	(16,32)	(14,57)	(60,54)	(30,82)			
G.	Other Income	31,44	36,63	2,25	3,68	33,69	40,31			
H.	Exceptional items-Income/ (Expenditure)	0	0	43,05	3,55	43,05	3,55			
I.	Extra Ordinary items-Income /(Expenditure)	0	0	0	(4,93)	0	(4,93)			
J.	Net Profit/(Loss) from Operating Activities	(12,78)	20,38	28,98	(12,27)	16,20	8,11			



NOTE No. 29 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS-(TO EXTENT NOT PROVIDED FOR)

PARTICULARS	AS AT 31ST	AS AT 31ST
	MARCH 2014	MARCH 2013
A) Contingent Liabillities		
a) Claims against the company not acknowledged as debts	4,52,39	4,34,44
b) Other money for which company is contingently liable	0	0
Total (A)	4,52,39	4,34,44
B) Commitments a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital accounts and not provided for	1,66,09	1,73,64
b) Other Commitments (specific nature)	0	0
Total (B)	1,66,09	1,73,64
Total (A+B)	6,18,48	6,08,08

NOTE No. 30 NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

- 1. No effect has been given in the Accounts for claims counter claims lodged by the Corporation for ₹8452.41 Lakhs (Previous year ₹7243.53 lakhs) which are under arbitration pending in Courts etc. as the outcome will be known only when award decree etc. are given.
- 2. (i) No provision is made or considered necessary for Sales Tax liability on account of non-receipt of 'C', 'D' and FI B-1! forms etc. upto the Balance Sheet date for ₹ 355.85 Lakhs (Previous year ₹ 269.21 lakhs) as the same are expected to be received before final assessment is completed and/or appeals are finalized. ..
 - (ii) No provision has been made in respect of demands made for Sales Tax and Property Tax aggregating to ₹ 1900.23 lakhs (Previous year ₹ 1900.23 lakhs) as the demands are Sub-judice.
 - (iil) During the year Income Tax Deptt. raised a demand of ₹ 2961.22 lakhs for the Assessment Year 2007-08 vide order dated 31-03-2014 in respect of penalty levied u/s 271(1) (c) of the Income Tax Act. 1961 on account of concealment of income to the tune of ₹ 87,98,64,000/- mainly on withdrawal of interest waived under the rehabilitation scheme approved by BIFR vide its order dated 03-05-2006. No provision in the accounts has been considered in view of the appeal against the order and the corporation also strongly believes the deletion of penalty in view of circular no. 5/2009 dated 2/07/2009 of the CBDT and Sanctioned Scheme of Hon'ble BIFR.
 - (Iv) In terms of orders of the Assessing Officers (Income Tax Deptt.) for the Assessment Years 2006-07 & 2007-08, the Assessing Officers assessed income of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{$}}$ 885,00,87,850/- and $\stackrel{?}{\stackrel{?}{$}}$ 87,98,64,000/- respectively and adjusted the same with brought forward losses of the company. In view of the same, the assessed losses of the company have been reduced by $\stackrel{?}{\stackrel{?}{$}}$ 972,99,51,850/- The company has filed appeals and same are subject to decision of Appellate Authorities.
- 3. Title deeds for land measuring, 1.06 acres (Mandhar), 5 Bighas (Bokajan), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. Further, the allotment of land measuring 14.20 acres (Delhi Grinding Unit) on lease hold basis for 99 years was cancelled by the DDA against which CCI has filed an appeal before the Hon'ble Delhi High Court which has ordered to maintain status quo.
- 4. Mining leases in respect of Mandhar 1056.98 acres, Kurkunta 105.22 hectares, Nayagoan 336.85 hectares, Akaltara 398.65 hectares, Adilabad . 839.393 hectares, Rajban 172.30 Hectares and Tandur 1516.07 acres, have expired. The applications for renewal of mining leases have been filed. Pending renewal of these lease deeds, the limestone is being removed, wherever required for manufacture of clinker/cement on provisional basis.
- (i) No provision has been made in the accounts for the consideration, if any, payable for acquisition
 of Government lands, outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to
 National Highway No. 7 admeasuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue
 Department.
 - (ii) Railway siding of Jagadhari is operational since 1980 by the Rajban unit as CCI private Railway siding. During the year, Sr. Divisional Manager (Commercial), Ambala Cantt. vide letter no 641 C/264/JUD dated 13-06-2013 raised a demand of ₹ 1308.66 lakh as license fee for the period from 0104- 2010 to 31-03-2014 which is not tenable. The Railways has been informed about this unjustified action vide our letter dated 24-06-2013. Therefore no provision is considered necessary.
- 6. (i) Liability for un-paid Excise Duty amounting to ₹88.56 lakhs (Previous year ₹30.54 lakhs) has been provided for in respect of 16912.693 MT (Previous year 6316.450 MT) of closing stock







of naked cement lying in Silos as on 31 st March, 2014. Liability for cess amounting to ₹ 0.13 lakhs (Previous year ₹ 0.10 lakhs) has also been provided for on cement stock of 16912.693 MT (Previous year 6316.450 MT) as on 31 st March .2014. However, the said treatment does not vitiate true and fair view of Statement of Profit & Loss of the Corporation.

- (ii) Specified industrial units existing before 7th January'2003 and undertaking substantial expansion of at least 25% by 31.03.2010 are exempted for payment of excise duty on finished goods. However, in case of Rajban unit, Excise Authorities has raised demand of ₹ 1375.00 lakhs on account of excise duty on "Clinker" which is being produced in the course of cement production and is being captively consumed, for which no provision is considered necessary. Although Excise Duty of ₹ 227.71 lakhs for the period Sept. 2012 to Feb. 2013 was deposited under protest, the case of excise duty is pending before the Hon'ble Supreme Court and Commissioner (Appeal), Central Excise.
- 7. The shares of various Companies (face value of ₹.37.79 lakhs), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹ 214.00 lakhs taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹ 2.80 lakhs (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.
- 8. Pending execution of lease deed in favour of the Corporation in respect of Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹ 266.58 lakhs excluding Electrical Installation of ₹ 5.70 lakhs, is being amortised provisionally @ 1.63% per annum by way of depreciation.
- 9. A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25.04.96. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at six units and employees have been separated under VSS except Adilabad unit where matter is pending before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh. Further the sanctioned scheme is under implementation
- (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies etc. will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.
 - (ii) Plan Loan from Government of India (interest free) amounting to ₹150.90 crores (Previous year ₹150.90 crores) will be repaid from the sale proceeds of seven non operating units as per the sanctioned scheme dated 3rd May 2006 of Hon'ble BIFR.Further,interest accrued amount of ₹123.85 crores on Non Plan Loan provided by Govt.of India has been freezed with effect from 01.04.2011.The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.
- 11. Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

i)	Mandhar (Chhatisqarh)	06/06/1996
ii)	Charkhi Dadri (Haryana)	14/08/1996
iii)	Akaltara (Chhatisgarh)	09/12/1996
iv)	Nayagaon (Madhya Pradesh) & Nayagaon Expansion	30/06/1997



B) Bhatinda Grinding Unit Not commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 and sanctioned scheme circulated on 03.05.2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure / sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of a potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

- 12. The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with *Mis.* India Cement Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.
- 13. As per Sanctioned Scheme of Hon'ble BIFR and approval of concerned authorities an amount of ₹ 4304.95 lakhs being waiver of interest, penalty etc. in respect of outstanding Mining / Power dues has. been written back and shown under Exceptional Income in Note No. 28A.
- 14. Deferred Tax Assets/Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.
- 15. Depreciation on fixed assets is charged off as per rates and manner provided in Schedule-XIV of the companies Act., 1956, except in the cases of certain electrical installation and non plant residential buildings where the same has been charged at rates which are higher than those prescribed in Schedule-XIV of the companies Act., 1956 (Details given in Note-10).
- 16. For classification of current and non current balances under current liabilities, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.
- 17. Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under AS-17 is not applicable.
- 18. Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 5 & 9

₹(in Crores)

Units	Opening Balance		Adjustment/ Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
Year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Gratuity	36.04	32.01	0.10	0.11	5.14	4.14	41.08	36.04
Bonus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital work in progress	0.03	0.03	0.00	0.00	0.44	0.00	0.47	0.03
E. L. liability	14.94	12.84	0.06	0.26	2.87	2.36	17.75	14.94
Others	57.11	58.25	16.98	58.66	16.52	57.52	56.65	57.11





19. Details of interest due / paid to MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

(₹in lakhs)

S.No	Description	Current Year	Previous Year
1.	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	133	116
2.	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	288	274
3.	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	0	0
4.	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	0	0
5.	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	14	16
6.	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	288	274

20. Employee's Benefits as per Accounting Standard 15 (Revised-2005)

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 (Revised-2005) – Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of P.F. at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability of gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated EL, HPL etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefit

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependants at the time of Superannuation. This is recognized in the Profit & Loss Account on the basis of acturial valuation.

The summarize position of various defined benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:-

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹in lakhs)

		Grat	uity	Leave encahsment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014
a)	Current service cost	132.06	147.05	66.25	77.47	0.98	1.04
b)	Interest cost	246.97	279.25	101.54	118.30	2.01	2.14
c)	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	135.73	121.77	118.43	201.73	(0.13)	(0.53)
d)	Expenses recognized in the statement of profit & losses	514.75	548.07	286.22	397.50	2.85	2.66



B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹in lakhs)

		Gratuity		Leave encahsment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014
a)	Present value of obligation as at the end of the period	3490.67	3994.19	1478.75	1759.72	26.81	29.31
b)	Funded status/ Difference	(3490.67)	(3994.19)	(1478.75)	(1759.72)	(26.81)	(29.31)
c)	Net asset/ (liability) recognized in balance sheet	(3490.67)	(3994.19)	(1478.75)	(1759.72)	(26.81)	(29.31)

C. Change in present value obligation

(₹in lakhs)

		Grat	tuity	Leave encahsment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2014	31.3.2014
a)	Present value of obligation as at the beginning of the period	3087.15	3490.67	1269.31	1478.75	25.06	26.81
b)	Interest cost	246.97	279.25	101.54	118.30	2.01	2.14
c)	Current service cost	132.05	147.05	66.25	77.47	0.98	1.04
d)	Benefits paid	(111.22)	(44.56)	(76.78)	(116.53)	(1.10)	(0.15)
e)	Actuarial (gain)/ loss on obligation	135.72	121.77	118.43	201.73	(0.13)	(0.53)
f)	Present value of obligation as at the end of the period	3490.67	3994.19	1478.75	1759.72	26.81	29.31



D. Amount for the current period

(₹in lakhs)

		Grat	uity	Leave encahsment		ment Other defin retirement be	
		31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014
a)	Present value of obligation as at the end of the period	3490.67	3994.19	1478.75	1759.72	26.81	29.31
b)	Surplus/(Deficit)	(3490.67)	(3994.19)	(1478.75)	(1759.72)	(26.81)	(29.31)

E. Actuarial Assumptions

S.No.	Description	As at 31.3.2014
i)	Retirement Age	60 years
ii)	Age	Withdrawal rate: % Upto 30 years - 00.00 From 31 to 44 - 1% Above 44 - 1%
iii)	Discounting rate	8.5 %
iv)	Future salary increase	6.5%
v)	Expected return on plan assets	-

- 21. Balances shown under advances, debtors and creditors etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny and adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.
- 22. No effect has been given in the books of Accounts for cases lying in various Courts for compensation / promotion/ claims of employees for service matters etc. as the amount thereof is unascertainable.
- 23. Figures of the previous years have been split up and regrouped wherever necessary so as to correspond to the current year figures.

Place: New Delhi Sd/- Sd/- Sd/- Sd/- Dated: 03/07/2014 (AKSHARMA) SCAGRAWAL (R.P. TAK)

Dy. Company Secretary Director -Finance Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached

For SPG ASSOCIATES Chartered Accountants FIRM REG. NO-011217N

Place: New Delhi (S P GOEL)
Dated: 03/07/2014 Partner

Membership No. 083131

NOTE No. 31 QUANTATIVE DETAILS

(₹in lakhs)						
PARTICULARS	CUF	RENTYEAR	PREVI	OUS YEAR		
1. Actual Production 1.1 Portland cement Ordinary Pozzolana TOTAL	756905 79360 836265	M. Tonnes M. Tonnes M. Tonnes	628555 79450 708005	M. Tonnes M. Tonnes M. Tonnes		
2. Clinker (A pre cement stage,material & not an additional product)	740490	M. Tonnes	700155	M. Tonnes		
2.1 Clinker Purchased3. Cement Despatches	0 831049 Quantity M. Tonnes	M. Tonnes M. Tonnes Value (₹ in lakhs)	49922 705614 Quantity M. Tonnes	M. Tonnes M. Tonnes Value (₹ in lakhs)		
4. Opening Stock Stock at Factory Cement OPC Cement PPC Stock at Dumps Cement OPC Cement PPC Cement PPC	1,05,45 35,41 1,24,61 3,84	3,31 1,38 4,99 19	82,97 33,97 53,33 1,36	2,48 1,18 2,10 6		
In Transit OPC In Transit PPC Set/ Damaged Cement Cement OPC Cement PPC	1,88,97 1,32 59,37 30,16	7,43 7 0	1,72,58 2,64 59,37 30,16	6,45 12 0 0		
TOTAL	5,49,13	17,37	4,36,38	12,39		
Clinker Clinker (Purchase)	25,74,45 0	47,89 0	17,59,78 1,07,11	35,91 2,23		
TOTAL	25,74,45	47,89	18,66,89	38,14		
5. Net Sales Incl. self consumption / transfer (A) Cement OPC (B) Cement PPC (C) Self Comsumption OPC (D) Self Comsumption PPC (E) Export of cement	75,12,03 8,09,34 8,25 0	3,19,63 0 0 0 0	61,36,73 7,91,86 33,16 2 0	2,83,32 0 0 0 0		
TOTAL	83,29,62	3,19,63	69,61,77	2,83,32		
(F) Clinker	1,79,99	4,26	36,55	95		
TOTAL 6. a) Closing Stock - Cement	1,79,99	4,26	36,55	95		
6. a) Closing Stock Stock at Factory Cement in Stock OPC PPC Stock at Dumps Cement in Stock OPC PPC In Transit OPC In Transit PPC Set / Damaged cement OPC Set / Damaged cement PPC	1,89,24 3,78 2,14,54 10,64 61,81 7,92 59,37 30,16	6,53 17 8,77 60 2,42 45 0	1,05,45 35,41 1,24,61 3,84 1,88,97 1,32 59,37 30,16	3,31 1,38 4,99 19 7,43 7 0		
Total	5,77,46	18,94	5,49,13	17,37		





NOTE No. 31 QUANTATIVE DETAILS (Contd...)

(₹ in lakhs)

Chairman & Managing Director

PARTICULARS	Currer	nt Year	Prev	vious Year
b) Closing Stock-Clinker Clinker in Stock Clinker (Purchase) c) Cement - Used for Testing Stock transfer to unit OPC Shortages during transit OPC Shortages during transit PPC	17,59,77 0 0 0 4,66 4	36,34 0 0 0 0	25,74,45 0 0 0 5,51 2	47,89 0 0 0 0 12
Total 7. Clinker - Used for cement grinding 8. Raw Materials Consumed	4,70 80,39,59	2,10,19	5,53 67,56,66	1,85,59
Limestone Laterite Iron ore Gypsum Shale Fly Ash Burnt Clay Others	1,09,04,35 89,97 1,96,51 1,78,01 4,72,29 1,10,03 84,44	25,24 28 8,47 4,96 1,21 82 28	1,02,13,67 83,61 1,57,27 1,74,66 5,19,52 1,54,67 51,80	23,61 20 6,30 4,40 73 1,29 22
Total Raw Material Consumed		41,26	-	36,75
 9. Value of Imports calculated on CIF basis in respect of Raw Materials Components & Spare parts Capital Goods 10. Value of all imported Raw materials, Spare Parts & Components consumed during the 	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Year and value of all indigenous Raw- materials spare parts and components similary consumed and the percentage of each to total consumtion. - Imported - Indigenous	0.37 99.63	21 56,59	12 88	8,11 41,58
Total	1,00	56,80	1,00	49,69
11. Amount Remitted in Foreign Currency12. Earnning in Foreign Exchange	0 0	0	0 0	0
New Delhi Sd/- Dated: 03/07/2014 (A K SHARMA)	Sd/- SC AGRAWAL	Obstan	Sd/- (R.P. TAK)	- Discrete

As per our report of even date attached
For SPG Associates
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 011217N
Sd/-

Director-Finance

DY. COMPANY SECRETARY

New Delhi Dated: 03/07/2014 (SP GOEL) Partner Membership No. 083131

NOTE No. 32 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting.

The accounts are prepared on historical cost convention adopting the accrual method of accounting except for the following items which are accounted for on cash basis.

- i) Liquidated damages/penalties/claims other than Railway & Insurance made are accounted for on realization and included in miscellaneous Income.
- ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

2. Revenue Recognition.

Sales are stated inclusive of Excise Duty and excluding Vat,/ Sales Tax. Excise duty is shown separately.

3. Land & Amortization.

- i) Land given free by the state Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.
- ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

4. Investments.

- i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

5. Borrowing Costs.

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

6. Inventories.

a) Valuation

- i) Stores, spare parts and raw-materials except as indicated in (ii) below are stated at weighted average cost. The obsolete/unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.
- ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation, it is stated at Nil value.
- iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.
- iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles.

Tools and tackles are written off over a period of three years.





7. Depreciation.

- i) Depreciation on fixed assets is charged off on straight line method at the rates and in the manner as prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.
- ii) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use.
- iii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded, /Sold / demolished/ destroyed.
- iv) Any individual asset whose written down value is ₹5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.
- v) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

8. Deferred Revenue Expenditure.

- i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.
- ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.
- iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupees one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.
- iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of high-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- v) In case there is no un-utilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after1/4/2003 will be recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

9. Prior Period/Extra-ordinary Adjustments.

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹ 10,000/-. In case, the amount is more than ₹ 10,000/- the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its accountal under natural head of accounts of current year / prior period / extra ordinary Expenditure / Receipts.

10. Accountal of Foreign Exchange Transaction.

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to IEDC, (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

11. Government Grants/ Subsidies.

i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific

fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.

- ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.
- iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.
- iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

12. Claims of the Corporation.

- i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.
- ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

13. Deposit Works.

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital-work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

14. Staff Benefits.

- i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service as on 1st January of each year in accordance with the acturial valuation.
- ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service as on 1st January of each year in accordance with the acturial valuation.
- ii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unitwise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

15. Premium on Redemption of Debentures.

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss /IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

16. Pre-paid Expenses.

Expenditure of ₹ 10,000/- or less in each case incurred in advance of the following year(s) are charged off as expenses of the current year.

17. Accounting for Bad & Doubtful Debts/ Loans / Advances etc.

- i) Provision is made for doubtful debts/loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.
- ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

18. Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers.

- i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.
- ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.





- iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.
- iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

19. Classification of Expenditure.

- i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares except as shown as in (ii) below, are charged to Statement Profit & Loss.
- ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance is capitalized e.g. an increase in capacity.
- iii) Salaries and Wages

Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.

iv) Other Sundry Expenses

Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

20. Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant.

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

21. Allocation of Corporate Office Expenditure.

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Place: New Delhi Sd/- Sd/- Sd/- Sd/- Dated: 03/07/2014 (AKSHARMA) SCAGRAWAL (R.P. TAK)

Dy. Company Secretary Director-Finance Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached For SPG ASSOCIATES Chartered Accountants

FIRM REG. NO-011217N

Place: New Delhi (S P GOEL)
Dated: 03/07/2014 Partner

Membership No. 083131

68

Cash Flow Statement for the Year ended 31st March 2014

PARTICULARS		Continuing Operation		Discontinuing Operation Total			
		2013-14	2012-13	2013-14	2012-13		2012-13
Ī.	CASH FROM OPERATING ACTIVITIES						
	Net Profit/Loss (-) after taxation	(12,78)	20,38	28,98	(12,27)	16,20	8,11
	Add:-Adjustment for						
	Depreciation and amortisation (net)	6,68	5,67	2,38	2,44	9,06	8,11
	Profit on disposal of Fixed Assets	29	(72)	1	0	30	(72)
	Provision for doubtful debts loans and advances	5,84	1,05	0	4,93	5,84	5,98
	Finance Cost	1,83	2,95	1,12	1,51	2,95	4,46
	DRE Adjusted Less:-	1,74	2,57	0	0	1,74	2,57
	Interest & other Miscellaneous income	(31,73)	(35,38)	(45,31)	(1,73)	(77,04)	(37,11)
	Excess Provision Written Back	(12)	(53,56)	(19)	(1,75)	(31)	(2,48)
	Executive Follows Williams Buok						
	Operating Profit Before Working						
	Capital Change:-	(28,25)	(4,01)	(13,01)	(7,07)	(41,26)	(11,08)
	Change in working Capital:						
	Adjustment For (Increase)/decrease in operating Assets:-						
	Inventories	12,90	(8,70)	59	1,19	13,49	(7,51)
	Trade receivable	2,99	4,14	0	0	2,99	4,14
	Short and Long term Loans & Advances	(8,82)	2,53	2	(14)	(8,80)	2,39
	Other Current Assets Other Non Current Assets	0	0	0	0	0	0
	Adjustment For (Increase)/decrease in operating Liabilities	_	U	U	U	U	U
	Trade Payable	70	5,16	0	0	70	5,16
	Other Long and Current Liabilities	10,16	6,30	(7,88)	(3,44)	2,28	2,86
	Short and Long Term Provision	7,01	2,17	(1,63)	93	5,38	3,10
	DRE (Addition)	(2,46)	(3,52)	0	0	(2,46)	(3,52)
	Net Cash From Operating Activities	(5,77)	4,07	(21,91)	(8,53)	(27,68)	(4,46)
II.	Cash Flow From Investing Activities				_		
	Purchase of Fixed Assets	2,51	38,69	5,01	0	7,52	38,69
	Receipt on sale of Fixed Asets Work in Progress	(36) 7,98	(72) 7,41	(3)	0	(39) 7,98	(72) 7,41
	Work in Progress	7,90	7,41			7,90	7,41
	Net cash After Investing Activities	(15,90)	(41,31)	(26,89)	(8,53)	(42,79)	(49,84)
III.	Cash from Financing Activities	(10,00)	(, ,	(=0,00)	(0,00)	(,. • ,	(10,01)
	Share Capital	0	0	0	0	0	0
	Funds transferred to non-operating units	(23,96)	(7,36)	23,96	7,36	0	0
	Loan Repayment to Govt of India	0	0	0	0	0	0
	Secured & Unsecured Loans	0	0	0	0	0	0
	Interest and other Receipts	31,70	34,50	2,25	1,73	33,95	36,23
	Interest Paid	(20)	(8)	0	0	(20)	(8)
	Net Cash from Financing Activities						
	Net Increase(+)/ Decrease(-) in Cash & cash Equivalents	(8,36)	(14,25)	(68)	56	(9,04)	(13,69)
	Cash And cash Equivalents (Opening)	1,75,96	1,90,21	76	20	1,76,72	1,90,41
	Cash And cash Equivalents (Closing)	1,67,60	1,75,96	8	76	1,67,68	1,76,72
		.,,	.,. 0,00		. 3	.,5.,00	.,. 0,. =





Reconciliation of cash and cash equivalents:

(₹ in Lakhs)

	Current Year	Previous Year
Cash in Hand	2	3
Cheque in Hand	1,33	72
Bank Deposit	1,50,54	1,57,11
Current Account	7,71	11,81
Bank Balance held under - Guarantees	8,08	7,05
- Letter of Credits	0	0
Total	1,67,68	1,76,72

- 1. Additional working capital, as when needed, is proposed to be met out of own cash resources.
- 2. Bank deposits includes deposits of ₹ 80 Lakh (Previous ₹ 2470 Lakhs) whose maturity period is more than 12 months.

Sd/- Sd/- Sd/- Sd/New Delhi (A K SHARMA) SC AGRAWAL (R.P. TAK)
Dated: 03/07/2014 Dy. Company Secretary Director-Finance Chairman & Managing Director

AUDITORS' CERTIFICATE

We have verified the above CASH FLOW STATEMENT of CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED derived from the audited annual financial statements for the year ended March 31,2014 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached For SPG Associates. Chartered Accountants Firm Reg. No. 011217N

New Delhi SP GOEL (Partner)
Dated: 03/07/2014 Membership No. 083131

Details of Investment & Expenditure on Social Overheads

(₹ in Lakhs) **PARTICULARS CURRENT YEAR** PREVIOUS YEAR **CAPITAL INVESTMENT** 20,41 20,41 Township Vehicles, Furniture & Misc. Equipment 1,64 1,65 **TOTAL-CAPITAL INVESTMENT** 22,05 22,06 **EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEADS** Upkeep & Maintenance of Township 60 53 Depreciation 33 30 Subsidised Canteen 52 51 Subsidised Education 1,05 90 Subsidised Social & Clutural Activities 45 39 Other Expenses 3 3 **TOTAL** 2,92 2,72 **DEDUCTION: RECEIPTS FROM TOWNSHIP** 47 43 TOTAL NET EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEAD 2,45 2,29

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF **CEMENT CORPORATION** OF INDIA LIMITED, NEW DELHI.

REPORT 1. ON THE **FINANCIAL STATEMENTS**

We have audited the accompanying financial statements of CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Navagaon Expansion and Delhi Grinding Unit, Kurkunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding unit and Corporate Office audited by us.

MANAGEMENT'S RESPONSIBLITY FOR 2. THE FINANCIAL STATEMENTS

The Corporation's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the Accounting Standards notified under the Companies Act, 1956 (the Act) read with the General Circular 15/2013 dated 13th September, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013 and in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. **AUDITORS' RESPONSIBILITY**

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform

the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Corporation's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the corporation's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

4. **BASIS FOR QUALIFIED OPINION**

- Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of corporation continues to be pending since long. Further, the allotment of land measuring 14.20 acres on leasehold basis for 99 years in respect of Delhi Grinding Unit has been cancelled by Delhi Development Authority and the matter is pending before the Hon'ble Delhi High Court.[Refer Point No.3 of Note 30].
- Mining lease in respect of various units b. of the Corporation has expired since long. Corporation has applied for renewal which is pending, [Refer Point No. 4 of Note 30].
- Non determination and non-provision of the liability arising out of alienation orders is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI's Adilabad Township and used as road from pump house to national highway, [Refer Point No.5(i) of Note 301.
- d. Pending reconciliation, the effect of





- inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered. [Refer Point no.12 of Note 30].
- e. Interest on Inter corporate loans of Rs.3700.00 lakhs taken by the corporation has not been provided for after the cut off date of 31st March 2005, in terms of BIFR package.
- f. In respect of certain units, no provision has been made for interest on outstanding statutory dues as all the Units have not been following the same practice uniformly. Its impact on the Corporation's profit cannot be quantified, as the amount is not ascertainable.
- g. The balances of certain Trade receivables, Loan and Advances, Trade Payables, Deposits to and from Parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.21 of Note 30]
- h. The Corporation is yet to receive Sales Tax declaration Forms of the value of Rs.355.85 Lakhs (Previous Year Rs.269.21 Lakhs), the impact thereof is not ascertainable. [Refer Point No.2(i) of Note 30]
- i. The Corporation has shown entire Inventory of Rs.4312.35 Lakhs in respect of closed Units under Current Assets as against Non-Current Assets inspite of the fact that this inventory is lying as such since long and there is no probability of consuming it in the normal operating cycle of the Units as the units have been put on sale as per BIFR sanctioned scheme.
- j. Trade Receivables amounting to Rs.1511.00 Lakhs outstanding for more than 3 years have been classified under Current Assets as against Non-Current though they have been identified as Doubtful debts and provided for.
- k. No provision has been made by the corporation in respect of sales tax & property tax aggregating to Rs.1900.23 Lakhs (previous year Rs.1900.23 Lakhs) as the demands are sub-judice, [Refer Point No.2(ii) of Note 30].
- I. No provision for Rs. 1602.71 Lakhs in

- respect of excise duty demand upto February2013 on clinker which is produced in normal course of cement production and being captively consumed at Rajban Unit has been made in the accounts as the issue is under appeal before Hon'ble Supreme Court of India and other appellate authorities. The Unit has deposited Rs. 227.71 Lakhs (including cenvat credit) under protest. (Refer Point No. 6(ii) of Note 30).
- m. During the year, Sr.Divisional Manager(Commercial), Railways, Ambala Cantt vide letter no 641C/264/JUD dated 13.06.2013 raised demand of Rs 1308.66 Lakhson CCI Private Railway siding at Jagadhari as land license fee for the period from 01.04.2010 to 31.03.2014 which unit has declined to accept and informed the Railway Authorities that their demand is unjustified and not tenable. Hence, unit has not considered necessary to create any provision. [Refer Point No.5(ii) of Note 30].
- Assessments for the AY 2006-07 & n. 2007-08 have been completed U/s 143(3) read with section 147 of the Income tax Act'1961 resulting into certain disallowances. As a result, assessed brought forward losses of the Corporation have been reduced by Rs.973.00 Crores against which the corporation has filed appeals which are pending before Appellate Authorities. [Refer Point No.2(iv) of Note 30]. Further, in respect of demand of Rs.2961.22 Lakhs by Income tax Authorities towards penalty u/s 271(1)(c) of the Income tax Act, 1961 for the AY 2007-08, no provision has been made as the matter is pending in appeal and corporation believes it to be deleted in view of the circular no. 5/ 2009 dated 02/07/2009 of the CBDT. [Refer Point No. 2(iii) of Note 30].

5. OPINION

Subject to our observations in Para 4 above and consequential effect thereof, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read together with Note No. 30 & 32, give the information required by the Act in the manner so required

and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2014;
- in the case of Statement of Profit and Loss, of the **Profit** for the year ended on that date; and
- c. in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

6. REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS:

- (i) As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 ("theOrder") issued by the Central Government of India in terms of subsection (4A)of section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.
- (ii) As required by section 227(3) of the Act, we report that:
- a. we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- **b.** in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
- c. the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash FlowStatement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d. in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards notified under the Act read with the General Circular 15/2013 dated 13th September, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013;
- vide notification No. 2/5/2001-CL.V dated 22.03.2002 of the Department of Company Affairs, Government of

Place: GURGAON Date: JULY 3, 2014

- India, Government Companies have been exempted from applicability of the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956.
- f. The financial statements of the corporation have been prepared on going concern basis despite:
- I. It being declared a sick company within the meaning of clause (O) of Section 31 of sick industrial companies (special provision) act 1985.
- Corporation has accumulated losses far in excess of paid up capital and reserves.
- III. BIFR sanctioned scheme pursuant to its order dated 3rd May 2006 for sale of seven factories of the Corporation including two units under Nayagaon expansion.

The company's ability to remain going concern is largely contingent on the successful implementation of revival scheme as envisaged in the BIFR package [Refer Point no. 9 of Note 30). The financial statements do not include any adjustment relating to recoverability and classification of recorded assets and liabilities that may be necessary if the company is unable to continue as going concern.

The company has seven factories and g. a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to Point No. 11 of Note 30. In view of the Management, no provision for impairment of assets under AS -28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is required. Similarly, in the case of current assets. loans and advances and other assets at such factories/units, no provision is considered necessary, for decrease, if any, in realizable value

> For SPG ASSOCIATES Chartered Accountants FRN: 011217N

> > (S.P.GOEL) PARTNER M. No. : 083131





Annexure to Independent Auditors Report

Referred to in Paragraph 6 (i) Under the heading of "Report on other Legal and regulatory requirement" of our Report of even date.

1. In respect of its Fixed Assets:

- a) The corporation has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.
- b) The fixed assets at some of the units have not been verified by the management, at some units these were verified in phased manner, and in other units, these were verified once during the year. In cases where such verification has been carried out, no material discrepancies were noticed.
- c) The assets disposed during the year are not significant and therefore do not affect the going concern assumption.

2. In respect of its inventories:

- As explained to us, the inventory of a) the raw materials, finished goods and A & B category of stores and spares at factory was physically verified and as regard the inventory of C category of stores and spares, the management has a system of physical verification such that all items thereof are physically verified at least once in the block of three years. Accordingly a part of such inventory was physically verified during the year. In our opinion, the frequency of verification needs to be increased in view of size and nature of inventory.
- b) The procedures of physical verification of inventories, except stores & spares followed by the management is reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of its business. In case of stores & spares, at some of the units, such procedures need to be improved in relation to the size and nature thereof.
- c) The Corporation has maintained proper records of inventories and discrepancies noticed on physical verification of inventories as compared

- to book records were not material.
- a) The corporation has not granted any secured & unsecured loan to the other companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
 - **b)** Sub clause (b) is not applicable to the Corporation.
 - c) Sub clause (c) is not applicable to the Corporation.
 - **d)** Sub clause (d) is not applicable to the Corporation.
 - e) The Corporation has not taken any loan, secured or unsecured from companies, firms or other parties covered in register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
 - f) Sub clause (f) is not applicable to the Corporation.
 - g) Sub clause (g) is not applicable to the Corporation.
- 4. In our opinion and according to the information and explanation given to us, there are adequate internal control systems commensurate with the size of the Corporation and the nature of its business with regard to purchase of inventories, fixed assets, sale of goods and services. During the course of our audit, we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in internal control system.
- 5. According to the information and explanation given to us, we are of the opinion that the Corporation has not entered into any transaction that need to be entered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
- **6.** According to the information and explanation given to us, the Corporation has not accepted any deposits from the public. Therefore, the provisions of clause (vi) of the Paragraph 4 of the Order are not applicable to the Corporation.
- 7. In our opinion, the Corporation has internal audit system commensurate with its size and nature of its business. However, the same needs to be strengthened and improved further.
- 8. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Company (Cost Accounting Records) Rules, 2011 prescribed by the Central Govt. under section 209

(1)(d) of the Companies Act, 1956 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been maintained. We have, however, not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.

9. In respect of statutory dues:

According to the records of the Corporation, the undisputed statutory dues including Employees State Insurance, Income Tax, Royalty, Sales Tax, Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, and Excise Duty, Cess have generally been deposited regularly with the appropriate authorities. However, in case of Provident Fund, there has been delay in depositing the dues during the year. In the following undisputed cases, the payment is in arrears as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:

payabi		
Nature of Statute	Nature of dues	Amount (₹In Lakhs)
Local Sales Tax	Sales Tax	1800.50
Corporation Tax	NALA Tax	51.13
Corporation Tax	Property Tax	542.31
Excise & Customs	Service Tax	2.29
Excise & Customs	Excise Duty	11.20
Corporation Tax	Royalty	876.64
Corporation Tax	Entry Tax	12.45
State Government	Mining Cess	86.34
Income tax	Interest on Late payment of Income tax	0.28
Central Sales tax	CST	9.40
Local sales Tax	Surcharge / Additional tax	0.16
Industries (Development and Regulation) Act, 1951	Cess on Cement	14.07

In some of the above cases, amount stated is inclusive of interest provided for non-payment of outstanding dues. In the absence of relevant information, we are unable to quantify the amount of interest included therein.

b) According to the records, there are no dues of Income Tax, Sales Tax, Wealth Tax, service Tax, Custom Duty, excise duty, Cess which have not deposited on account of any dispute, except the following:

Particulars	Nature of dues	Where Pending	Amount (₹ in lakhs)
Sales Tax	Sales Tax	APST Tribunal/ Financial Commissioner/ Appropriate Authority	1884.37
Excise Duty	Excise Duty on clinker	Hon'ble Supreme Court & Other Appellate Authorities	1375.00
ESI Contribution	ESI Contribution on contract labour	Hon'ble BIFR and Regional Director-ESIC	64.61
Income tax penalty	Penalty U/s 271(1)(c) of the Income tax Act'1961	Commissioner of Income Tax (Appeals)	2961.22
Property Tax	Property Tax	Local Panchayat	23.35

- 10. The accumulated losses of the company are more than 50% of its net worth. The Corporation has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit. However the Corporation has also not incurred cash loss during the immediately preceding financial year.
- The Corporation has defaulted in repayment *11.* of principal amount of loan and interest thereon. Details are given as under:

Particulars	Amount	Period of				
	(₹ in Lakhs)	default				
Inter Corporate Borrowings	3700.00	More than 12 years				
Interest accrued on above	6163.15	More than 12 years				
Govt. of India	15090.00	Since Long				

- In our opinion and according to the explanations given to us, the Corporation has not granted any loans or advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures or other securities.
- The provisions of any Special Statute 13.







Applicable to Chit Fund, Nidhi Fund or Mutual Benefit Fund/Societies are not applicable to the Corporation.

- In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Corporation is not a dealer or trader in shares, securities, debentures and other investments.
- 15. In our opinion and according to the explanations given to us, the Corporation has not given any guarantee for loans taken by others from banks and financial institutions.
- 16. As per the explanation and the records of the Corporation, it has not raised any term loans.
- According to the explanations given to us 17. and on an overall examination of the Balance Sheet of the Corporation, we are of the opinion that no fund raised on short term basis has been used for

long term investment and vice a versa.

- 18. According to the explanation given to us, the Corporation has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
- 19. According to the explanations given to us, the Corporation has not issued debentures during the year under audit.
- 20. According to the explanations given to us, the Corporation has not raised any money by way of public issue during the year.
- According to the explanations given to us, 21. no fraud has been noticed or reported during the year under audit on or by Corporation.

For SPG ASSOCIATES

(S.P.GOEL) **PARTNER** M. No.: 083131

Chartered Accountants FRN: 011217N

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT PURSUANT TO SECTION 217(3) OF THE COMPANIES ACT, 1956.

Management's replies to the observations stipulated in the Auditors Report dated 30-07-2014 are given hereunder:-

Para No. 4(a to d & g, h, k to n)

The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30 forming part of the Financial Statement.

Para No. 4(e& f)

Place: GURGAON

Date: JULY 3, 2014

By following the Sanctioned Scheme of Hon'ble BIFR.

Para No. 4(I& j)

By following guidance note on the revised schedule VI of the Companies Act. 1956

Para No. 6 (g)

The position regarding impairment of Assets of non-operating units has been explained in point no 11 of Note 30 of the Financial Statement.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT 1956 ON THE ACCOUNTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2014



I forward the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the Accounts of **Cement Corporation of India Limited** for the year ended 31st March, 2014. These comments may be printed in the Annual Report of the Company.

Sd/-(Suparna Deb) Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board –II New Delhi.

Place: New Delhi. Date: 22.08.2014



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2014

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the on auditing standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 3rd July 2014.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2014. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to the inquireis of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the **Comptroller and Auditor General of India**

Sd/-(Suparna Deb) Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board -II New Delhi.

Place: New Delhi. Date: 22.08.2014

78

Our Employees-Our Greatest Assets

HUMAN RESOURCES

"Human Resources" are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of "Human Resources" is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resources is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between 'Actual' and 'potential' "Human resources" may also be branded as "Mother Resources" through the medium of which other scare resources viz. Machines, material, money are organised, coordinated, directed and controlled. Maximum realisation of the Potentialities of this "Mother Resources" is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management's positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed professionwise and agewise 18.74% of the total employees strength of CCI represent technically and professional qualified, degree/diploma holders. As such 23% of total strength of the organisation are in the age group of 26-50 year. However, average age of our employees comes to 54 years. The broad distribution of CCI's human force is as under:

Professional Profile

SI.	PARTICULARS	No. of employees				
No.		As on 31.3.2014	As on 31.3.2013			
1.	Post Graduate Engineers	2	2			
2.	Engineers with MBA	2	2			
3.	Graduate Engineers	36	35			
4.	CA/ICWA/SAS/ACS	7	7			
5.	MBBS	0	0			
6.	MBAs	30	30			
7.	Engineer Diploma Holders	69	69			
8.	Professional Diploma holders	24	24			
9.	Post Graduate	46	46			
10.	Graduates	138	138			
11.	ITI Certifecate Holders	165	165			
12.	Others	388	388			
	TOTAL	907	906			





The age wise and category-wise distribution of employees as on 31.3.2014 is given below:

	YEARS								
CATEGORY	<33	33- 35	38- 40	43- 45	48- 50	53- 55	58 & Above	Total	Avg. Age
Executives Supervisors Artisans (Skilled workers) Semi Skilled Clerical & other Supporting Staff Unskilled	17 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	8 5 19 5 3	33 14 65 13 22 2	44 44 140 15 55 3	46 67 139 28 65 53	149 130 363 61 145 59	51 56 54 54 55 55
TOTAL	17	1	0	41	149	301	398	907	54
Percentage	2%	0%	0%	5%	16%	33%	44%	100%	54

In the absence of clear cut, well defined and universally accepted model for evaluation of the economic worth of human assets of a company an attempt has been made to assess the same, by working out the present value of the anticipated future earnings of the employees taking into account the present pay scales and the promotional policies being followed. The computation has been based on the guidelines and principles enunciated in the economic models developed by Lev and Schwartz. (1971) Eric Flamholtz (1974) and Taggi and Lau (1974) with appropriate modifications found necessary.

The total value of human assets of the company evaluated on the lines indicated above is as follows:

CATEGORY	As at 31	.3.2014	As at 3	31.3.2013	As at 31.3.2012			
	Value in Lakhs (₹) E	No. of mployees	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees	Value in Lakhs (₹) E	No. of mployees		
Executives Supervisors Skilled Workers Semi-Skilled Workers Clerical & Other Supporting Staff Unskilled workers	84,39.23 57,02.67 1,29,70.97 13,03.90 26,36.83 8,84.41	149 130 363 61 145 59	86,65.39 63,22.61 84,21.47 41,33.75 24,91.26 17,08.67	135 129 256 168 119 99	65,03.49 63,73.55 70,91.33 35,26.87 19,76.06 14,58.61	122 152 254 168 112 99		
TOTAL	3,19,38.01	907	3,17,43.15	906	2,69,29.91	907		

ACTIVITIES & PERFORMANCE PER EMPLOYEE

The performance & other indices of the corporation for the year 2013-2014, 2012-13, 2011-12, measured in terms of per employee are as follows:-

SI.	PARTICULARS	Unit	2013-14	2012-13	2011-12
1.	Production	MT	9,19	7,81	9,42
2.	Sales turn over	₹	3,98,93,40	3,49,40,39	4,08,96,36
3.	Profit/(Loss)	₹	17,80,22	8,95,14	21,42,22
4.	Payments of Employees	₹	66,98,90	62,36,20	72,52,48
5.	Interest on sums borrowed	₹	3,24,18	4,92,27	10,04,41
6.	Provisions for replacement of assets	₹	9,95,60	8,95,14	8,20,28
7.	Social over heads	₹	2,69,23	2,52,75	1,59,87
8.	Value added	₹	1,89,02,20	1,91,22,51	2,32,57,99
9.	Contribution to exchequer	₹	81,48,35	76,41,28	94,24,72
10.	Total Capital investment	₹	24,23,08	1,94,53,64	1,10,17,64
11.	Capital employed	₹	1,90,52,75	1,83,09,05	1,83,15,32

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 01/01/2014 and number of appointments made during the preceding calendar year, as furnished to the Government, is given below:

	Represen	tation of	SCs/S	Ts/OBCs	No	No. of appointments made during the calendar year								
	(As or	n 01/01/2	2014)		By Direct Recruitment			By Promotion			By Deputation/ Absorption			
Groups	Total No. of Emplo yees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A	147	15	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	132	19	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	625	86	91	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	908	124	95	103	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2014, we have a total of 07 Physically Challenged employees in CCI. The group wise manpower strength of Physically Challenged employees in the Company as on 01/01/2014 is given below:

Groups	Num	ees/		Direct Recruitment (During the calendar year)					Promotion									
	(As o	n 01/01	1/2014)		No. of Vacancies Reserved			No. of Vacancies Made (appointed)		No. of Vacancies Reserved			No. of Vacancies Made (appointed)					
	Total	VH	нн	ОН	VH	нн	ОН	Total	VH	НН	ОН	VH	НН	ОН	Total	VH	нн	ОН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Group A	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note: (i) VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)

- HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment) (ii)
- OH stands for Orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)





Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhilai Steel Plant.

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,27)	4,95	(1,29)

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,83)	(1,36)	(1,15)

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in diffcult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighbouring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from1st April, 1977.

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	0.92	1.33	1.03
Value of Production (₹ in lakhs)	49.79	70,41	58,35
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(10,08)	2,10	(5,82)

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road trasport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transpoted by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2,48
Production (in lakh tonnes)	1.25	1.40	1.40
Value of Production (₹ in lakhs)	37,69	52,25	71,62
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(15,51)	(9,23)	(6,93)

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,28)	(1,38)	(1,25)

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,49)	(2,44)	(2,73)

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	3,28	(7,07)	(2,04)

The production remained suspended due to unit being unviable.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,53)	1,49	(2,08)

The production remained suspended due to unit being unviable.

ADILABAD (Distt. Adilabad, Andhra Pradesh)

This unit went into commercial Production from Apri, 1984

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	33,10	(6,46)	(9,18)

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Andhra Pradesh)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2013-14	2012-2013	2011-2012
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	6.19	4.35	6.11
Value of Production (₹ in lakhs)	2,06,75	2,05,81	2,64,84
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	12,81	27,51	51,90





MIRITION ALLANDA DE LA PRIMERA DE LA PRIMERA

50वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013—14



विषय सूची पृष्ठ	संख्या
अध्यक्ष का भाषण	86
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	89
निगमित शासन पर रिपोर्ट	99
प्रबन्धन के साथ चर्चा और विश्लेषण	108
वार्षिक लेखे 2013—14	111
कैश फ्लो विवरणी	148
निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तर	151
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	159
पर्याचित्राचित्रा देव रामाचा	

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली



50वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मण्डल और अपनी ओर से, कंपनी की 50वीं वार्षिक आम सभा के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं आप सभी के समक्ष 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथ इन पर निदेशक मण्डल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूं। ये दस्तावेज आपको पहले ही भेज दिए गए हैं और आपकी अनुमित से मैं यहां इन्हें पढ़ रहा हूं।

सीमेंट उद्योग

पिछले दशक के अधिकांश समय में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.5% की औसत दर से संवृद्धि करने के बाद पिछले दो वर्षों में 5% से नीचे आ गयी। कृषि क्षेत्र 4.7% के साथ आर्थिक संवृद्धि का प्रमुख चालक बना रहा। विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन धीमे निवेश रूझान तथा कमजोर मांग के कारण वर्ष के दौरान निराशाजनक रहा। वित्त वर्ष 2013—14 के दौरान भारत ने वर्ष भर एक शूक्ष्म अर्थव्यवस्था सम्बन्धि चुनौति उच्च एवं निरन्तर मुद्रास्फीति का सामना किया। आरबीआई को मुद्रास्फीति रोकने के लिए उच्च दरों को बनाये रखना पड़ा। वित्त वर्ष 2013—14 के दौरान सीमेंट उद्योग के दृष्टिकोण से यह एक मुख्य कारक था। बहुत सी अवसंरचना परियोजना बाधित हुई तथा लोगों ने अपने विवेकाधीन खर्चों को कम करने का सहारा लिया जिसका प्रमाण नयी आवास परियोजनाओं में कमी हो जाना है। इससे संरचनात्मक गतिविधियों में गिरावट हुई। वित्त वर्ष के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट की परिस्थितियों ने भी स्पष्ट रूप से हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला जिससे रूपये की कीमत में गिरावट को बल मिला फलतः अन्य के साथ—साथ पेट्रोलियम की कीमतों पर प्रभाव पडा।

सीमेंट के उपभोग में कमी अर्थात निम्नतर दर से सीमेंट के उपभोग तथा आपूर्ति के अंतर को बढ़ाया जिसने पुनः देश के अधिकांश भागों में सीमेंट की कीमतों पर दबाव कम हुआ। इसके अलावा, सीमेंट उद्योग पेट्रोलियम कीमतों में उछाल के कारण संभार तंत्र की बढ़ी हुई हानि के बोझ के फलस्वरूप सीमेंट की न्यूनतर बिक्री की जा सकी।

कंपनी का निष्पादन

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013—14 के दौरान 16.20 करोड़ रूपये के शुद्ध लाभ के साथ 363.03 करोड़ की बिक्री हासिल की। पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 14% की वृद्धि हुई। हालांकि निगम के नकारात्मक निवल मूल्य को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2013—14 के लिए भी कोई लाभांश की उद्घोषणा नहीं की गई जैसािक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में वर्णित है।

अतीत के आइने से

सीमेंट तथा आर्थिक संवृद्धि में मंदी के बावजूद, सीमेंट कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया का समग्र निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 17.78% की वृद्धि तथा 2012—13 में 7.06 लाख मीट्रिक टन से 2013—14 में 8.31 मीट्रिक टन की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। तादूर ईकाई जिसने गत वर्ष 2012—13 की तुलना में इस वर्ष 2013—14 में 41.76 % की वृद्धि दर्ज की गई है। आपकी कंपनी उत्तर—पूर्व, दक्षिण तथा उत्तरी क्षेत्रों में परिचालन करती है, इन तीनों क्षेत्रों में से कर्नाटक का निष्पादन स्थिर बना रहा तथा हम बाजार में धीमी मांग के साथ कम मात्रा में आपूत्ति तथा कीमत को यथावत बनाए रखने में समर्थ रहे। इससे मार्केटिंग टीम की तरह राज्य में ग्रामीण बाजार का लाभ उठाने में सफल रहे। रेत के खनन पर प्रतिबन्ध लगा होना घटती मांग का मुख्य कारण था जोिक आज भी कायम है।

आन्ध्र प्रदेश में, अगस्त से अक्टूबर तक कुछ सुधार देखा गया किन्तु उसके बाद लगभग 30–35 ब्राण्ड के भारी आगमन

के कारण कीमतें धाराशायी हो गई। हालांकि राज्य में, विकास को बनाये रखने के लिए हाल ही में विकसित, खुले सीमेण्ट बाजार की खोज की गई।

महाराष्ट्र क्षेत्र सरकार तथा निजी क्षेत्र में धीमी मांग तथा स्थानीय निकाय कर जैसे मुद्दों के कारण धीमा बना रहा। आवासीय क्षेत्र में स्थिरता ने, बाजार में नगद प्रवाह को धीमा किया। सीमित खनन की स्वीकृति के साथ बाजार ने भरपाई के कुछ संकेत दर्शायें है तथा मांग में बढ़ोत्तरी प्रारम्भ हुई। हालांकि कीमतों पर दबााव जारी है।

जबिक उत्तरी—पूर्वी क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब मांग कीमत कटौती तथा इस क्षेत्र में गैर राष्ट्रवादी बलों द्वारा बंद के आवाहन के कारण प्रभावित रहा। मौजूदा परिस्थिति के कारण बड़ी मात्रा में छूट प्राप्त करने वाले प्रतिस्पर्धियों ने इस लाभ को डीलर्स को देना प्रारंभ किया तथा उनके बीच एक कीमत युद्ध छेड़ दिया। हालांकि सीसीआई टीम इस क्षेत्र में हमारी उपस्थिति को बढ़ाने हेतु नये अवसर खोज रही है।

2013—14 की अवधि के दौरान राजबन से सीमेंट के प्रेषण में थोड़ी कमी हुई है, किन्तु हमने पिछले वर्ष की तुलना में 5.24 रूपये प्रति बैग की दर से वसूली में सुधार किया है।

बोकाजन विस्तार परियोजना

स्वीकृत योजना के अनुसार बोकाजन यूनिट की क्लिंकर की संस्थापित क्षमता को 1200 टीपीडी तक बढ़ाया जाना है जिसके साथ—साथ बोकाजन में 750 टीपीडी सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता वृद्धि की भी परिकल्पना की गई है और 50 टीपीएच क्षमता की सिल्चर ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है।

बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री के क्षमता विस्तार के लिए टर्नकी आधार पर 142.40 करोड़ रूपये की कुल लागत का कार्य आदेश सौंपा गया है। विस्तार कार्य प्रगति पर है।

50 टीपीएच क्षमता वाली सिल्चर ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए 39.68 रूपये की कुल लागत का टर्नकी आधार पर कार्य आदेश सौंपा गया था। हालांकि अभी तक कोई भी प्रशंसनीय प्रगति नहीं की जा सकी है। जैसे कि ठेकेदार द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि देरी का मुख्य कारण असमतल कार्य स्थल की परिस्थितियां हैं। हालांकि, परियोजना को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के प्रयास किये जा रहे है।

ईआरपी का कार्यान्वयन

आज की तीव्र गित से बढ़ने वाले तकनीिक वातावरण में संगठन के सभी कार्यों का शीघ्र निर्णय हेतु कंप्यूटीकरण आवश्यक हो गया है। आपकी कंपनी निगम की सभी गितविधियों के कंप्यूटीकरण के लिए एक पारदर्शी वातावरण में शीघ्र निर्णय के लिए प्रबंधन की सहायता हेतु तकनीक को आत्मसात करने के लिए अग्रसर है। आपकी कंपनी ने भी ईआरपी पिरयोजना को आरंभ किया है। जिसे एक बार लागू करने पर संगठन की सभी गितविधियों को पूर्णतः कार्य वातावरण में पिरवर्तित कर दिया जायेगा, क्षमता बढ़ेगी और पारदर्शिता आयेगी। सभी यूनिटों, विपणन कार्यालय और निगमित कार्यालय में ईआरपी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है।

निगमित शासन

निगमित शासन पर कंपनी का दर्शन अपने व्यवसाय को इस तरीके से करना है जोकि अंशधारकों, उधारदाताओं तथा कर्मचारियों सिहत कंपनी में सभी शेयरधारकों के लिए नैतिक तथा पारदर्शी हो। कंपनी दृढ़ता से यह विश्वास रखती है कि एक सरल एवं पारदर्श निगमित संरचना को कायम रखने वाला सुदृढ़ शासन संवहनीय आधार पर मूल्य उत्पन्न करने वाला है। सुशासन एक निरंतर अभ्यास है तथा कंपनी अपने सभी अंशधारकों के समग्र हित को, अपने प्रचालनों के सभी पहलूओं में इसे बनाये रखने की अपनी प्रतिबद्धता निगमित शासन शीर्षक के अंतर्गत निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक पृथक भाग संलग्न किया गया है।





भावी दृष्टिकोण

आपकी कंपनी गैर परिचालित यूनिटों की बिक्री से प्राप्त निधियों से अनुमोदित योजनाओं में परिकल्पित प्रमुख परियोजनाओं तथा योजनाओं के पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। माननीय बीआईएफआर द्वारा गठित परिसम्पत्ति बिक्री समीति गैर परिचालनात्मक कंपनियों की बिक्री को निर्देशित कर रही है। मंढार, अकलतरा (छत्तीसगढ़) कुर्कुंटा (कर्नाटक) तथा नयागांव (मध्य प्रदेश) जैसी चार गैर परिचालनात्मक कंपनियों की बिक्री हेतु प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किये गये हैं। प्राप्त रूझान उत्साहजनक थे हालांकि भागीदारों ने खनन लीज ट्रांसफर संबंधी औपचारिकताओं तथा भूमि विवरण आदि से जुड़े मुद्दों से सम्बन्धित मामलों को उठाया। जैसे कि सफल बोलीदाताओं के पक्ष में, खनन लीज के ट्रांसफर के मामलों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है।

चरखी दादरी यूनिट के संबंध में जैसे कि माननीय बीआईईआर द्वारा निर्देशित किया गया है, यूनिट की फ्री होल्ड भूमि का हस्तांतरण अंतिम तय से निर्धारित दरों पर हिरयाणा सरकार को किया जाना है। यूनिट की अन्य परिसंपितयों (भूमि को छोड़कर) का अलग से निपटान किया जाना है।

आभार प्रदर्शन

आपके सतत् सहयोग और विश्वास ने हमें उत्कृष्टता के लिए किए जा रहे हमारे सभी प्रयासों के लिए प्रेरित किया है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से भारत सरकार विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग के प्रति हमारे सभी प्रयासों के लिए उनके मार्गदर्शन तथा सहयोग हेतु, हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

इस अवसर पर मैं सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों के प्रति भी सीसीआई के उत्पादों को लगातार सहयोग प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं।

में भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों एवं अभिकरणों, बैंकरों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक तथा एमएबी—II के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

अंत में, मैं कॉर्पोरेशन के समग्र विकास एवं वृद्धि के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित भागीदारी एवं समर्पण भावना की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

धन्यवाद,

जय हिन्द

स्थानः नई दिल्ली

(आर. पी. टाक)

दिनांक : 16 सितम्बर 2014

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारकों के लिए

महानुभाव,

1. मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी 50वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण और भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 की वित्तीय विशेषताएं (रु. करोड़ में)

	निगम के समग्र रूप में	रु. करोड़ में	
क्रम संख्या		2013—14	2012—13
1	परिचालन से प्राप्त राजस्व (शुद्ध ईडी)	324.52	287.35
2	स्वीकृत योजनाओं के अनुसार आपवादिक आय सहित अन्य आय	76.74	43.86
3	पीबीडीआईटी	28.21	20.68
4	ब्याज व्यय	2.95	4.46
5	मूल्यहास	9.06	8.11
6	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	16.20	8.11
7	कर	0.00	0.00
8	कर पश्चात लाभ (पीएटी)	16.20	8.11

निगम ने पिछले वर्ष के 316.56 करोड़ की तुलना में 14.68% की बढ़ोतरी के साथ 363.03 करोड़ रू की कुल बिक्री की जिसमें एक्सरसाइज ड्यूटी भी सम्मिलत थी। अन्य आय 45.04 करोड़ रू की राशि, जिसमें वर्ष के दौरान बकाया खनन / विद्युत देय पर प्रभार व ब्याज की वापसी भी शामिल है। निगम की नकारात्मक निवल मूल्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013—14 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया जैसे कि कंपनी अधीनियम में प्रावधान किया गया है।

3. औद्योगिक परिदृश्य

भारतीय सीमेंट उद्योग गुणवत्तापूर्ण सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय सीमेंट उद्योग विभिन्न प्रकार के सीमेंट उत्पादन में लगा है जैसे ऑडिनरी पोर्टलेण्ड सीमेंट (ओपीसी) पोर्टलेण्ड पोज्जालना सीमेंट (पीपीसी) पोर्टलेण्ड ब्लास्ट फरेंस स्लेग सीमेंट (पीबीएफएस), आयल वेल सीमेंट, रेपिड होर्डनिंग पोर्टलेण्ड सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलेण्ड सीमेंट आदि। इनका उत्पादन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्दिष्ट के अनुसार किया जाता है और इनकी गुणवत्ता विश्व में सर्वोत्तम है।

इस उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान घेरा हुआ है क्योंकि निर्माण, परिवहन, कोयला तथा ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों से इसका मजबूत जुड़ाव है। सीमेंट उद्योग अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से राजकोष में प्रमुख अंशदानकर्ताओं में से एक है।





सीमेंट उद्योग के मुख्य चालक

- रीयल स्टेट बाजार
- अवसंरचना व्यय
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रम
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा इंदिरा आवास योजना जैसी परियोजनाओं के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत आवास
- नवीन टाउनशिप विकास

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान सीमेंट बाजार का समग्र निष्पादन विभिन्न कारणों से घटिया रहा। उन कारणों में प्रमुख थे सरकारी निधि का जारी न होना तथा क्रियान्वयन के लिए कोई नयी प्रमुख परियोजना का सामने न आना, निजी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियाँ कमजोर बनी रहीं क्योंकि रेत खनन पर प्रतिबन्ध जारी है। रीयल स्टेट ने विशेषरूप से मुंबई तथा पुणे में मंदी का सामना किया जोकि पिछले सालों में उत्साहपूर्ण था अंतिम तिमाही में लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लागू कर दी गई। निधियों जोकि सामन्यतः मार्च में जारी की जाती थी अनुपस्थित रहीं। अतः देश का आर्थिक अभियान धीरे—धीरे रूक गया है।

पूंजीगत संरचना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

5. प्रचालन

प्रचालनात्मक यूनिटों का निष्पादन

प्रचालनात्मक यूनिट

प्रचालनरत यूनिटों की अलग—अलग और सामूहिक रूप से सीमेंट की उपयोग क्षमता (%) क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन) सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन) और सीमेंट का प्रेषण (मीट्रिक टन) नीचे दर्शाया गया है :--

	बोका	जन	राज	बिन	तांदूर		केवल प्रचालनरत संयंत्रों के लिए	
	12-13	13-14	12-13	13-14	12-13	13-14	12-13	13-14
सीमेंट की उपयोग क्षमता (%)	67-35	46-29	56-6	50-49	43-43*	61-94	48-96	57-83
क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	122270	103360	95005	102090	482880	535040	700155	740490
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	133350	91655	140360	125225	434295	619385	708005	836265
प्रेषण (मीट्रिक टन)	133100	87366	140051	130605	432463	613078	705614	831049

^{* 2012—13} के दौरान उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य हेतु, तांदूर प्लांट में उत्पादन लगभग तीन महीनों तक स्थगित रहा।

गैर प्रचालनात्मक यूनिट

वर्ष 2013–14 के दौरान सीसीआई की निम्नलिखित छः (आदिलाबाद छोड़ कर) गैर प्रचालनरत यूनिटें बंद रहीं :--

1. मंढार

- 2. कुर्कुटा
- 3. नयागांव
- 4. अकलतारा
- 5. चरखी दादरी
- 6. दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट

बोकाजन विस्तार परियोजना

स्वीकृत योजना के अनुसार बोकाजन यूनिट की संस्थापित क्षमता को क्लिंकर के 1200 टीपीडी तक बढ़ाया जाना है जिसके साथ—साथ बोकाजन में 750 टीपीडी सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता वृद्धि की भी परिकल्पना की गई है और 50 टीपीएच क्षमता वाली सिल्चर ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है।

बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री की क्षमता विस्तार के लिए मेसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि. बैंगलोर को 142.40 करोड़ रु. की कुल लागत का कार्य आदेश टर्नकी आधार पर सौंपा गया। विस्तार कार्य प्रगति पर है।

50 टीपीएच क्षमता वाली सिल्चर ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए 39.68 करोड़ रु. की कुल लागत पर टर्नकी आधार पर कार्य आदेश मेंसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि. बैंगलोर को सौंपा गया। हालांकि अभी तक कोई भी प्रशंसनीय प्रगति नहीं की जा सकी है। देरी का मुख्य कारण कार्यस्थल की परिस्थितियां हैं जैसे मेंसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि. बैंगलोर द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। हालांकि मेंसर्स प्रोमेक को कार्य को अभियान के तौर पर करने की सलाह दी गई है।

तांद्र प्लांट में तकनीकी उन्नयन

स्वीकृत योजना में कल्पित तकनीकी उन्नयन योजना का क्रियान्वयन तांदूर प्लांट में आरंभ कर दिया गया है।

14 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। प्रमुख चालू योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

(1) डिजाइन, इंजीनियरिंग, संशोधन, आपूर्ति, सिविल / ढांचागत डिजाइन के साथ—साथ सिविल कार्यों / फाउंडेशन उन्निर्माण और स्थापना जिसमें 6.91 करोड़ रु. की वित्तीय भागीदारी के साथ रॉ मिल, किल्न फीड ओर सीमेंट मिल—I एवं II के अनुभागों के लिए मौजूदा प्रणाली के स्थान पर टर्नकी आधार पर न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली की स्थापना शामिल है, इसके लिए ऊर्जा बचत संबंधी तीनों योजनाओं के आदेश मैसर्स एनेक्सको टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपे गए हैं।

सीमेंट मील—I एवं II के मामले में परीक्षण किए गए हैं और रॉ मिल तथा किल्न फीड अनुभागों से संबंधित कार्य भी उन्नत चरण पर हैं और जल्दी ही पूर्ण एवं प्रतिस्थापना करना अपेक्षित है।

- (2) ईएसपी और क्लिंकर कूलर की डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति उन्निर्माण और स्थापना के लिए टर्नकी आधार पर कार्य पूर्ण करने हेतु 10.85 करोड रु. की कुल लागत पर मैसर्स एंड्रयू युले (भारत सरकार का उद्यम), कोलकाता को कार्य आदेश सौंपा गया है। कार्य प्रगति पर है। कंपनी द्वारा दिये गये ताजा कार्यक्रम के अनुसार परियोजना का सितंबर 2014 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।
- (3) कोयला मिल प्रभाग में चुंबकीय विभाजक की स्थापना तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) की स्थापना हेतु आदेश दिए गए हैं। पीपीसी के विनिर्माण हेतु बाल मिल के बंद प्रसार के लिए बजटरी प्रस्ताव एकत्रित कर लिए गए हैं। तत्कालीन वीआरएम आउटलेट पर नई पीढ़ी के 4 उच्च पृथ्थक्करण दक्षता साइक्लोन्स के द्वारा मौजूदा 8 पारंपरिक





साइक्लोन्स की पुनर्स्थापना, वीआरएम में एक नई पीढ़ी के उच्च दक्षता क्लासीफायर द्वारा मौजूदा क्लासीफायर की पुनर्स्थापना, नई निम्न दाब ड्राप उच्च दक्षता चक्रवातों द्वारा मौजूदा पीएच उच्च स्तर के साइक्लोन की पुनर्स्थापना, मल्टी चैनल बर्नर द्वारा मौजूदा किल्न बर्नर की पुनर्स्थापना आदि के लिए कार्य आरंभ किए जा चुके हैं।

इन उपकरणों की सहायता से तांदूर प्लांट की दक्षता बढ़ाने के साथ–साथ बिजली बिलों पर भी बचत की जाएगी।

6. विपणन

सीमेंट तथा आर्थिक संवृद्धि में मंदी के बावजूद भारतीय सीमेंट निगम का समग्र निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 17.78% की वृद्धि के साथ 2012—13 में 7.06 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2013—14 में 8.31 लाख मीट्रिक टन दर्ज रहा। सर्वाधिक वृद्धि तन्दूर यूनिट में देखी गई जहां 2012—13 की समान अविध की तुलना में 2013—14 में 41.76% की वृद्धि दर्ज की गई। जबिक राजबन और बोकाजन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.34% तथा 34.36% क्रमशः कमी भी देखी गयी। राजबन में कमी प्राकृतिक आपदा जिसमें बादल का फटना तथा राजबन के बाजार क्षेत्र में भारी अतिवृष्टि के कारण रही। बोकाजन असम, मणिपुर तथा नागालैंड में अशांत स्थितियों तथा बंद के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित रहा।

निष्पादन में सुधार लाने के लिए, खुले सीमेंट की बिक्री की पहचान कर, एक नया दौर चलाया गया तथा इस दौर की देखभाल के लिए तंदूर में आदेश उपार्जित किए गये। इसने बाजार के विस्तार तथा डीलरों के नेटवक्र को बढ़ाने के अलावा तंदूर की बिक्री को बढ़ाने में भी सहायता की। सीसीआई के ब्राण्ड को मजबूती देने तथा इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए बाजार में नये आकर्षक रंगीन पैकेजिंग की गई। अवधि के दौरान सभी अंशधारकों के साथ घनिष्ट संपर्क स्थापित किए गए।

7. ग्राहक सेवा

आपकी कंपनी अपने मूल्यवान ग्राहकों के साथ लेन—देन करते समय विशेष सावधानी बरतती है, उनकी शिकायतों का निवारण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाता है। ग्राहक संतुष्टि के उद्देश्य से हमारी सेवाओं में आगे और सुधार के लिए उनके सुझावों को मार्गदर्शी घटक के रूप में समझा और लागू किया जाता है।

8. गुणवत्ता

सी सी आई के सभी तीनों प्रचालनरत यूनिटों में उत्पादित सीमेंट की गुणवत्ता को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। प्लांटों में स्थापित आधुनिक प्रयोगशालाओं में कच्चे माल स्तर से निर्मित स्तर पर, सीमेंट के नमूनों की नियमित रूप से जांच के अलावा, सीमेंट की नमूनों की जांच सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय परीक्षण गृह जैसी सरकारी प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में उनके भौतिक और रासायनिक मानदंडों का भी परीक्षण किया जाता है।

सभी तीनों परिचालनरत यूनिट आईएसओः 9001 प्रमाणित है। तांदूर यूनिट आईएसओः 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में है ।

9. ईआरपी का कार्यान्वयन

आज की तीव्र गित से बढ़ने वाले तकनीकी वातावरण में संगठन के सभी प्रकार्यों का तीव्र निर्णयन हेतु कंप्यूटरीकरण आवश्यक हो गया है। हमारी कंपनी निगम की सभी गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक पारदर्शी वातावरण में अवगत निर्णय को, और तीव्र करने के लिए प्रबंधन की सहायता हेतु तकनीकी को आत्मसात करने के लिए अग्रसर है। हमारी कंपनी ने भी ईआरपी परियोजना को आरंभ किया है जिसे एक बार लागू करने पर संगठन की सभी गतिविधियों में कार्य वातावरण को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्षमता बढ़ेगी और पारदर्शिता आयेगी। सभी यूनिटों, विपणन

कार्यालय और निगमित कार्यालय में ईआरपी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है। ईआरपी के कार्यान्वयन के उद्देश्य से सलाहकार सितंबर 2012 के दौरान नियुक्त किया गया।

- आईटी अवसंरचना सिहत संगठन में की जाने वाली सभी गितविधियों को पहचानने के लिए 'अध्ययन अनुसार'
 समयचक्र, मात्रा, कीमत, प्रयास संख्या आदि उपाय तथा निष्पादन रिकार्ड पूरा किया गया।
- सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पहचान 'कार्यमूलकताएं होने के लिए' जिन्हें ईआरपी उपाय द्वारा सम्मिलित किया जाना तथा उन्हें 'महत्वपूर्ण / अनिवार्य / वांछनीय' के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है, पूर्ण की गई।

ईआरपी के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा नेटवक्रिंग के उपार्जन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति प्रक्रियारत है।

10. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी मानव संसाधन को अत्यधिक महत्व देती है क्योंकि कर्मचारी ही किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान परिसंपित्त होते हैं। आपकी कंपनी में विभिन्न प्रकार के कौशल तथा क्षमता वाले 907 कर्मचारी शामिल हैं। मानव संसाधनों के विकास हेतु आपका कॉर्पोरेशन वचनबद्ध है और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। आपका कॉर्पोरेशन मानवीय क्षमताओं का समुचित विकास सुनिश्चित करने तथा इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान परिसम्पत्ति माने जाने वाले कर्मचारियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करता है।

आपकी कंपनी हमारे कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त आयु के परे सामाजिक सुरक्षा उपायों के विस्तार हेतु अपने प्रयासों में 2013—14 के दौरान ''पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम लागू की, जिसका लाभ वो कर्मचारी उठा सकेंगे जिन्होंने 01.04.2011 को या उसके बाद अवकाश ग्रहण किया है। यह योजना कंपनी के पूर्व कर्मचारियों और उसके उत्तराधिकारी को लाभ पहुंचाएगी।

कॉर्पोरेशन की सभी यूनिटों में पूरे वर्ष भर औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। विभिन्न मंचों पर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ उपयोगी विचार विमर्श और चर्चा की जा रही है। जिसने संचालन, शिकायत और मतभेदों के समाधान तथा औद्योगिक संबंधों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान एक भी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ।

11. मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी मानव संसाधन विकास की आवश्यकता के प्रति सजग है और एक स्वस्थ कार्य संस्कृति बनाए रखने तथा उच्चतर लक्ष्य एवं उत्पादकता प्राप्त करने के साथ—साथ भावी चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु मानव संसाधनों के विकास पर बल दिया गया है। मानव क्षमता के पुनर्गठन और विस्तार हेतु कंपनी ने मैसर्स एडिमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद को कॉर्पोरेशन में मानव क्षमता का अध्ययन कराने के लिए नियुक्त किया है। ए एस सी आई के अधिकारी सभी परिचालित प्लांटों, क्षेत्रीय कार्यालयों और निगम कार्यालयों का दौरा कर चुके हैं। टीम आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर चुकी है। इस संबंध में एएससीआई द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं जो कि इस रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं। ठोस और अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उपयुक्त मानव क्षमता के पुनर्गठन का मामला उठाया जाएगा।

12. प्रशिक्षण एवं विकास

मनव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों के कौशल विकास को पूरा महत्व दिया है। 2013—14 के दौरान, कर्मचारियों को उनके कौशल संवर्धन हेतु कुल 963 दिनों की इन—हाउस ट्रेनिंग





दी गई। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाहरी प्रशिक्षण हेतु 14 कर्मचारियों को मनोनीत किया। कर्मचारियों का एक विशेष भाग विभिन्न स्थानों पर उनके प्रकार्यात्मक कार्यक्षेत्र में विभिन्न सेमीनार तथा सम्मेलनों हेतु मनोनीत किया गया।

आपकी कंपनी के सभी प्रचालनात्मक यूनिटों में, विरष्ट अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों के क्रियान्वयन तथा अवधारणा पर प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने प्रचालनरत यूनिटों में पर्यवेक्षक स्तर के कर्मचारियों की दक्षता मैचिंग भी संचालित की तािक कौशल की कमी को पूरा किया जा सके।

13. राजभाषा कार्यान्वयन

निगम ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है और निगम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी नियमित रूप से एवं सक्रिय भागीदारी करता है। अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिन्दी सप्ताह / पखवाडा मनाया जा रहा है।

14. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर दर्शन के एक अंश के रूप में अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को सदैव निभाया है जिसके अनुसार व्यवसाय और समाज विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार में, आपकी कंपनी ने अपने प्लांट के स्तर से विभिन्न गतिविधियां तथा बहुत सी पहलों को संचालित किया है। प्रमुख क्षेत्र जहां सीएसआर गतिविधियां चलायी गई शैक्षिक संस्थानों हेतु अवसंरचना सुविधाएं, पॉलिटेक्निक्स के बीपीएल छात्रों को सहायता, प्लांटों के आस—पास के गावों में चिकित्सीय/स्वास्थ्य देखभाल कैंप, खेल गतिविधियां आदि शामिल हैं।

15. निगमित शासन का अनुपालन

सीसीआई एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और पूरी शेयरधारिता भारत सरकार द्वारा अपने पास रखी जाती है। कम्पनी निरन्तर निगमित शासन के मानकों के अनुपालन का प्रयास कर रही है। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित शासन पर रिपोर्ट संलग्न है।

16. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां

कॉर्पोरेशन में सतर्कता कार्यों में, बचावकारी, दण्डात्मक पहलकारी तथा भागीदारपूर्ण दृष्टिकोण शामिल हैं जिनका उद्देश्य सरल एवं कारगर तथा एक निष्पक्ष और पारदर्श रूप में कार्यात्मक दक्षता को प्राप्त करना है ताकि गलत आचरण की परंपराओं को रोका जा सके।

ऐसे मामले में जबिक उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाहियां की गयी जहां दोषी अधिकारियों के विरूद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य जांच में प्राप्त किये गये, बहुत से बचावकारी तथा प्रणाली सुधार उपाय त्रुटियों पर रोक लगाने के लिए किए गए।

सीवीसी के विभिन्न पहलूओं के बारे में जागरूकता लाने के संबंध में जिसमें सीवीसी के सर्वोच्च स्तर पर दर्शन और पहलें भी शामिल हैं, सतर्कता आयोग की प्रचालनरत कंपनियों के बीच निरन्तर बातचीत की गई।

तकनीकी के बल के माध्यम से लोक प्रशासन के मुद्दे के संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित सीवीसी के निर्देशों का समर्थन सीसीआई की वेबसाइट, टेण्डर सेक्सन, सतर्कता शिकायत सेक्सन, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा मैनुअल नियमों की समीक्षा/उन्नयन आदि के द्वारा किया जा रहा है। सीसीआई की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम की वैधानिक कार्यात्मक क्षेत्रों में इन गतिविधियों से संबंधित सूचना का

स्वैच्छिक प्रकटन का ध्यान रखा जा रहा है।

अधिकारी, विपणन तथा खरीदारी मैनुअल उन्नयन/संशोधन के उन्नत स्तर पर है। सीसीआई में सत्यनिष्ठा का कार्यान्वयन 24 दिसंबर 2013 को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। सूचना तकनीकी की क्षमता की शक्ति के विचार से ईआरपी का कार्यान्वयन विभिन्न गतिविधियों तथा प्रचालनों को समाहित करने के लिए प्रगति में है। ई—निविदा, ई—नीलामी, ई—उपार्जन (तांदूर यूनिट द्वारा सीमित ई—भुगतान तथा आरटीजीएस) संभावित विस्तार तक लागू किये जा रहे हैं।

वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न कर्मचारियों से प्राप्त किये जा रहे हैं। सतर्कता कार्यों से संबंधित सभी विहित रिर्टन सीवीसी, डीएचआई आदि को टाइम पर भेजी जा रही हैं। वर्ष 2014 के लिए "संदेहात्मक सत्यनिष्ठा वाले अधिकारी" तथा "सहमित सूची" तैयार की गई है तथा अधिकारी जिनका नाम सूची में दर्शाया गया है गैर संवेदनशील क्षेत्रों में भेज दिए गये हैं। इसके अलावा अचानक / नियमित जांच संवेदनशील क्षेत्रों में की जा रही है। सतर्कता कार्य की अर्द्धवार्षिक समीक्षा सीसीआई के निदेशक मण्डल द्वारा की जा रही है।

17. सीसीआई यूनिटों की बिक्री संबंधी स्थिति

माननीय बीआईएफआर द्वारा गठित परिसंपत्ति बिक्री समिति के निर्देशों के अंतर्गत गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री प्रगति पर है। 2.8.2013 को आयोजित अपनी मीटिंग में एएससी के निर्णय के अनुसार 12.8.2013 को अग्रणी अखबारों में मंढार, अकलतरा, कुर्कुंटा और नया गांव जैसे सीसीआई के गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। ईओआई के जमा करने की अंतिम तिथि 2.9.2013 थी। प्राप्त रूझानों को बढ़ावा दिया गया हालांकि भागीदारों ने खनन लीज ट्रांसफर औपचारिकताओं संबंधी मुद्दे तथा भूमि विवरण, देयताएं, भुगतान आदि से जुड़े मुद्दे उठायें। सफल बोलीदाताओं के पक्ष में खनन लीज ट्रांसफर के संबंध में मामला संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा जा रहा है।

23.12.2013 को आयोजित अपनी सुनवाई में माननीय बीआईएफआर के निर्देशों के अनुसार तथा डीएचआई की सहमित से चरखी दादरी यूनिट के संबंध में, यूनिट की बाधा रहित फ्री होल्ड भूमि का हस्तांतरण, अंतिम तय निर्धारित दर पर हिरयाणा सरकार को किया जाना तय है। यूनिट की अन्य परिसंपत्तियों (भूमि के अतिरिक्त) का अलग—अलग निपटान किया जाना है।

18. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) और 217(1)(ड़) के अंतर्गत आवश्यक कर्मचारियों के विवरण

कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियमावली 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 की उपधारा 2(क) के अनुसार और 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में सूचना— शून्य मानी जाए।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1)(ङ) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली 1988 के अंतर्गत यथावश्यक सूचना संलग्न है।

19. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2कक) के अंतर्गत निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण आपके निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि:—

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया है;
- (ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित एवं स्वायत्त हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के लाभ अथवा





हानि की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;

- (ग) कंपनी की परिसंपित्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में किए गए प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है; और
- (घ) वार्षिक लेखे एक निरंतर जारी प्रतिष्टान के आधार पर तैयार किए गए हैं।

20. लेखापरीक्षक

वर्ष 2013—14 के लिए मेसर्स एस. पी. जी. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुड़गांव को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए ओर मैसर्स आर.के. सिंघानिया एण्ड एसोसिएट्स, मेसर्स टंक एण्ड श्रीकान्त, मेसर्स गोपाल एण्ड राजन, मैसर्स ए.के. गुटगुटिया एण्ड कंपनी, मेसर्स एनआर एण्ड एसोसिएट्स, मेसर्स एमकेए ऐसासिएट्स, मैसर्स एस आर एण्ड कम्पनी, मैसर्स लुहारुका एण्ड एसोसिएट्स को शाखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उनके उत्तर एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है।

21. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2013—14 के लिए मसौदा वार्षिक लेखाओं पर विस्तार से चर्चा की। लेखापरीक्षा समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जबाब संतोषजनक ढंग से दिया गया और वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई। फिर उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

23. निदेशक मंडल

समीक्षाधीन अवधि के दौरान श्री एसएस महलावत (सरकारी नामिति) का कंपनी निदेशक मंडल में कार्यकाल पूरा हुआ और उनके स्थान पर श्री विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग को 28.4.2014 से निदेशक मण्डल में (सरकारी नामिति) के रूप में शामिल हुए।

21. आभार प्रदर्शन

निदेशक मंडल भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ—साथ रेल मंत्रालय, डीजी एस एण्ड डी, पीईएसबी, बीआरपीएसई, बैंकरों और केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्य विभागों से कॉर्पोरेशन को प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों पर लगातार विश्वास प्रकट करने और सहयोग प्रदान करने के लिए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल मैसर्स एमपीजी एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक तथा प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड— II का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशक मंडल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के समर्पण हेतु हृदय से उनकी प्रशंसा करना चाहता है।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 16 सितम्बर 2014

(आर पी टाक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली 1988 के अंतर्गत आवश्यक विवरण

क. ऊर्जा संरक्षण

- (क) किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय:-
- प्रमुख उपस्करों के संचालन घंटों के साथ सघन निगरानी और सिंक्रोनाइजेशन द्वारा कंप्रेसरों तथा अन्य अनु ांगी उपकरणों के व्यर्थ संचालन को दूर / न्यूनतम किया गया है।
- ii. अदक्ष / उच्च क्षमता वाले मोटरों को बदलकर ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष और कम क्षमता वाले मोटर लगाना।
- iii. कैपेसिटर की स्थापना द्वारा प्लांटों के ऊर्जा घटक में सुधार करना।
- iv. अधिकतम मांग के प्रभावी नियंत्रण हेतु मांग नियंत्रकों की स्थापना करना।
- v. बेहतर दहन क्षमता के लिए अपेक्षित सीमाओं तक कोयले की फिटनेस का रखरखाव करना।
- vi. निर्गत गैसों में अधिकतम स्तर तक ऑक्सीजन का प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्रीहीटर टावर में रिसाव को रोकना।
- vii. राजबन यूनिट में एलआरसी के माध्यम से रॉ मिल सर्कुलेटिंग फैन प्रीहीटर फैन का प्रचलन।
- viii. राजबन यूनिट में कॉलोनी और प्लांट में एससीबी उपलब्ध कराना और टाइम स्विच के जरिए स्ट्रीट लाईट का प्रचालन करना।
- ix. राजबन यूनिट में पारंपरिक सोडियम लाईट फिटिंग को बदलकर ऊर्जा दक्षता एलईडी लाइट फिटिंग से फेसवाइज बदला गया।
- x. प्लांट और कॉलोनी क्षेत्रों में उच्च क्षमता एमवी / एसवी लैम्पों के स्थान पर निम्न क्षमता ल्यूमिनरिज की स्थापना करना।
 - राजबन में व्यस्तम दवाब वाले घंटों के दौरान ई.ओ.टी. क्रेन, गिरी पम्प, कोल मील, ब्लेडिंग तथा ऐरैशन के परिचालन को सीमित किया गया।
- (ख) ऊर्जा की कुल खपत और प्रति युनिट उत्पादन की ऊर्जा खपत रू

1.	<u>बिजली</u>	(2013—2014) (प्रचालनरत	(2012.2013) (प्रचालनरत
		यूनिट मात्र)	यूनिट मात्र)
क)	खरीदी गई		.,
i)	यूनिट	114484272	103706130
ii)	कुल राशि	634597624.27	463040561
iii)	दर प्रति यूनिट	5.54	4.46
ख)	स्व उत्पादित		
i)	डीजल जेनरेशन यूनिट (केडब्ल्यूएच)		
	यूनिट (केडब्ल्यूएच)	66778	2238716
	डीजल / डीजल ऑयल लीटर में (केडब्यूएच) (लीटर)	2.94	2.93
	प्रति यूनिट लागत (केडब्यूएच)		
		15.22	11.28
2.	<u>कोयला</u>		
i)	खपत की मात्रा (टन)	175183	167024
ii)	कुल लागत (रु.)	860054479.1	788974759





iii)	औसत दर (रु. / मीट्रिक टन)	4909.46	4723.72
	उत्पादन का प्रति यूनिट खपत		
i)	बिजली (केडब्ल्यूएच/टनों में पैक्ड	137	150
	सीमेंट टाउनशिप सहित)		
ii)	बुक किया गया कोयला	0.2366	0.2386
	(किग्रा. / क्लिंकर का किग्रा. / उत्पादन)		
iii)	कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी)	3818	4158
	(के.सीएएल / कोयला किग्रा. में)		

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन

है।

।. अनुसंघान और विकास (आर एण्ड डी)

- i) ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंघान और विकास कार्य किए गए— प्वाइंट नं 8 उल्लिखित गुणवत्ता नियंत्रण / सुधार कार्य किए गए हैं।
- ii) अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ। सीमेंट की गुणवत्ता को बनाए रखा।
- iii) भावी कार्य योजना।

॥. प्रौद्योगिकी आमेलन अंगीकरण एवं नवोदयन

चूंकि वर्ष के दौरान कोई भी प्रौद्योगिकी आयात नहीं हुई, आमेलन अंगीकरण और नवोदयन संबंधी सूचना शून्य

7. अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय (2013–14) : (रु. करोड़ में)

(়ে	पूजागत	
(ख)	राजस्व	4.11
(ग)	कुल	4.11
(ঘ)	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया कल व्यय	1.13%

ग. विदेशी विनिमय से अर्जन और बर्हिगमन

हमें समय—समय पर विभिन्न पक्षकारों से निर्यात संबंधी रूझान प्राप्त होते हैं। हमारे प्लांट जो समुद्री बंदरगाहों से काफी दूर हैं की अवस्थिति संबंधी समस्या के कारण प्लांटों से निकटतम समुद्री बंदरगाह के बीच अंतर्देशीय मालभाड़ा बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण से हमारे एफओबी मूल्य की गणना प्रतियोगी नहीं रह जाती है। अवसर प्राप्त होने पर निर्यात के क्षेत्र में निकटतम निगरानी की जा रही है, हालांकि सीमेंट का जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री घरेलू बाजार में की जा रही है।

	(रु. कराड़ म)
प्रयुक्त और अर्जित कुल विदेशी विनिमयः	शून्य
वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल विदेशी विनिमय	शून्य
वर्ष के दौरान अर्जित कुल विदेशी विनिमय	शून्य



निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. शासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन/सिद्धांतः

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वित्तीय समझदारी, उपभोक्ता की संतुष्टि, पारदर्शिता, जबावदेहिता और शेयरधारकों के प्रति वचनबद्धता में विश्वास करता है। सीसीआई भारत सरकार द्वारा समय—समय जारी किए गए निर्देशों और उक्त विश्वास के माध्यम से कार्य करता है और इसे व्यापक रूप में जो समाज और सरकारी एजेंसियों / विभागों, राज्य सरकारों, भारत सरकार, ऋणदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, निकाय से जुड़े हैं, उन सभी के लिए मूल्य संवर्धन के लिए लंबा सफर तय करना चाहिए।

निगम विश्वास करता है कि इसके परिचालन और कार्यों को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से, शेयरधारकों के उल्लिखित लक्ष्यों के हितों का लंबे समय तक संवर्धन करें।

कंपनी निगमित शासन के उच्चस्तरीय मानकों की पुष्टि करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल

i. मंडल का आकार :

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जैसा कि कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। कंपनी के संस्था अर्न्तिनयम के अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपित के पास निहित है। मंडल की संख्या 3 निदेशकों से कम तथा 12 निदेशकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह निर्धारित करता है कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में निदेशक मंडल के सदस्यों की वास्तविक संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. मंडल का स्वरूप:

वर्तमान में सीसीआई मंडल में निदेशक और प्रबंधन निदेशक को शामिल करते हुए छः निदेशक हैं जिनमें तीन कार्यकारी निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के नामिती निदेशक हैं। एक बीआईएफआर द्वारा नामित एक विशेष निदेशक और दो अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और श्रेणी इस वर्ष आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति और आखिर में वार्षिक आम सभा में निदेशकों की संख्या के साथ—साथ समिति (लेखापरीक्षा समिति) के विवरण सारणी 1 में दिए गए हैं।



सारणी 1:

निदेशकों की श्रेणी और विभिन्न समितियों में उनकी स्थिति

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	एजीएम में (25.09.2013 को आयोजित) में उपस्थिति	डायरेक्टरशिए की संख्या (31.03.2014 को आयोजित)	समिति के सदस्यों की संख्या (31.03. 2014 को आयोजित)
कार्यव	कारी निदेशकः					
1.	श्री आर.पी.टक (अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक)	5	5	हां	शून्य	
2.	श्री मनोज मिश्रा निदेशक (मानव संसाधन)	5	5	हां	शून्य	शून्य
3.	श्री एस. सी. अग्रवाल निदेशक (वित्त)	5	5	हां	2*	शून्य
सरक	ारी नामिति निदेशकः					
4.	श्री हरभजन सिंह (5.6.2013 तक)	1	1	नहीं	7	शून्य
5.	श्री एस.के. गोयल	5	5	हां	6	शून्य
6.	श्री एस. एस. महलावत	4	4	हां	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
7.	श्री वी. के. अग्रवाल (9.9.2013)	2	2	नहीं	2	शून्य
8.	श्री पंकज अग्रवाल (9.9.2013)	2	2	नहीं	2	शून्य
9.	श्रीमती दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिति)	5	3	हां	शून्य	शून्य

^{*} अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की पांच बैठकें क्रमशः 17.05.2013, 30.07.2013, 25.09.2013, 24.12.2013 तथा 21.03.2014 को आयोजित की गईं तथा दो बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं था।

iii. मंडल/समिति सभाओं के लिए एजेंडा का चयन और समय सारणीः

मंडल / सिमित के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके उपयुक्त नोटिस देने के बाद सभाएं आयोजित की जाती हैं। अर्थपूर्ण सूचित और केंद्रित निर्णय उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक कथन सभा के दौरान सदस्यों के बीच अग्रिम रूप से परिचालित किए गए। तात्कालिक महत्व के मुद्दों को संबोधित किए जाने की आवश्यकता होने पर लघुकालिक नोटिस पर सभाएं आयोजित की जाती हैं या परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

गोपनीय प्रवृत्ति के कारण जब कभी किसी दस्तावेज को एजेंडा नोट्स के साथ जोड़ना व्यवहारिक नहीं होता, तो विशेष और अपवादिक परिस्थितियों में अतिरिक्त या संपूरक विषय से संबंधित ऐसे दस्तावेज सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

एजेंडा के दस्तावेज कार्यकारी निदेशक / सीएमडी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिचालित किए जाते हैं।

सदस्यों को सूचित निर्णय लेने की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए बोर्ड / समिति की बैठकों में वित्तीय परिचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित सामग्री पर प्रस्तुतीकरण तैयार किए गए हैं।

बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच रखते हैं। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो वह एजेंडा में समावेश के लिए आवश्यक समझे। जब कभी आवश्यक हो, बोर्ड द्वारा बातचीत करके शीर्षस्थ प्रबंधन अधिकारी को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

iv. मंडल/समिति सभाओं में कार्यवृत्त की अभिलेखनबद्ध करना

प्रत्येक बोर्ड / समिति की कार्यवाही के कार्यवृत्त, कार्यवृत्त किताब में विधिवत रिकॉर्ड किए जाते हैं । प्रत्येक बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड सदस्यों के बीच उनकी पुष्टि के लिए प्रसारित किए जाते हैं।

v. यंत्रावली का अनुसरणः

बोर्ड / सिमिति के सदस्यों के निर्णयों पर एक कार्यवाही रिपोर्ट अनुवर्ती सभाओं में प्रस्तुत की जाती है। यह एक प्रभावशील अनुसरण, पुनर्विचार और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है।

vi. अनुपालनः

हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि जब एजेंडा नोट्स तैयार किए जायें तो विधि के सभी अनुप्रयोगय प्रावधान, नियम और दिशानिर्देशों का समर्थन किया जाए। कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 के सभी अनुप्रयोग प्रावधानों तथा अलग—अलग विधियों के अंतर्गत विभिन्न अन्य निकायकीय आवश्यकता के अनुसरण को सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित सूचनाएं बोर्ड को लगातार प्रदान की जाती हैं:

- पूंजी बजट, वार्षिक योजना, समझौता ज्ञापन
- लेखा समिति कार्यवृत्त और बोर्ड की अन्य समितियों की सभाओं के कार्यवृत्त
- मांग, अभियोग नोटिस और हर्जाना नोटिस जो सामग्री की दृष्टि से आवश्यक है, यदि कोई हो, को दिखाना
- घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी कंपनी का निर्माण, संयुक्त उद्यम और रणनीतिक भागीदार
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों और कार्यों आदि में उनके द्वारा उपयोग किए गए समिति पदों और डायरेक्टरशिप के बारे में खुलासा
- बडे संविदाओं का अधिनिर्णय
- विधि और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य विषय

vii. गैर कार्यकारी निदेशकों के प्रकटन और क्षतिपूर्तिः

कंपनी सरकारी नामिति निदेशक को सीटिंग फीस का भुगतान नहीं करती। हालांकि वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान निदेशक मंडल और समिति की सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बैठक 6000 रु. की दर से तथा अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया गया।





viii. अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल/समिति में अध्यक्षता और सदस्यता

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप/खुलासे			
कार्यकारी निदेशकः						
1.	श्री आर. पी. टाक	अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक	मेंबर ऑफ एक्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ स्कोप एंड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नरस ऑफ एनसीबीएम			
2.	श्री मनोज मिश्रा	निदेशक (मानव संसाधन)	शून्य			
3.	श्री एस. सी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	एडीडीएल. चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ सीएंडएमडी ऑफ (1) त्रीवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड. (2) भारत यात्रा निगम लिमिटेड			
सरक	ारी नामिति निदेशकः					
4.	श्री हरभजन सिंह	संयुक्त सचिव, एचआईपीई का मंत्रालय	(1) एंड्रयू यूले कंपनी लिमिटेड (2) टाइड वाटर ऑयल इंडिया लिमिटेड (3) एचएमटी लिमिटेड (4) एचएमटी (आई) लिमिटेड (5) हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (6) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (7) एनटीपीसी—मेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड			
5.	श्री एस. के. गोयल	सरकारी निदेशक	(1) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (2) एंड्रयू यूले कंपनी लिमिटेड (3) एनईपीए लिमिटेड (4) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (5) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे गवर्निंग काउंसिल मेंबर (6) ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल–गवर्निंग काउंसिल मेंबर			
6.	श्री एस.एस. महलावत	सरकारी निदेशक	शून्य			
स्वतं	त्र निदेशक					
7.	श्री वी. के. अग्रवाल	अंशकालिक और गैर सरकारी निदेशक	(1) पॉवर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड मुंम्बई (2) महाराष्ट्र स्टेट कूप बैंक मुंम्बई—अध्यक्ष निदेशक मंडल			
8.	श्री पंकज अग्रवाल	अंशकालिक और गैर सरकारी निदेशक	(1) मजगांव डॉक लिमिटेड(2) नीरज अग्रवाल एंड कंपनी (पार्टनर)			
9.	श्रीमती दिवजोत कोहली	(बीआईएफआर नामिति)	मेसर्स सुप्रिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड			

ix. <u>मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण</u>

सीसीआई अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवस्था आदि के बारे में प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। सीसीआई की कार्यशैली से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दे और महत्वपूर्ण विकास सीसीआई मंडल (सरकारी) और (गैर सरकारी) अंशकालिक निदेशकों को समय—समय पर सीसीआई प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

50 सी सी आई CCi

x. आचार संहिता

कंपनी व्यवसायिक नीतिशास्त्र के मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय को करने के प्रति और सभी अनुप्रयोग विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2013—14 के दौरान मंडल सदस्यों और शीर्षस्थ प्रबंधन स्तरीय अधिकारियों ने आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

xi. जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगमित और प्रचालित उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संबद्ध है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय व्यवहार के एक हिस्से के रूप में लिया जाता है न कि निर्धारित समय में एक भिन्न कार्य के रूप में।

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 292(क) के अनुसार प्रावधानों के अनुसार कंपनी में एक लेखा समिति होती है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

- 1. श्रीमति दिवजोत कोहली, अध्यक्ष
- 2. श्री एस. के. गोयल, (सरकारी नामित) सदस्य
- 3. श्री मनोज मिश्रा, निदेशक (मनाव संसाधन), सदस्य

कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लेखा समिति संदर्भित शर्तें, शक्तियां, भूमिका तथा निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम के विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लेखा समिति को अधिकार प्राप्त हैं।

वर्ष 2013—14 के दौरान 20.06.2013, 30.07.2013, 29.11.2013 तथा 21.03.2014 को चार लेखा समिति सभाएं आयोजित की गईं और निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गईः

नाम	वर्ष के दौरान आयोजित सभाओं की संख्या	सभाएं आयोजित की गयीं
श्रीमति दिवजोत कोहली	4*	2
श्री एस. के. गोयल	4	4
श्री मनोज मिश्रा	4	4
श्री वी. के. अग्रवाल	2**	2
श्री पंकज अग्रवाल	2**	2

^{*} लेखा समिति का पुनर्गठन 25.9.2013 को हुआ जिसमें श्रीमित दिवजोत कोहली अध्यक्ष, तथा श्री एस.के. गोयल एवं श्री मनोर मिश्र सदस्य के रूप में शामिल थे।

^{** 8.9.2013} को निदेशक मण्डल में कार्यकाल पूरा किया



4. मेहनताना समिति

निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान भारत के राष्ट्रपित द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि सार्वजनिक उद्यम विभाग यह निर्देश दे चुका है कि प्रत्येक सीपीएसई एक मेहनताना समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक द्वारा की जाएगी जो सभी कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय भुगतान नीति तय करेगा।

(i) मेहनताना समिति का संघटन :

25.9.2013 को निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात मेहनताना समिति निम्नलिखित निदेशकों को शामिल करते हुए बनायी गयी:--

- 1. श्रीमति दिवजोत कोहली, अध्यक्ष
- 2. श्री एस. के. गोयल, (सरकारी नामित), सदस्य
- 3. श्री एस.एस. मेहलावत, (सरकारी नामित), सदस्य

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मेहनताना समिति की सभा 20.6.2013, 30.7.2013 व 27.8.2013 को आयोजित की गयी।

(ii) <u>कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण</u>

वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण निम्नलिखित है:-

(रु. लाख में)

क्रम सं.	नाम	तनख्वाह और भत्ता	अन्य लाभ	पीएफ के लिए योगदान	कुल
1.	श्री आर.पी.टाक	20.60	10.74	1.77	33.11*
2.	श्री मनोज मिश्रा	19.12	4.16	1.64	24.92
3.	श्री एस. सी. अग्रवाल	16.86	4.18	1.45	22.49
	कुल	56.58	19.08	4.86	80.52

^{*} पीआरपी सहित।

शेयरधारक और निवेशक शिकायत समिति

सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और पूरी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति द्वारा आयोजित की जाती है। अतः ऐसी किसी भी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों की सभा

श्री वी.के. अग्रवाल, गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक की अध्यक्षता में स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग सभा जिसमें किसी भी कार्यकारी निदेशक, सरकारी नामिति निदेशकों और सीसीआई लिमिटेड के प्रबंधन अधिकारियों की उपस्थिति के बिना दिनांक 20 जून 2013 को आयोजित की गई।

7. सहायिकी कम्पनी

कम्पनी की कोई सहायिकी कम्पनी नहीं है।

8. वार्षिक आम सभा

पिछले तीन सालों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण निम्नलिखित दिया गया है:-

क्रम सं.	वर्ष	स्थान	समय और तिथि	यदि कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो
1.	2010—11	नई दिल्ली	21.09.2011(12.30 पीएम)	नहीं
2.	2011—12	नई दिल्ली	18.09.2012(12.30 पीएम)	नहीं
3.	2012—13	नई दिल्ली	25.09.2013(12.30 पीएम)	नहीं

9. संलग्नक

i. संबंधित पार्टी लेन देन :

कंपनी निदेशकों या उनके संबंधियों के साथ पार्टी से संबंधित किसी लेन—देन में शामिल नहीं हुई है। (कंपनी अधिनियम के अनु. 299 के प्रति निदेशकों द्वारा किए गए खुलासे कंपनी के साथ बड़े स्तर पर सक्षम हित रखते हैं।

ii. <u>दिशनिर्देशों का अनुपालन</u> :

मई 2010 में निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम के विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी ने कदम उठाए हैं।

पिछले तीन सालों के दौरान विधि के तहत गैर अनुपालन वाले किसी निकाय प्राधिकरण द्वारा कम्पनी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है।

निदेशक मंडल के लिए नियुक्ति के समय नियत खर्चों के अतिरिक्त जो कि समझौता के तौर पर दायित्व के रूप में है, व्यक्तिगत खर्च का प्रावधान नहीं है।

iii. <u>लेखा उपचार</u>:

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए वित्तीय कथन के लिए इसकी रिपोर्ट में वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा टिप्पणी करने और पर्यवेक्षण करने में कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विहित लेखा मानकों का अनुसरण किया है।

iv. <u>राष्ट्रपति निर्देश</u> :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान और पिछले तीन सालों के दौरान राष्ट्रपति से संबंधित कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

10. <u>सतर्कता</u>:

सीसीआई पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा पीरक्षा के लिए तथा सतर्कता द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला है। सीसीआई का सीवीओ की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग है।





11. संप्रेषण के साधन

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट <u>www.cementcorporation.co.in</u> पर जारी कर दिया गया है। कंपनी समय—समय पर सीसीआई की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण निगमीय निर्णयों और गतिविधियों पर सरकारी समाचार प्रायोजित करती है।

12. लेखा अईताएं

कंपनी ने अनर्हत वित्तीय कथनों का शासन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए हैं। हालांकि वर्ष 2013—14 में वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां और निश्चित अर्हताएं पायी गयी हैं जो निश्चित समय सीमा में कृतसंकित्पत और अनुपालित की जाएंगी।

13. व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी

अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहात्मक धोखाधड़ी या नीति का अतिक्रमण के बारे में चिंता दर्ज करने हेतु कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक यंत्रीकरण की स्थापना की है। कर्मचारी कंपनी के लेखा समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक जोकि कंपनी क व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं तक सीधी पहुंच रखते हैं। व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी कंपनी की सरकारी वेबसाइट www.cementcorporation.co.in पर जारी की गई है।

14. अनुपालन प्रमाणपत्र

वित्तीय वर्ष 2013—14 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत शर्तों के रूप में निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने वाले पूर्णकालिक अभ्यास में कंपनी सचिवों, मैसर्स अमित अग्रवाल एण्ड कंपनी से प्राप्त प्रमाणपत्र उनकी टिप्पणियों और पर्यवेक्षण का विषय है जो यहां संलग्न किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

तारीखः 16 सितम्बर 2014

(अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक)

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में, सदस्यगण

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0 नई दिल्ली—110003

- 1. हमने सार्वजिनक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजिनक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई, 2010 में जारी किए गए दिशा—िनर्देशों (समय—समय पर यथासंशोधित) में किए गए उल्लेखानुसार 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली—110003 में है, द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
- 2. निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके अनुपालन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की कोई लेखापरीक्षा है और न ही उन पर व्यक्त किया गया कोई दृष्टिकोण।
- 3. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर डीपीई के उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेखों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:
 - क. निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या वास्तविक संख्या के कम से कम एक तिहाई के बराबर होनी चाहिए, जबिक कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल वर्ष के दौरान पूरा हुआ। इस प्रकार उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।
 - ख. डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे और लेखा परीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हुआ, इस प्रकार लेखापरीक्षा समिति के स्वरूप से संबंधित शर्तों का अनुपालन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान नहीं किया गया।
- 4. हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही ऐसी कोई दक्षता अथवा प्रभावशीलता है, जिसके जरिये प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

कृते
अमित कुमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता / —....
एफसीएस—अमित अग्रवाल
(स्वामी)
सी पी संख्या 3647

स्थान : दिल्ली

तारीख: 05.09.2014





प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण।

1. सिंहावलोकन

सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है, जो किसी राष्ट्र की वृद्धि और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सीमेंट की मांग प्राथमिक रूप से अर्थव्यवस्था के व्यापार, वित्तीय, रिअल एस्टेट और अवसंरचना क्षेत्रों के कार्यकलापों की गति पर निर्भर करता है।

आठ प्रमुख उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में संयुक्त रूप से 37.90% का भारांक होता है। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक मार्च 2014 में 175.4 रहा, जो मार्च 2013 में इस सूचकांक की तुलना में 2.5% अधिक था। अप्रैल से मार्च 2013—14 के दौरान इसकी संचित वृद्धि 2.6% थी।

सीमेंट का उत्पादन (भारांक : 2.41%) मार्च 2013 की तरह मार्च 2014 में समान बना रहा। जबकि मार्च से अप्रैल 2013—14 के दौरान इसकी संचित वृद्धि गत वर्ष के दौरान संगत अविध की तुलना में 3.0% रही, जो पिछले पांच वर्ष का संभवतः न्यूनतम स्तर है। हालांकि औसत संचित वृद्धि 9% से 11% के बीच है। यह भी नोट किया जाए कि जो भी वृद्धि की गई है, मुख्यतः नई स्थापित की गई यूनिटों से हुई है।

2. दृष्टिकोण

भारतीय सीमेंट उद्योग अत्यधिक ऊर्जा संवेदी है और यह देश में कोयला के इस्तेमाल के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारतीय सीमेंट उद्योग का अभी हाल ही में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट उद्योग की वृद्धि देश की खराब आर्थिक स्थिति के कारण कम हुई है। नई सरकार के गठन के साथ अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है और इस प्रकार आगे आने वाले वर्षों में भारत में इस उद्योग का भविष्य बेहतर प्रतीत होता है। स्थापना और क्षमता निर्माण में कुछ रूकावटें आई थीं, परंतु अब अर्थव्यवस्था पुनः बहाल हो रही हैं। इस उद्योग क्षेत्र में अब नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, जो विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा भारत भर में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला चूना पत्थर मौजूद होने के कारण सीमेंट उद्योग की वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं।

3. वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण

कॉर्पोरेशन का निबल लाभ गत वर्ष 8.11 करोड़ रु. से बढ़कर वर्तमान वर्ष के दौरान 16.20 करोड़ रु. हो गया है। सीमेंट का डिस्पैच गत वर्ष 7.06 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्तमान वर्ष के दौरान 8.31 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

4. जोखिम और चिंताएं

वर्तमान व्यापार परिवेश में जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य ऐसी घटनाओं की पहचान, निगरानी और उनके उन्मूलन के संदर्भ में उपाय करना है जो कॉर्पोरेशन के व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं और उसके समक्ष जोखिम पैदा कर सकती हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन इसकी व्यापार प्रक्रिया में निहित है। आपकी कंपनी ने निम्नलिखित जोखिमों की पहचान की है:—

(क) वस्तु मूल्य जोखिम

जोखिम कॉर्पोरेशन को कच्चे माल, ऊर्जा के साथ—साथ तैयार माल की कीमतों में उतार—चढ़ाव के रूप में प्रभावित करता है। स्वीकृत योजना के अनुसार सीसीआई ऊर्जा के संरक्षण हेतु ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों की स्थापना कर रहा है ताकि विद्युत खपत को इष्टतम बनाया जा सके। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे— आदक्ष/अधिक क्षमता वाले मोटरों के स्थान पर ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष और कम क्षमता वाले मोटर लगाना, अधिकतम मांग के प्रभावी नियंत्रण हेतु मांग नियंत्रकों

की स्थापना, उत्सर्जित गैसों में अधिकतम स्तर तक ऑक्सीजन का प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्री—हीटर टावरों में रिसाव को रोकना आदि उपाय किए गए हैं। पारंपरिक लाईटों और पंखों को ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष नए चोक और रेगुलेटर आदि से प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) आंतरिक संसाधनों की रक्षा

सीमेंट कारोबार का प्रचालन किफायती मूल्य पर गुणवत्तायुक्त कोयला की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर करता है। चूना पत्थर की उपलब्धता / गुणवत्ता संगत खनन क्षेत्र में इसके आरक्षित / जमा भंडारों पर निर्भर करती है।

कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए इस मुद्दे को सीएमए के जिए भारतीय कोयला नियंत्रक के साथ भी उठाया जा रहा है। सीसीआई की तीनों प्रचालनरत यूनिटों के लिए इसके पास चूनापत्थर, शेल आदि के लिए अपनी कैप्टिव खानें हैं।

(ग) परियोजना क्रियान्वयन जोखिम

आपकी कंपनी ने बोकाजन विस्तार योजना शुरू की है, जिसके लिए कंपनी को समय और लागत अधिक होने के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन में कोई भी विलंब उस अविध के राजस्व और लाभ को प्रभावित कर सकता है।

सीसीआई ने जोखिम को समाप्त करने के लिए परियोजनाओं का क्रियान्वयन समर्पित परियोजना कार्यान्वयन दल द्वारा कराने की योजना तैयार की है जो परियोजना क्रियान्वयन की सतत् आधार पर समीक्षा करता है।

(घ) मानव संसाधन जोखिम

मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने में कंपनी की योग्यता प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कंपनी में उन्हें रोक कर रखने और उनकी प्रतिभा में निखार लाने की क्षमता / दक्षता पर निर्भर करती है। अपेक्षित प्रतिभावान संसाधनों की कमी और अनुपलब्धता सीसीआई के निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इस संदर्भ में सीसीआई उद्योग जगत में लागू की गई पिछली मानव संसाधन प्रक्रियाओं की लगातार बेंच माक्रिंग कर रहा है और प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक सुधार कर रहा है।

(ङ) प्रतिस्पर्धा जोखिम

बाजार में नए सीमेंट विनिर्माताओं के प्रवेश हेतु वर्तमान में कोई बाधाएं अथवा प्रतिबंध नहीं है। सीसीआई को हमेशा प्रतिस्पर्धा जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लाभ मार्जिन, बाजार में हिस्सेदारी आदि पर दबाब पड़ सकता है।

सीसीआई गुणवत्ता, समय पर प्रदायगी और ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित कर कंपनी की ब्रांड छवि को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

(च) अनुपालन जोखिम

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुपालन में किसी भी चूक अथवा कमी के लिए दांडिक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। कंपनी नियामक ढांचे में किए जा रहे परिवर्तनों की नियमित रूप निगरानी और समीक्षा कर रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।





5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कॉर्पोरेशन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप है। आंतरिक लेखापरीक्षकों का चयन सी एण्ड एजी के कार्यालय से प्राप्त फर्मों की सूची से किया गया है। इसके अलावा लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण के संबंध में किसी बड़ी कमजोरी / कमी की रिपोर्ट नहीं की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संगठन में आंतरिक जांच को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से आंतरिक लेखा परीक्षा टीम प्रचालनात्मक स्तर पर आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित करती है। पाई गई त्रुटियों और विचलन, यदि कोई हैं, के विरूद्ध कार्रवाई की जाती हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा समिति, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों और अवलोकनों की समीक्षा करती है तथा लेखापरीक्षा समिति द्वारा दिए गए सुझावों को विभिन्न व्यापार प्रक्रियाओं के नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित किया जाता है।

6. सीएसआर नीति

कंपनी में एक सीएसआर नीति लागू की गई है, जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है जो ऐसे सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें सीसीआई समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण पर अपने प्रचालन के सभी पहलुओं से उनके कार्यकलापों पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए जिम्मेदारी वहन करता है। इस नीति के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों, सवयं—सेवी समूहों आदि को शामिल करते हुए और समुदायों को एक प्रमुख अंशधारक मानते हुए तथा तदनुसार उनकी आवश्यकता की पहचान और चिंताओं का समाधान करते हुए स्वैच्छिक सामाजिक कार्रवाई के जरिए दीर्घकालीन स्थिरता बनाए रखने हेतु फैक्टरियों के आस—पास के समुदायों को सशक्त बनाया जा रहा है और उनके लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा रहा है। सीसीआई पूर्वोत्तर क्षेत्र और तंदूर तथा राजबन सीमेंट प्लांट के आस—पास वाले क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है और इस बात को महसूस करता है कि इसके व्यापारिक कार्यकलापों का समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कंपनी स्थाई विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अपने व्यवसायिक मूल्यों और प्रचालनों को सिद्धांतिक ढंग से एकीकृत करने के लिए प्रयासरत है।

7. अन्य प्रकटन

केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजिनक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश के अध्याय—7 में प्रावधान किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अथवा उसके साथ एक अतिरिक्त संलग्नक के रूप में प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न मामलों पर कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के आधार पर निर्धारित सीमाओं के भीतर चर्चा—परिचर्चा शामिल होती है। जहां तक क्षेत्रवार और उत्पादवार निष्पादन का संबंध है, कंपनी केवल एक क्षेत्र अर्थात सीमेंट के विभिन्न ब्रांडों का व्यवसाय करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों तथा पर्यावरण संरक्षण और रक्षा, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण जैसे मुद्दों को निदेशकों की रिपोर्ट में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग वृद्धि में गिरावट और अतिरेक क्षमता दोनों ही कंपनी के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तथापि अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्पादों के विपणन हेतु नये क्षेत्रों की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी कीमतों में कमी के उपायों, उत्पादन में सुधार तथा निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए गैर प्रचालनरत इकाइयों की परिसंपत्तियों के उपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी।

एहतियाती वक्तव्य

'प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण में दिए गए विवरण कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं एवं अनुमानों को दर्शाने वाले प्रगतिशील तथा सुरक्षा के नियमों एवं प्रावधानों से परिपूर्ण कथन हैं। वित्तीय स्थिति, शासकीय नीतियों एवं अन्य प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार वास्तविक परिणाम व्यक्त अथवा इंगित किये गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।





<u>वार्षिक लेखे</u> <u>2013—2014</u>



तुलन पत्र 31 मार्च 2014 को

टिप्पणी सं. विवरण 31 मार्च 2014 को 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समाप्त वर्ष के लिए साम्या और दायित्व 1. अंशधारियों की निधियाँ 1) शेयर पूंजी क) 1 8.11.41 8.11.41 आरक्षित एवं अधिशेष 2 (9,37,36)(9,53,56)आवंटन लंबित रहने के दौरान शेयर 2 आवेदन धन (1,25,95)(1,42,15)गैर-चालू दायित्व 3. क) दीर्घे–कालिक उधर 1,87,90 1,87,90 3 खं) अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व 4 3,34,23 3,76,01 दीर्घ-कालिक उपबंध 5 99,06 97,75 6,21,19 6,61,66 चालू दायित्व अल्प-कालिक उधर क) 6 0 ख) व्यापार देय 7 16,75 16,05 55,63 ग) अन्य चालू दायित्व 8 56,68 अल्प–कालिक उपबंध 10,37 9 16,89 90,32 82,05 योग 5,85,56 6,01,56 परिसम्पत्तियाँ II. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ स्थायी परिसम्पत्तियाँ मूर्त परिसम्पत्तियाँ i) 1,27,41 1,29,11 10 चालू पूंजी संकर्म ii) 551,0 47,12 11 चालू पूंजी संकर्म ii) 2 11A गैर—चालू निवेश ख) 12 2,28 2,28 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम ग) 19,26 13 19,56 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ

(र लाखों में)

76

0

2.14.78

3,86,78

6.01.56

15,93

1,62,36

1,76,72

16,67

21,61

9,42

5.85.56 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्नित नोट संख्या 1से 31, जो की वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

14

15

16

17

18

19

20

21

75

2,21,47

3,64,09

16,65

1,48,88

1,67,68

10,59

28,06

8,88

ਵ0 ਵ0 नई दिल्ली (ए. के. शर्मा) एस. सी. अग्रवाल (आर. पी. टाक) दिनांक : 30.07.2014 उप कंपनी संचिव निदेशक-वित्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक

> हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते एस.पी.जी. एसोसिएट

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

> (एस.पी.गोयल) भागीदार मेम्बरशिप नं. 083131

नई दिल्ली दिनांक : 30.07.2014

ਬ)

ड)

क)

खं)

ग)

ਬ)

ਫ)

2)

कुल

अपरिशोधित व्यय

चॉलू परिसम्पत्तियाँ

सूचियाँ

चालू निवेश

व्यापार प्राप्य

कुल चालू परिसम्पत्तियाँ

गैर्-चालू प्रिसम्पत्तियाँ

नगद और नगद समतुल्य

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

अल्प-कालिक ऋण और अग्रिम

लाभ हानि विवरण 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का

(र लाखों में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2014	4 को	31 मा ⁻	र्च 2013 को
आय						
1.	प्रचालनों से राजस्व क) उत्पादों के विक्रय (रु. 478 लाख की किलंकर ब्रिक्री सहित) घटाएँ : उत्पाद शुल्क		3,63,03 39,14		3,16,56 32,29	
2	ख) अन्य प्रचालन राजस्व शुद्ध प्रचालनों से आय अन्य आय	22		3,23,89 63 3,24,52 33,69		2,84,27 3,08 2,87,35 40,31
	कुल आय		_	3,58,21		3,27,66
	व्यय उपभोग की गई सामग्रीयों की लागत क्लिंकर का क्रय तैयार माल, व्यापार स्टाक और	23	_	41,26 0		36,75 14,72
	चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन कर्मचारी हित व्यय अन्य व्यय	24 25 26		10,29 60,96 2,60,64		(17,97) 56,50 2,15,70
	वित्त संबंधी लागत मूल्यह्यास और परिशोधन व्यय	27		2,95 8,96		4,46 8,01
	कुल व्यय		_	3,85,06		3,18,17
	आपवादिक और असाधारण मदो से पूर्व लाभ/(हानि)			(26,85)		9,49
	आपवादिक मदें असाधारण मदों से पूर्व लाम असाधारण मदें	28(ফ)		43,05 16,20		3,55 13,04
	कर से पूर्व लाभ चालू प्रचालनों से कर संबंधी व्यय	28(ग)		0 16,20 0		(4,93) 8,11 0
	सतत् प्रचालनों से वर्ष के दौरान लाभ रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हारि रोक दिए गए प्रचालनों के कर संबंधी	ने) 28(घ)		(12,78) 28,98 0		20,38 (12,27) 0
	कर के पश्चात रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)			28,98		(12,27)
	वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)			16,20		8,11

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्न नोट संख्या 1से 31, जो वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

नई दिल्ली **(ए. के. शर्मा)** दिनांक : 30.07.2014 उप कंपनी संचिव

एस. सी. अग्रवाल निदेशक—वित्त

(आर. पी. टाक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते एस.पी.जी. एसोसिएट सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

ह0 नई दिल्ली (एस.पी.गोयल) दिनांक : 30.07.2014 भागीदार मेम्बरशिप नं. 083131



सी सी आ C C i



नोट सं.—1 शेयर पूजी

अधिमानी अंश

				(₹ लाखों मे
विवरण		। मार्च 2014 को माप्त वर्ष के लिए		मार्च 2013 को नाप्त वर्ष के लिए
प्राधिकृत प्रत्येक रु 1000 / – के 5,00,00,00 साम्या अंश (गत वर्ष 5,00,00,00)	5,00,00		5,00,00	
प्रत्येक रु 1000 / — के 4,00,00,00 (गत वर्ष 4,00,00,00) 0.01 % गैर संचयी मोचन हेतु अध्मानी अंश	4,00,00		4,00,00	
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्त		9,00,00		9,00,00
प्रत्येक रु 1000 / — के 4,55,97,49 साम्या अंश पूर्ण प्रदत्त (गत वर्ष 4,14,22,49)		4,55,98		4,55,98
प्रत्येक रु 1000 / — के 3,55,43,25 (गत वर्ष 3,55,43,25) 0.01 % गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश		3,55,43		3,55,43
योग		8,11,41		8,11,41
अवधि के प्रारम्भ और अंत पर बकाया साम्या शेयरों की संख्या का समाधान				
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयरों की संख्या		4,55,97,49		4,14,22,49
जमाः वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की संख्या		0		41,75,00
वर्ष के अंत पर बकाया शेयरों की संख्या		4,55,97,49		4,55,97,49
अवधि के प्रारम्भ और अंत पर बकाया अधिमानी शेयरों की संख्या का समाधान				
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयरों की संख्या		3,55,43,25		3,55,43,25
जमाः वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की सख्या		0		0
वर्ष के अंत पर बकाया शेयरों की संख्या		3,55,43,25		3,55,43,25
निगम में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारक की विवरणी				
शेयर धारक का नाम एवं शेयर की विवरणी—भारत सरकार				
साम्या अंश		100%		100%

100%

100%

नोट संख्या–2 आरक्षित एवं अधिशेष

(र लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
लाभ / हानि विवरण में अधिशेष / (कमी)		
तुलन–पत्र के अनुसार	(9,53,56)	(9,61,67)
वर्ष के दौरान लाभ	16,20_	8,11
अंतिम शेष	(9,37,36)_	(9,53,56)



नोट संख्या-3 दीर्घ-कालिक उधार (ऋण)

(र लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
अप्रतिभूत ऋण		
भारत सरकार से ऋण	1,50,90	1,50,90
अन्तर निगमित उधर	37,00	37,00
योग	1,87,90_	1,87,90_

ऋण एवं अन्तर निर्गमित उधार का ब्यौरा :

(र लाखों में)

क्रम	विवरण	ऋण	कब से	201	12-14	2011-13		
सं.		राशि	चूक	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	
1.	मै. गोवा शिपयार्ड लि.	3000	1995	3000	1369	3000	1369	
2.	मै. ओ. एन. जी. सी. लि.	700	1991	700	4794	700	4794	
3.	भारत सरकार	15090	लम्बी अवधि से	15090	0	15090	0	
	योग	18790		18790	6163	18790	6163	

मंजूरशुदा योजना के अनुसार, उपरोक्त योजनागत ऋण एवं निगमित उधार का भुगतान, गैर प्रचलन ईकाइयों की बिक्री से किया जाएगा

नोट संख्या-4 अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
व्यापार देय		
एम.एस.ई.	81	92
अन्य	29,89	30,60
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशी	19,09	14,61
ग्राहकों से अग्रिम	8,55	6,04
बिक्री कर देय	11,71	12,00
विद्युत	24,28	66,58
रायल्टी देय	5,07	8,41
भारत सरकार से ऋण पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	1,23,85	1,23,85
अन्य ऋण पर प्रोदभूत एवं ब्याज देय	61,63	61,63
अन्य देय	49,35	51,37
योग	3,34,23	3,76,01



नोट संख्या-5 दीर्घ-कालिक उपबंध

(क्र लाखों में)

विवरण

31 मार्च 2014 को

31 मार्च 2013 को

उपदान (ग्रेच्युटी) हेतु

निर्माणधीन पूजीगत कार्यो के लिए

47

3

अर्जित अवकाश दायित्व के लिए

15,44

14,52

48,20

99,06

नोट संख्या–6 अल्प–कालिक उधार		
		(₹ लाखों में)
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
बैंको से	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

नोट संख्या-7 व्यापार देय

अन्य के लिए

योग

(र लाखों में)

47,93 97,75

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
व्यापार देय		
एम.एस.एम.ई.	52	24
अन्य	16,23	15,81
योग	16,75	16,05

नोट संख्या-8 अन्य चालू दायित्व

(र लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
ग्राहकों से अग्रिम	9,25	9,72
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशी	7,79	8,37
बिक्री कर देय	7,82	7,54
उत्पाद शुल्क देय	1,11	83
विद्युत बकाया	7,82	5,07
कर्मचारियों को देय	6,45	7,99
रायल्टी देय	93	16
अन्य देय	15,51	15,95
योग	56,68	55,63

नोट संख्या–9 अल्प–कालिक उपबंध

(रू लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
उपदान (ग्रेचुटी)	6,13	77
अर्जित अवकाश दायित्व	2,31	42
अन्य उपबंध	8,45	9,18
योग	16,89	10,37



नोट संख्या – 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(र लाखों में)

											R	लाखा म)
सकल ब्लाक						मूल्यहास शुद्ध					ब्लाक	
विवरण		परिवर्धन / समायोजन	कटौतियां बिक्री	कटौतियां अन्तरण	31 मार्च 2014 को	01 अप्रैल 2013 को			समायोजन /निपटान	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
वर्क्स												
फ्री होल्ड भूमि	553	501	0	0	1054	146	0	0	0	146	908	407
पट्टे की भूमि	481	0	0	0	481	158	0	0	0	158	323	323
सड़कें एवं पुलिया	654	0	0	0	654	333	11	0	0	344	310	321
संयंत्र भवन	8884	0	0	0	8884	7558	185	0	0	7743	1141	1326
गैर संयंत्र भवन	1054	0	0	0	1054	528	17	0	0	545	509	526
जल प्रदाय, मल	1015	0	0	0	1015	961	1	0	0	962	53	54
निकास व व्ययन												
रेलवे साइडिंग	1823	0	0	0	1823	1533	11	0	0	1544	279	290
विद्युत संस्थापन	1970	0	0	0	1970	1810	13	0	0	1823	147	160
संयंत्र एवं मशीनरी	46116	212	0	0	46328	38018	600	0	0	38618	7710	8098
हवाई रज्जु मार्ग	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
(रोपवे)												
रेलवे रोलिंग स्टॉक	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
खदान उपकरण	2741	0	135	0	2606	2576	4	0	124	2456	150	165
वाहन	445	9	14	0	440	364	11	0	10	365	75	81
फर्नीचर, जुड़नार एवं	266	0	0	0	266	247	2	0	0	249	17	19
कार्यालय उपकरण	424	21	0	0	445	375	9	0	0	384	61	49
विविध उपकरण	824	8	9	0	823	700	8	0	8	700	123	124
₹ 5,000 / - लागत	49	1	0	0	50	49	1	0	0	50	0	0
तक प्रभारित परिसम	पत्तियां											
वर्क्स योग	68428	752	158	0	69022	56434	873	0	142	57165	11857	11994



नोट संख्या – 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(र लाखों में)

			सक	ल ब्ला	क			मूल्य	ाहास		शुद्ध	ब्लाक
विवरण		परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियां बिक्री	कटौतियां अन्तरण	31 मार्च 2014 को	01 अप्रैल 2014 को			समायोजन /निपटान	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
टाउनशिप												
फ्री होल्ड भूमि	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
पट्टे की भूमि	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	29
सड़कें एवं पुलिया	39	0	0	0	39	19	01	0	0	20	19	20
आवासीय एव												
कल्याण भवन	1754	0	0	0	1754	934	28	0	0	962	792	820
जल प्रदाय, मल												
निकास तथा व्ययन	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
विद्युत संस्थापन	41	0	0	0	41	40	0	0	0	40	1	1
वाहन	123	0	1	0	122	105	4	0	1	108	14	18
फर्नीचर, जुडनार	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
कार्यालय उपकरण	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0
विविध उपकरण	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
टाउनशिप योग	2206	0	1	0	2205	1289	33	0	1	1321	884	917
वर्क्स एवं टाउनशिप का य	⁷⁰⁶³⁴ गि	752	159	0	71227	57723	906	0	143	58486	12741	12911
गत वर्ष	67031	3869	266	0	70634	57167	811	0	255	57723	12911	9863

प्रभारित मूल्यहास का ब्यौरा

(र लाखों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
- लाभ हानि खाता	8,96	8,01
खदान (नोट सं. 23)	10	10
	9,06	8,11
मुल्यहास :		

निम्नलिखित विद्युत संस्थापनों, गैर संयंत्रा भवन एवं आवासीय भवन पर मूल्यह्रास परिसम्पित्तयों के अनुमानित वाणिज्यिक जीवन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लगाया गया है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसूची XIV में निर्धारित दर से अधिक है। कुल वित्तीय प्रभाव शून्य (गत वर्ष ₹ 0.23 लाख) 11 केवी स्विच गियरस, केबलस ट्रैन्चिज, रेल ट्रेक यार्ड एरिया फैन्सिंग व मैल्टिंग @ 3.84%, कंट्रोल रूम @2.40%, एन. डी./पी. टी./एल. ए./पी. आई. इन्शूलेर्टस बिना और सिहत, ऐ. सी./डी. सी. बोर्ड @ 6.25%, एल. ए. @ 7.14% कंट्रोल व रिलै पैनल फीडर एवं ट्रांस्फार्मर @5.55% कन्ट्रोल कैबेल @ 9%, एम. पी. ई. बी. क्वार्टस @ 2.43%

नोट संख्या-11 निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य

(र लाखों में)

विवरण 1	अप्रैल 2013 का शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीगत	31 मार्च 2014 को शेष
यांत्रिक परामर्श	1,15	5	0	0	1,20
सिविल इंजीनियरिंग कार्य	16,47	4,68	3	0	21,12
सयंत्र एवं मशीनरी प्रतिस्थापन के अधीन सहित	26,94	4,93	0	2,12	29,75
संयंत्र एवं मशीनरी प्रतिस्थापन व्यय	1	0	0	0	1
प्रासगिक व्यय जिनका आवंटन करना है।	1,35	1	0	0	1,36
(संलग्न संर्दर्भित)					
पूँजीगत भंडार	12	0	0	0	12
अन्य	1,08	49	0	0	1,57
योग	47,12	10,16	3	2,12	55,13
सिविल इंजीनियनिंग वर्क्स	0	0	3	0	3
योग	47,12	10,16	6	2,12	55,10

नोट संख्या-11 (क) निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (अमूर्त सम्पत्ति)

(र लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2013 का शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान पूंजीगत	31 मार्च 2014 को शेष
निर्माणधेन कार्य					
सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	0	0	0	2
योग	2	0	0	0	2







CCi

नोट संख्या – 11 का संलग्नक : निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय लेखा


(र लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित सुविधाएं		
वेतन मजदूरी एवं भत्ते	0	7
कुल पारिश्रमिक	0	7
विविध व्यय	2	3
विधिक व्यय	12	0
सुरक्षा व्यय	9	8
शुद्ध व्यय	23	18
नयागाँव विस्तार में अंतरित शेष	22	9
वर्ष के दौरान वृद्धि	1	9
आई. ई. डी. सी. के खाते का सारांश		
निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय का आरम्भिक शेष	135	1,26
वर्ष के दौरान वृद्धि	1	9
घटाएँ		
वर्ष के दौरान पूजीगत किया गया	0	0
वर्ष के दौरान समायोजन किया गया	0	0
निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय का अन्तिम शेष	136	1,35

नोट संख्या- 12 : गैर चालू निवेश

(₹ लाखों में)

(र ला र			(रू लाखों में)		
विवरण	Т	31 मार्च, 2014 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2014 को खाता मूल्य		
लंबी	अवधि के निवेश				
लागत	। पर उद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)				
(i)	आन्ध्र सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 31 इक्विटी शेयर @ ₹ 5.64 (गत वर्ष ₹ 6.55)	@	@	@	@
(ii) लागत	ए.सी.सी.लि. के ₹ 10 के प्रत्येक मूल्य के 280 इक्विटि शेयर (जिसमें 180 बोनस शेयर सम्मिलित हैं) जोकि ₹ 100 मूल्य के 28 शेयरों से बदले गये हैं जिनका बाजार मूल्य बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ₹ 1362.00 प्रति शेयर है। (गत वर्ष ₹ 1159.20) 1 पर अनुद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत)		@	3	@
(i)	असम बंगाल सीमेंट कंपनी लि. का				
	10 रुपए का 1 इक्विटी शेयर *	-	@	-	@
(ii)	जयपुर उद्योग लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 79 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
(iii)	सोन वैली सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 5 प्रत्येक के 40 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
(iv)	आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन के ₹ 10 मूल्य के 55,31,520 इक्विटी शेयर (23,15,520	3,22	-	3,22	-
	बोनस शेयर सहित) 16,10,680 शेयर बेच दिए गए, जिसमें 1,34,000 बोनस शेयर सम्मिलित है। ₹ 10 मूल्य के 39,20,840 शेयर शेष बचे है (21,81,520 बोनस शेयर सहित)	94	2,28 	94	2,28
	निवेश का योग		2,28		2,28
उद्धरि	त निवेशों का योगफल				
लागत		-	@	_	@
बाजार	. मूल्य	3	-	3	-
अनुद्ध	 रित निवेशों का योगफल				
लागत		_	2,28		2,28
	निवेश का योग		2,28		2,28



^{*} निगम के नाम हस्तांतरण होना बाकी है।





नोट संख्या-13 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम

		(रू लाखों में)
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
पूँजीगत अग्रिम		
पुरिक्षत, उत्तम माने गए	61	61
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,91	1,91
संदिग्ध	13	13
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	13	13
उपयोग	2,52	2,52
जमा केन्द्रीय उत्पादक शुल्क		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,48	1,85
संदिग्ध	28	28
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधन	28	28
उपयोग	1,48	1,85
अन्य जमा		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए	10,52	9,75
संदिग्ध	25	16
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	25	16
उपयोग	10,52	9,75
ठेकेदार एवम् पूर्तिकर्ता		
	0	0
असरक्षित उत्तम माने गए	43	79
सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध	2,62	2,33
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	2,62	2,33
उपयोग	43	79
सरकारी विभाग के साथ शेष		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,29	1,18
संदिग्ध	52	52
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	52	52
उपयोग	1,29	1,18
बीमा व अन्य दावे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	49	75
संदिग्ध	2,04	1,78
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	2,04	1,78
उपयोग	49	75

नोट संख्या-13 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम (जारी.....)

नाट संख्या—13 दाघ—कालिक ऋण आर आग्र	म (जारा)	
		(रू लाखों में)
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
कर्मचारियों को अग्रिम व ऋण		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	1	1
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	0	0
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	1	1
वसूली योग्य दावे—रेलवे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
अँसुरक्षित, उत्तम माने गए	7	7
संदिग्ध	3,88	3,88
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	3,88	3,88
उपयोग	7	7
वसूली योग्य उत्पादक शुल्क राहत		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
अँसुरक्षित, उत्तम माने गए	29	29
संदिग्ध	93	93
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	93	93
उपयोग	29	29
कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने ्गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1	1
संदिग्ध	8	8
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	8	8
उपयोग	1	1
बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने ्गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	2,15	2,34
संदिंग्ध घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	8,55 8,55	7,16
	8,55	7,16
उपयोग	2,15	2,34
जाँच होने तक कमियाँ—हानियाँ		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
अँसुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	5,90 5,90	5,90 5,90
वटाएं. बट्ट खारा और सादग्व नेदा के लिए प्रापवान उपयोग		
	0	0
कुल योग	19,26	19,56







नोट संख्या-14 : अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ

			(₹ लाखों में)
	विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क) ख)	दीर्घ—कालिक व्यापार प्राप्य (आस्थगित उधर संबंधे निबंधनों पर व्यापार प्राप्यों को सम्मिलित करते हुए) ऋणों एवं अग्रिमों पर देय व प्रोदभूत	0	0
G)	ब्याज (असुरक्षित, उत्तम माने गए) योग	75 75	<u></u>

नोट संख्या–15 व्यय– अपरिशोधित व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
खनन् विकास व्यय		
आरम्भिक शेष	15,93	14,98
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,46	3,52
	18,39	18,50
घटाएः समायोजित / पूंजीगत	1,74	2,57
योग	16,65	15,93

नोट संख्या-16 चालू निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
चालू निवेश		
गैर व्यापार निवेश 1. कोट किए गए निवेशों से	0	0
2. कोट नहीं किए गए निवेशो से योग	0	0

नोट संख्या—17 वस्तु सूचियाँ (प्रबंधक द्वारा बनाई गई, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)



सी सी आई C C i

			(₹ लाखों
विवरण		31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
b) भंडार व अतिरिक्त पुर्जे			
–स्टाक में		66,52	70,40
–मार्गस्थ में		12	29
उपयोग		66,64	70,69
a) कार्य प्रगति में			
–स्टाक में		39,94	51,91
–मार्गस्थ में		0	0
उपयोग		39,94	51,91
) तैयार माल			
–स्टाक में		16,07	9,87
–मार्गस्थ में		2,87	7,50
उपयोग		18,94	17,37
) कच्ची सामग्रियाँ			
–स्टाक में		9,87	10,00
–मार्गरथ में		3	2
उपयोग		9,90	10,02
) खुले औजार एवं उपकरण			
–स्टाक में		1	2
–मार्गस्थ में		0	0
उपयोग		1	2
) पैकिंग सामग्री			
–स्टाक में		92	51
–मार्गरथ में		0	0
उपयोग		92	51
ं) कोयला			
–स्टाक में		9.20	8,61
–मार्गस्थ में		0	0
उपयोग		9,20	8,61
ा) स्क्रैप			
–स्टाक में		3,44	3,33
–मार्गस्थ में		0	0
उपयोग		3,44	3,33
	योग	1,48,99	1,62,46
टाएं: अप्राप्य वस्तु सूची का प्रावधन		11	10
कुल		1,48,88	1,62,36



नोट संख्या-18 व्यापार प्राप्य

(र लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क)	व्यापार प्राप्य जो छह माह से अधिक की अवधि से बकाया है		
	–सुरक्षित, उत्तम माने गए	48	0
	–असुरक्षित, उत्तम माने गए	34	5,00
	–संदिग्ध	15,11	12,02
	घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	15,11	12,02
	योग (क)	82	5,00
ख)	अन्य व्यापार प्राप्यः		
	–सुरक्षित, उत्तम माने गए	72	72
	–असुरक्षित उत्तम माने गए	9,05	10,95
	–संदिग्ध	0	0
	घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
	योग (ख)	9,77	11,67
	कुल योग (क+ख)	10,59	16,67

नोट संख्या-19 नगद और नगद समतुल्य

(र लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
हाथ में नगदी	2	3
मार्गस्थ प्राप्तियाँ	0	0
चैक / डी.डी. हाथ में	1,33	72
बैंक में जमा *	1,50,54	1,57,11
बैंक शेष चालू खाता	7,71	11,81
योग	1,59,60	1,69,67
बैंक में अधिशेषों को, जो कि मार्जिन मनी अथवा प्रतिभूतियों के रूप में धारित किया है		
– प्रतिभूति	8,08	7,05
–साख पत्र	0	0
कुल योग	1,67,68	1,76,72

^{*} बैंकों में जमा राशि में, ₹ 80.00 लाख (गत वर्ष रु. 2470.50 लाख) की जमा जिसकी मैच्युरटी तारीख 12 महीनों से ज्यादा है, भी सम्मलित है।

नोट संख्या–20 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(र लाखों मे

		(र लाखों र
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
सरकारी विभागों के साथ शेष सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध	0 3,28 0	0 3,42 0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0	0
उपयोग ठेकेदार एवं पूर्तिकर्ता	3,28	3,42
सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	8,32 3 3	5,09 0 0
उपयोग	8,32	5,09
अन्य जमा सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	2,88 0 0	0 10 0 0
उपयोग	2,88	10
बीमा व अन्य दावे सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0 15 0 0	0 8 0 0
उपयोग	15	8
कर्मचारियों के ऋण व अग्रिम सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध उपयोग	2 9 0 0 11	4 11 0 0 0 15
उत्पाद शुल्क / वैट वसूली योग्य राहत सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0 6,70 0 0	0 5,81 0 0
उपयोग कर्मनारियों से तसती योग	6,70	5,81
कर्मचारियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	33 29 0 0	21 1 0 0
उपयोग	62	22







नोट संख्या-20 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (जारी)

		(रू लाखों में)
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
बाहरी पूर्तिकर्ता सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध	0	0
असुरक्षित, उत्तम मान गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	6,00 65 65	6,74 0 0
उपयोग	6,00	6,74
कुल योग	28,06	21,61

नोट संख्या–21 अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

		(रू लाखों में)
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
- मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज	8,88	9,42
योग	8,88	9,42

नोट संख्या–22 अन्य आय

		(र लाखों में)
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
आय से:		
–सम्पत्ति से किराया	10,47	8,89
–कर्मचारियो के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	7	11
–टाउनशिप से प्राप्तियाँ	47	43
–विगत वर्षों से आय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख के संदर्भित)	0	4,98
–अधिक प्रावधान वापसी	31	2,48
–बैंक ब्याज	17,25	18,24
–विविध आय	4,82	4,46
–पृथक की गई सम्पत्तियों की बिक्री से आय	30	72
योग	33,69	40,31

नोट संख्या-23 : उपभुक्त कच्चे माल की लागत

(र् लाखों में)				
विवरण	31 मार्च	2014 को	31 I	नार्च २०१३ को
प्रारम्भिक शेष		10,00		10,82
वर्ष के दौरान अर्जन				0.4.70
चूना पत्थर की खनन एवं परिवहन (*नीचे दी गई टिप्पणी को संदर्भित करें)		24,85		24,53
अन्य कच्चे माल की खरीद		16,28		11,40
उप–योग		51,13		46,75
घटाएं : अंतिम रहतिया		9,87		10,00
कुल उपभुक्त कच्चा माल		41,26		36,75
*टिप्पणी—चूना पत्थर की खनन तथा परिवहन		41,20		
चूना पत्थर की खनन तथा ठेकेदारों को किया गया भुग	ातान	5,63		6,72
कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा सुविधाएं		,		,
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	4,91		4,49	
उपदान भुगतान	9		16	
कर्मचारियों को सुविधाएं भविष्य निधि में अंशदान	0		4	
नावष्य । नाध में अंशदान पैंशन निधि में अंशदान	28 5		25 6	
छुट्टियों का नकदीकरण	9		9	
चिकित्सा खर्च	23		14	
उपदान के लिए प्रावधान	61		32	
अर्जित अवकाश दायित्व	30	6,56	16	5,71
उपभुक्त भण्डार		0,30		5,7 1
सकल राशि	2,84		2,72	
घटाएं : मरम्मत में सम्मिलित	1,87		1,46	
A		97		1,26
विद्युत ईंधन	63 60		65 30	
दर एंव कर	15		23	
बीमा	0		2	
रॉयल्टी एवं उपकर	7,18		7,04	
बट्टे खाते में डाला गया खदान विकास व्यय यात्राा व्यय	1,74 1		2,57	
अन्य व्यय	1,87		1 1,97	
मूल्यहास	10		10	
		12,28		12,89
मरम्मत मशीनरी	99		67	
भवन अन्य	6 82		10 70	
·		1,87		1,47
उपयोग		27,31		28,05
घटाएं : खदान विकास व्यय		2,46		3,52
योग		24,85		24,53





नोट संख्या-24 : तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन

(र लाखों में) विवरण 31 मार्च 2014 को 31 मार्च 2013 को अर्द्ध तैयार माल अंतिम रहतिया 39,94 51,91 प्रारम्भिक रहतिया 51,91 38,65 (11,97)13,26 तैयार माल अंतिम रहतिया 16,07 9.87 प्रारम्भिक रहतिया 9,87 5,82 6,20 4,05 तैयार माल मार्गस्थ अंतिम रहतिया 2,87 7,50 प्रारम्भिक रहतिया 7,50 6,57 93 (4,63)स्क्रैप रहतिया अंतिम रहतिया 3,33 3,44 प्रारम्भिक रहतिया 3,33 3,60 11 (27)योग-उपचय / (अनुपचय) (10,29)17,97

नोट संख्या 25 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित लाभ *

(र लाखों में) विवरण 31 मार्च 2014 को 31 मार्च 2013 को वेतन मजदूरी एवं बोनस 44,02 40,77 उपदान भुगतान 55 1,03 कर्मचारियों को हितलाभ 8 13 अर्जित अवकाश दायित्व 2,57 2,20 भविष्य निधि में अंशदान 2,91 2,52 पैंशन निधि में अंशदान 44 54 चिकित्सा खर्चे 2,60 2,59 छृट्टियों का नकदीकरण 1,25 78 उपदान के लिए प्रावधान 4,52 3,84 कर्मचारी कल्याण व्यय 2,02 2,10 योग 60,96 56,50 *अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशकों सहित पारिश्रमिक इस प्रकार है:-वेतन एवं भत्ते 74 64 भविष्य निधि में अंशदान 5 कर्मचारी पैंशन निधि में अंशदान 0 0 उपदान का प्रावधन 5 4 अन्य हित लाभ 2 5 अर्जित अवकाश

*इनके अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को गैर—कार्यालयीन कार्यों के लिए रु. 2000 / — प्रतिमाह की दर से भुगतान करने पर 1000 कि.मी. प्रतिमाह तक कम्पनी का वाहन उपयोग करने की अनुमति है।

नोट संख्या 26ः अन्य व्यय

🤁 लाखों में,				
विवरण	31 मा	र्च 2014 को	31	मार्च 2013 को
विद्युत	63,58		46,32	
कोयला	86,01		78,90	
ईंधन तथा तेल	17		2,58	
केराया	22		24	
उत्पाद शुल्क	2,47		2,13	
दर एवं कर	3,10		1,08	
बीमा	19		28	
		1,55,74		1,31,53
मरम्मत एवं रख रखाव	40.4			
संयंत्रा एवं मशीनरी	13,17		11,94	
भवन	1,91		1,39	
अन्य	3,52	40.00	2,85	10.10
कुल मरम्मत एवं रख–रखाव		18,60		16,18
अन्य उत्पादन व्यय		8,64		6,71
बट्टे खाते में डाले गये औजार एवं उपकरण		2		2
यात्रा व्यय		1,03		1,17
बिक्री व्यय	04.00		00.04	
सीमेंट का भाड़ा	31,06		28,94	
चढ़ाई–उतराई खर्चे द्वितीयक परिवहन	7,50		4,00	
	10		0	
चुंगी भुगतान बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	5		25 11	
अन्य बिक्री व्यय	18 20		4	
कुल बिक्री व्यय	20	39,09	4	33,34
पुरा विष्ठेंग व्यय वाहनों का परिचालन व्यय		39,09		33,34 42
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				42
लेखा परीक्षा शुल्क	4		4	
खर्चों की प्रतिपूर्ति	1		2	
अन्य क्षमता में	1		1	
कुल लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		6	·	7
लागत लेखा परीक्षा फीस	1		1	·
लागत लेखा परीक्षा व्यय	0		0	
कुल लागत लेखा परीक्षा व्यय		1		1
सी. आर. आई तथा अन्यों को अंशदान		8		6
स्थायी सम्पत्ति के निपटान से हानि		0		0
संचार व्यय		33		35
मुद्रण तथा लेखन सामग्री व्यय		26		25
डाटा प्रोसेसिंग पर भाड़ा प्रभार		2		2
कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण व्यय		99		73
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय		3,83		3,01
सुरक्षा व्यय		4		4
विविध व्यय*		3,34		2,99
संविदा श्रमिकों को भुगतान		2,99		2,32
बन्द योजना पर व्यय		22		9
बटटे खाते का प्रावधान		5,84		1,05
		27		0
उप योग		2,41,84		2,00,36







नोट संख्या 26: अन्य व्यय (जारी...)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
मंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे सकल राशि घटाएं : मरम्मत तथा रख रखाव के अधीन सम्मिलित	15,54 10,99	12,94 8,40
	4,55	4,54
पैकिंग सामग्री	14,25	10,80
योग	2,60,64	2,15,70
*सम्मिलितः		
–मनोरंजन व्यय	0	0
–निदेशक उपस्थिति फीस	2	2

नोट संख्या-27 वित्त संबंधी लागतें

(र लाखों में)

		1 11 -11 17
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
ब्याज		
–स्टाकिस्टों से जमा पर	13	12
–अन्य	2,82	4,34
योग	2,95	4,46

नोट संख्या-28 आपवादिक, असाधारण एवं विगत वर्षों से सम्बन्धित समायोजन


नोट संख्या-28 (क) आपवादिक मदें

(र लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
आपवादिक मदें		
आय		
स्वीकृत योजना के तहत ब्याज की वापसी	43,05	7,57
योग : आपवादिक आय (i)	43,05	7,57
व्यय		
ब्याज	0	4,02
योग : आपवादिक व्यय (ii)	0	4,02
शुद्ध आपवादिक मदे आय/(व्यय) (i-ii)	43,05	3,55

नोट संख्या—28 (ख) विगत वर्षों के मद

		(रू लाखों
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
आय		
कच्चा माल	1	0
भण्डार एवं कल पुर्जे	0	617
कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं हितलाभ	2	0
बिक्री	1	1
मरम्मत एवं रखरखाव	12	0
दर एवं कर	4	0
	11	0
ईधन एवं विद्युत	0	6
पूर्वावधि आय का योग (i)	31	6,24
व्यय		
मरम्मत एवं रखरखाव	18	9
कच्चा माल	0	1,04
भंडार एवं पैकिंग सामग्री	8	0
विलम्ब शुल्क	0	5
बिक्री व्यय	5	0
ईधन तथा विद्युत	0	1
कर एवं दर	12	0
माल भाड़ा	0	7
अन्य	15	0
पूर्वावधि व्यय का योग (i)	58	1,26
शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय (i-ii)	(27)	4,98



∌	लाखो	Ħ)
11	111 -11	'/

		(*** -11 1)
विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
आय	0	0
योग असाधारण मदें आय (i)	0	0
व्यय		
अकलतारा में हुई चोरी से हानि	0	4,93
योग असाधारण मदें व्यय (ii)	0	4,93
शुद्ध असाधारण आय / (व्यय) (i-ii)	0	(4,93)
		







नोट संख्या – 28 (घ) 31.3.2014 को समाप्त वर्ष का प्रचालन एवं गैर–प्रचालन के आय और व्यय का विवरण

(र लाखों में)

	विवरण	į	प्रचालित	गैर	–प्रचालित	य	ोग
		2013-14	2012—13	2013-14	2012—13	2013-14	2012—13
क)	आय:-						
बिक्री	(शुद्ध)	3,23,89	2,84,27	0	0	3,23,89	2,84,27
	प्रचालित आय	63	3,08	0	0	63	3,08
	तैयार						
	तैयारमाल की	(40.00)	47.00	0	(0)	(40.00)	47.07
उपच	य (अनुपचय)	(10,29)	17,99	0	(2)	(10,29)	17,97
कुल	आय	3,14,23	3,05,34	0	(2)	3,14,23	3,05,32
ख)	व्यय:						
प्रचारि	नेत व्यय	3,56,62	3,18,64	15,19	13,04	3,71,81	3,31,68
कुल	व्यय	3,56,62	3,18,64	15,19	13,04	3,71,81	3,31,68
ग)	प्रचालन गतिविधियों से एवम् ब्याज व कर पूर्व लाभ	(42,39)	(13,30)	(15,19)	(13,06)	(57,58)	(26,36)
	ब्याज खर्च	1,83	2,95	1,12	1,51	2,95	4,46
घ)	कर पूर्व लाभ (हानि)	(44,22)	(16,25)	(16,32)	(14,57)	(60,54)	(30,82)
ভ)	आय कर	0	0	0	0	0	0
च)	कर पश्चात, प्रचालन गतिविधियों से लाभ/(हानि)	(44,22)	(16,25)	(16,32)	(14,57)	(60,54)	(30,82)
छ)	अन्य आय	31,44	36,63	2,25	3,68	33,69	40,31
ज)	आपवादिक मदें–आय/(व्य	,	0	43,05	3,55	43,05	3,55
झ)	आसाधरण मदें—आय/(व्यय	i) 0	0	0	(4,93)	0	(4,93)
স)	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)	(12,78)	20,38	28,98	(12,27)	16,20	8,11

नोट संख्या—29 आकस्मिक दायित्वों और प्रतिबद्धताएँ— उस सीमा तक जिस तक उपबंध नहीं किया है।

		विवरण	31 मार्च 2014 को	<i>(₹ लाखों</i> 31 मार्च 2013 को
अ)	आक क)	िरमक दायित्वः कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें उधार के रूप में अभी स्वीकार नहीं किया गया है	4,52,39	4,34,44
	ख)	ऐसे अन्य धन, जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	0	0
		योग (अ)	4,52,39	4,34,44
ৰ)	प्रति	बद्धताएँ:		
	क)	पूँजीगत लेखा निष्पादित किए जाने के लिए शेष सभी सविदाओं की अनुमानित रकम जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है।	1,66,09	1,73,64
	ख)	अन्य प्रतिबद्धताएं (विनिर्दिष्ट प्रकृति)	0	0
		योग (ब)	1,66,09	1,73,64
		योग (अ+ब)	6,18,48	6,08,08






नोट संख्या-30 : दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

- 1. कार्पोरेशन द्वारा किए गए ₹ 8452.41 लाख (गत वर्ष ₹ 7243.53 लाख) के दावे/प्रतिदावे, जो कि आर्बीट्रेशन/कोर्ट इत्यादि के अधीन अनिर्णीत हैं तथा जिनके निर्णय/अवार्ड/डिक्री इत्यादि दिए/किए जाने के बाद ही पता चलेगा, के लिए लेखों में कोई प्रभाव नहीं दिया गया है।
- 2. (i) फार्म "सी" / "डी" और "एफ" / "बी—II" इत्यादि प्राप्त न होने के कारण बिक्री कर की देयता के लिए तुलन—पत्रा की तारीख तक 355.85 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 269.21 लाख) का कोई प्रावधान नहीं किया गया या आवश्यक समझा गया क्योंकि इनके अंतिम कर निर्धारण और अपीलों पर निर्णय होने के पहले प्राप्त होने की आशा है।
 - (ii) आंचलिक कार्यालयों की बिक्री कर अधिकारियों द्वारा दावित राशि ₹ 1900.23 लाख (गत वर्ष ₹ 1900.23 लाख) का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि माँग न्यायाधीन है।
 - (iii) आयकर अधिनियम 1961 की उपधारा 271 (i) (c) के अन्तर्गत आयकार विभाग ने, निर्धारण वर्ष 2007—08 के लिए उनके आदेश दिनांक 31.3.2014 में दण्ड स्वरूप रु 2961.22 लाख की उगाही की मांग की है जो कि मुख्यताः वी आई एफ आर द्वारा दिनांक 3.5.2006 को अनुमोदित पुर्नवास योजना के अन्तर्गत ब्याज माफी के बाबत राशि रु. 87,98,64,000 / की आय को छुपाना है। माननीय बी आई एफ आर की मंजूरशुदा योजना और सीबीडीटी के परिपत्र सं. 5 / 2009 दिनांक 2—7—2009, को ध्यान में रखते हुए, निगम ने इसका पुरजोर विरोध किया है तथा विरोध को ध्यान में रखते हुए खाते में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
 - (iv) कर निर्धारण वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के लिए निर्धारण अधिकारी (आयकर विभाग) आदेशानुसार, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई आय क्रमशः राशि 8850087850 / को कम्पनी की, आगे ले जाई गई हानियाँ से समायोजित किया। जिसके मद्देनजर, कम्पनी की, आगे ले जाई हानियाँ रु. 9729951850 से कम हो गई है। निगम ने अपनी अपील दायर की है जो कि निर्णय हेतु अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित है।
- 3. 1.06 एकड़ (मांढर), 5 बीघा (बोकाजन), 0.146 हैक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकलतारा), 10.12 एकड़ (भटिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट) भूमि के लिए टाइटिल विलेख तथा 155.83 एकड़ (नयागांव), 58.81 एकड़ (अदिलाबाद) और 14.20 एकड़ (दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट) भूमि के लिए पट्टा विलेखों का निष्पादन होना अभी बाकी है।
- 4. मांढर की 1056.98 एकड़, कुर्कुंटा की 105.22 हैक्टेयर, नयागांव की 336.85 हैक्टेयर, अकलतारा की 398.65 हैक्टेयर, अिदलाबाद की 839.393 हैक्टेयर राजबन की 172.30 हैक्टेयर और तांदूर की 1516.07 एकड़ भूमि का खनन पट्टा समाप्त हो गया है, यद्यपि खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है, पट्टा विलेखों का नवीनीकरण बकाया होने के बावजूद लाइमस्टोन को प्रावधिक आधार पर जहाँ भी किलंकर / सीमेंट विनिर्माण के लिए जरूरत होती है। निकाला जा रहा है।
- 5. (i) सीसीआई अदिलाबाद कालोनी के बाहर की सरकारी भूमि के अधिग्रहण जिसे पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 7 के लिए सड़क हेतु उपयोग में ली गई है और जिसकी माप 32 मुंटा है, जिसके लिए हस्तांतरण आदेश राजस्व विभाग से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है, के लिए देय राशि यदि कोई हो, का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
 - (ii) जगाधरी रेलवे साईडिंग को 1980 से, राजबन ईकाई द्वारा, निजि रेलवे साईडिंग की तरह प्रचालन किया जा रहा है। वर्ष के दौरान विरष्ट प्रभागीय प्रबन्धक (वाणिज्यिक) रेलवे, अम्बाला केंट ने अपने दिनांक 13.6.13 के पत्र सं. 641 ब / 264 / जेयूडी के जिरए, 1.4.2010 से 31.3.2014 की अवधि के लिए लाइसेंस फीस की राशि रु. 1308.66 लाख की भाग की है जोिक मान्य (तर्कसंगत) नहीं है। इस अन्यायपूर्ण कार्य के लिए रेलवे को पत्र दिनांक 24.6.13 से सूचित कर दिया गया है। इसलिए इसका प्रावधान अवश्यक नहीं समझा गया है।
- 6. (i) 31 मार्च, 2014 को खत्तियों में पड़े 16912.693 मी. टन (पिछले वर्ष 6316.450 मी. टन) अंतिम रहितये के खुले सीमेंट के संबंध में ₹ 88.56 लाख (पिछले वर्ष ₹ 30.54 लाख) के अदत्त उत्पाद शुल्क की देयता के लिए व्यवस्था कर दी गई है। 31 मार्च, 2014 को 16912.693 मी. टन (पिछले वर्ष 6316.450 मी. टन) सीमेंट के स्टाक के लिए

- ₹ 0.13 लाख (गत वर्ष ₹ 0.10 लाख) की राशि का उपकर देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है। परंतु इससे कार्पोरेशन के लाभ—हानि लेखे की वास्तविक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- (ii) 07 जनवरी, 2003 की औद्योगिक नीति में विनिर्दिष्ट, जो ईकाई 31 मार्च 2010 तक, 25 प्रतिशत की पर्याप्त क्षमता विस्तार करती है को तैयार माल पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है जबिक राजबन ईकाई के सम्बन्ध में उत्पाद प्राधिकारी ने "किलंकर" पर उत्पाद शुल्क हुेत राशि 1375.00 लाख की माँग की है जोिक सीमेन्ट उत्पादन का भाग है और सीमेंट उत्पादन में उपभुक्त कर लिया जाता है। जिसका प्रावधान अवश्यक नहीं समझा गया है। हालांकि सितम्बर 2012 से फरवरी 2013 तक की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क राशि 227.71 लाख, विरोध करते हुए जमा की गई है। उत्पाद शुल्क का मामला, माननीय उच्चतम न्यायलय और आयुक्त (अपील) केन्द्रीय उत्पाद के समक्ष लंबित है।



- 8. स्कोप काम्प्लैक्स, नई दिल्ली भवन की लीज डीड जिसका कार्पोरेशन के पक्ष में निष्पादन होना बाकी है, को ₹ 266.58 लाख की लागत पर बिना विद्युत संस्थापन ₹ 5.70 लाख के प्रावधिक रूप से 1.63% की दर से मूल्यहास के रूप में परिशोधित किया जा रहा है।
- 9. दिनांक 25.04.96 के पत्रा सं. एस ई सी / 84 / 96 / 513 के तहत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (एस पी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(i) के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को एक संदर्भ भेजा गया था। कम्पनी को माननीय बी. आई. एफ. आर. के पत्र सं. 501 / 96—बेंच iv एस. ओ .एल. दिनांक 8.8.96 के तहत रुग्ण घोषित किया गया था। मै. आई एफ सी आई, पिरचालन एजेंसी द्वारा तैयार की गई डी आर एस को माननीय बी. आई. एफ. आर. की 21.3.06 को हुई उसकी बैठक में अनुमोदन कर दिया गया और मंजूर की गई योजना को 3.5.06 को पिरचालित कर दिया गया। जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों का समाधान करने और तीन पिरचालन संयंत्रों का विस्तार / प्रोद्योगिकी उन्नयन करने तथा बाकी 7 पिरचालनेत्तर संयंत्रों को बंद करने / बिक्री करने की पिरकल्पना की गई है। स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत 6 इकाईयों को बंद कर दिया गया है तथा कर्मचारियों को, अदिलाबाद इकाई को छोड़कर जिनका मामला माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में लंबित है, वी एस एस के अंतर्गत पृथक कर दिया गया है।
- 10. i) लेनदारों / राज्य सरकारों / अन्य सरकारी विभागों / एजेंसियों आदि के संबंध में राहतों और रियायतों पर तब उचित विचार किया जाएगा जब कभी इसके साथ कोई आकिस्मकता न जुड़ी होने के कारण या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर जैसे भी मामला हो, ऐसी रियायतें / राहतें देना निश्चित हो जाए।
 - ii) माननीय वी. आई एफ. आर. की दिनाँक 3.5.2006 की मंजूर योजना के अनुसार भारत सरकार के ऋण जिसमें ₹ 150.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 150.90 करोड़) ब्याज रहित ऋण भी सम्मिलित हैं की अदायगी सात गैर प्रचलनरत ईकाईयों की बिक्री से की जाएगी। जबिक 1.4.2011 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए रु. 123.85 करोड़ के गैर योजनागत ऋण पर प्रोदभूत ब्याज की गणना रोक दी गई है। व ब्याज की अदायगी गैर प्रचलनरत ईकाईयों की बिक्री से की जाएगी।
- 11. निम्नलिखित इकाईयों का उत्पादन प्रत्येक इकाई के सामने दी गई तिथि से बन्द कर दिया गया है :--

 1) मंडार (छत्तीसगढ़)
 —
 06.06.1996

 2) चरखीदादरी (हरियाणा)
 —
 14.08.1996

 3) अकलतारा (छत्तीसगढ़)
 —
 09.12.1996

 4) नया गांव (मध्य प्रदेश), नया गांव विस्तार
 —
 30.06.1997

 5) कुर्कन्टा (कर्नाटक)
 —
 01.11.1998





6) अदिलाबाद (आन्ध प्रदेश)

05.11.1998

7) क. दिल्ली सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट (दिल्ली)

08.02.1999

ख. भटिंडा ग्राइडिंग यूनिट (पंजाब)

चालू नहीं किया गया

आई. एफ. सी. आई. (ओ. ए.) द्वारा तैयार की गई मसौदा पुनर्वास योजना (डी.आर.एस) को माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा 21.3.06 को हुई अपनी सुनवाई में अनुमोदित किया गया है और मंजूर की गई योजना को 03.05.06 को परिचालित किया गया है। जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों का समाधान करने तथा उक्त सात परिचालनेतर इकाईयों को बन्द करने / उनकी बिक्री करने की परिकल्पना की गई थी। उक्त सात इकाईयों की परिसंम्पत्तियों के बाजार मूल्य उनकी पुस्तक से अधिक है का उल्लेख उक्त योजना में किया गया है। इसी प्रकार बोकाजन, राजबन, व तांदूर ईकाई की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य, उनकी पुस्तक मूल्य से कही अधिक है। अतः सम्भावित अनर्जक हानि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अतः अनर्जक हानि के लिए लेखों में कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

- 12. येरागुटंला के बारे एम. ओ. यु. / बिक्री करार के अनुसार एस. बी. आई. कैप्स, मर्चेन्ट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परिक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, इण्डिया सीमेंट लिमिटेड के साथ लिम्बत (रूका हुआ) मिलान तथा पुष्टीकरण, यद्यपि बिक्री के समय पाई गई जरूरी देयताओं का पहले से ही खातों में समावेश किया जा चुका है।
- 13. सम्बन्धित प्राधिकारियों के अनुमोदन एवं माननीय बी आई एफ आर की स्वीकृत योजना के अनुसार, खनन / बिजली देय बकाया हेतु ब्याज व दण्ड को माफ करते हुए, रु. 4304.95 को वापसी की गई है जिसे नोट संख्या 28 क में आपवादिक मदें के अन्तर्गत दर्शाया गया है।
- 14. आय कर अधिनियम के तहत अनुमेय अविध के अन्तर्गत आस्थिगित कर परिसम्पित्तयों की वसूली की वास्तविक निश्चितता की अनुपिस्थिति में आस्थिगित कर—निर्धारण को मान्यता नहीं दी जाती है।
- 15. परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास क. अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv में दर्शाई गई दर पर किया गया है सिवाय कुछ बिजली उपकरण एवं गैर संयत्रा भवन पर निर्धारित कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसूची xiv में विदित दर से अधिक पर किया गया है (ब्यौरा नोट—10 संलग्न है)।
- 16. चालू देयत्तओं के अन्तर्गत, चालू एवं गैर चालू शेषों को वर्गीकृत करते हुए, मंजूर शुदा योजना में इनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर समाविष्ट किया गया है।
- 17. निगम की भौगोलिक एवं व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक 17 के अंतर्गत सेग्मेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- 18. लेखा मानक 29 के अनुसार, प्रावधानों का ब्यौरा नोट 5 व 9 के संदर्भ में

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के आरंभ	में शेष	वर्ष के दौर	ान भुगतान मायोजन	=		वर्ष के अंत	में शेष
वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
उपदान	36.04	32.01	0.10	0.11	5.14	4.14	41.08	36.04
बोनस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.03	0.03	0.00	0.00	0.44	0.00	0.47	0.03
अर्जित अवकाश दायित्व	14.94	12.84	0.06	0.26	2.87	2.36	17.75	14.94
अन्य	57.11	58.25	16.98	58.66	16.52	57.52	56.65	57.11

19. सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम एम. एस. एम. ई. उद्यमों को देय ब्याज का विवरण।

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गतवर्ष
1.	वर्ष के अंत में विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को अप्रदत बकाया मूल्य	1,33	1,16
2.	वर्ष के अंत में उस पर अप्रदत बकाया ब्याज	2,88	2,74
3.	विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को वर्ष के दौरान, धारा 16 के अन्तर्गत, निश्चित अवधि के उपरान्त राशि सहित, ब्याज का भुगतान	0	0
4.	विलम्ब अवधि के लिये भुगतान योग्य राशि पर देय ब्याज जिसमें नियम के तहत निश्चित ब्याज राशि नहीं छोड़ी गई है। (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान, निश्चित दिवस के बाद किया जा चुका है।)	0	0
5.	वर्ष के दौरान, प्रोदभूत ब्याज और वर्ष के अंत में बकाया अप्रदत ब्याज	14	16
6.	लघु उद्यमों को ब्याज की देय राशि तथा अगले वर्ष में की जाने वाली भुगतान अथवा देय ब्याज का भुगतान उस तिथि तक, धारा 23 के अर्न्तगत अयोग्य राशि का निर्धारण होना बाकी है।	2,88	2,74

20. लेखा मानक 15 (परिशोधित-2005) के अनुसार कर्मचारी हित

निगम ने लेखा मानक-15 (परिशोधित-2005) को अपनाया है- कर्मचारी हित निम्नानुसार हैं

(i) भविष्य निधि

निगम पूर्व निधारित दर से, भविष्यनिधि का अंशदान अलग से न्यास (ट्रस्ट) को भुगतान करता है, और न्यास धन को अनुमित प्राप्त प्रतिभूति में निवेश करता है। न्यास (ट्रस्ट) को, सहभागियों के किये गये अंशदान पर न्यूनतम दर से ब्याज भुगतान करना आवश्यक है। यदि भविष्य निधि न्यास को कोई हानि होती है, तो उसे निगम द्वारा सहन किया जाता है।

(ii) उपदान

निगम की एक निश्चित (परिभाषित) योजना है। प्रत्येक कर्मचारी, उपदान नियम के अनुसार, उपदान पाने का हकदार है। उपदान की देयता, मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

(iii) छुट्टी नकदीकरण

जिन कर्मचारियों की संचित ई.एल. एच.पी.एल. आदि हैं और वह देय छुट्टी नकदीकरण के योग्य है। छुट्टी नकदीकरण की देयता मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

(iv) अन्य निश्चित सेवानिवृति हित

कर्मचारी के सेवा निवृत होने पर, कर्मचारी व उनके आश्रितों को गृह प्रदेश में व्यवस्थापन हेतु निगम की एक योजना है। बीमांक मूल्यांक के आधार पर लाभ हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न निश्चित हित की संक्षिप्त स्थितियों को, निम्नुसार लाभ हानि खाते व तुलन पत्रा में मान्यता दी जाती है।

(क) लाभ हानि खाते में खर्चों की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य	
							चत हित
		31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014
क	वर्तमान सेवा लागत	132.06	147.05	66.25	77.47	0.98	1.04
ख	व्याज लागत	246.97	279.25	101.54	118.30	2.01	2.14
ग	अवधि में शुद्ध (वृद्धि) हानि की बीमांकक मान्यता	135.73	121.77	118.43	201.73	(0.13)	(0.53)
घ	लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्चे	514.75	548.07	286.22	397.50	2.85	2.66





(ख) तुलन पत्रा में रकम की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3490.67	3994.19	1478.75	1759.72	26.81	29.31
ख	निधि स्थिति / अन्तर	(3490.67)	(3994.19)	(1478.75)	(1759.72)	(26.81)	(29.31)
ग	तुलनपत्रा में शुद्ध परिसपंतियों / (देयताओं) की मान्यता	(3490.67)	(3994.19)	(1478.75)	(1759.72)	(26.81)	(29.31)

(ग) वर्तमान मूल्य की बाध्यता में परिवर्तन

(र लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य	
						निश्चित हित	
		31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2014	31.3.2014
क	अवधि के प्रारम्भ में	3087.15	3490.67	1269.31	1478.75	25.06	26.81
	वर्तमान मूल्य बाध्यता						
ख	ब्याज लागत	246.97	279.25	101.54	118.30	2.01	2.14
ग	प्रचलित सेवा लागत	132.05	147.05	66.25	77.47	0.98	1.04
घ	हित भुगतान	(111.22)	(44.56)	(76.78)	(116.53)	(1.10)	(0.15)
ਭ.	बीमांकक (वृद्धि) हानि	135.72	121.77	118.43	201.73	(0.13)	(0.53)
	पर बाध्यता						
च	अवधि के अन्त में वर्तमान	3490.67	3994.19	1478.75	1759.72	26.81	29.31
	मूल्य बाध्यता						

(घ) वर्तमान अवधि के लिए राशि

(र लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य	
						निश्चित हित	
		31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014
क	अवधि के अन्त में वर्तमान	3490.67	3994.19	1478.75	1759.72	26.81	29.31
	मूल्य बाध्यता						
ख	ब्याज लागत	(3490.67)	(3994.19)	(1478.75)	(1759.72)	(26.81)	(29.31)

(ड) बीमांकक कल्पना

क्र. सं.	विवरण	31—03—2014 को
क	सेवानिवृति आयु	60 वर्ष
ख	आयु	वापसी दर : %
		30 वर्ष तक — 00.00
		31 वर्ष से 44 वर्ष — 1 %
		44 वर्ष से उपर – 1 %
ग	स्थिति दर	8.5 %
घ	भविष्य वेतन वृद्धि	6.5 %
ड.	योजनागत परिसम्पितियों पर संभावित प्रतिलाभ	0

- 21. अग्रिमों, देवदारों एवं लेनदारों आदि के अन्तर्गत दर्शाई गई बकाया राशि पुष्टि / पुनर्मिलान के अध्यधीन है। इनमें कुछ पुरानी बकाया राशियाँ, लम्बित जाँच और समायोजन शामिल है। इसके पूरे होने पर इनकी आवश्यक गणना की जाएगी।
- 22. क्षतिपूर्ति / पदोन्नित / सेवा मामलों के लिए कर्मचारियों के दावों आदि के लिए विभिन्न न्यायालयों में लिम्बत मामलों के लिए लेखाबही में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि उनकी राशि का वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
- 23. पुर्ववर्ती वर्ष के आँकड़ों को विभाजित किया गया है और आवश्यकता होने पर चालू वर्ष के आंकड़ों से समरूपता के लिए उन्हें पुनः समूहबद्ध किया गया है।



ह0 ह0 ह0 नई दिल्ली **(ए. के. शर्मा) एस. सी. अग्रवाल (आर. पी. टाक)**

दिनांक : 30.07.2014 उप कंपनी संचिव निदेशक वित्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते एस.पी.जी. एसोसिएट सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

> ह0 (एस.पी.गोयल) भागीदार मेम्बरशिप नं. 083131,

नई दिल्ली

दिनांक : 30.07.2014



नोट संख्या—31 : दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लाभ (हानि) विवरण का अंश/भाग

шаш			गत वर्ष		
मात्राा	मूल्य	मात्राा	मूल्य		
मी. टन	(₹ लाखों में)	मी. टन	(₹ लाखों में)		
79360	मी. टन				
836265	मी. टन	708005 र्म	ो. टन		
740490	मी. टन	700155 र्म	ो. टन		
831049	मी. टन	705614 र्म	ो. टन		
1 05 15	2 24	92.07	2.40		
			2,48 1,18		
33,41	1,30	33,97	1,10		
1.24.61	4.99	53.33	2,10		
	19		-, . 6		
1,88,97	7,43	1,72,58	6,45		
1,32	7	2,64	12		
59,37	0	59,37	0		
30,16	0	30,16	0		
5,49,13	17,37	4,36,38	12,39		
25,74,45	47,89	17,59,78	35,91		
0	0	1,07,11	2,23		
25,74,45	47,89	18,66,89	38,14		
75,12,03	3,19,63	61,36,73	2,83,32		
8,09,34	0	7,91,86	0		
8,25	0	33,16	0		
0	0	2	0		
0	0	0	0		
83,29,62	3,19,63	69,61,77	2,83,32		
1,79,99	4,26	36,55	95		
1,79,99	4,26	36,55	95		
	756905 79360 836265 740490 0 831049 1,05,45 35,41 1,24,61 3,84 1,88,97 1,32 59,37 30,16 5,49,13 25,74,45 0 25,74,45 75,12,03 8,09,34 8,25 0 0 83,29,62 1,79,99	756905 中. टन 79360 中. टन 836265 中. टन 740490 中. टन 0 म. टन 831049 म. टन 1,05,45 3,31 35,41 1,38 1,24,61 4,99 3,84 19 1,88,97 7,43 1,32 7 59,37 0 30,16 0 5,49,13 17,37 25,74,45 47,89 0 0 25,74,45 47,89 75,12,03 3,19,63 8,09,34 0 8,25 0 0 0 83,29,62 3,19,63 1,79,99	756905 मी. टन 79360 मी. टन 79360 मी. टन 836265 मी. टन 740490 मी. टन 700155 मी 0 मी. टन 831049 मी. टन 1,05,45 3,31 82,97 35,41 1,38 33,97 1,24,61 4,99 53,33 3,84 19 1,36 1,88,97 7,43 1,72,58 1,32 7 2,64 59,37 0 59,37 30,16 0 30,16 5,49,13 17,37 4,36,38 25,74,45 47,89 17,59,78 0 0 1,07,11 25,74,45 47,89 18,66,89 75,12,03 3,19,63 61,36,73 8,09,34 0 7,91,86 8,25 0 33,16 0 0 2 0 0 0 83,29,62 3,19,63 69,61,77 1,79,99 4,26 69,61,77		

नोट संख्या—31 : दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लाभ (हानि) विवरण का अंश / भाग (जारी...)

विवरण	वर	र्नमान वर्ष		वर्ष
	मात्राा	मूल्य	मात्राा	मूल्य
	मी. टन	(₹ लाखों में)	मी. टन	(₹ लाखों में)
6. क. अंतिम रहतिया				
कारखाने में रहतिया				
सीमेंट – साधारण	1,89,24	6,53	1,05,45	3,31
सीमेंट – पोजोलाना	3,78	17	35,41	1,38
डम्प में रहतिया				
सीमेंट — साधारण	2,14,54	8,77	1,24,61	4,99
सीमेंट — पोजोलाना	10,64	60	3,84	19
मार्गस्थ सीमेंट — साधारण	61,81	2,42	1,88,97	7,43
मार्गस्थ सीमेंट — पोजोलाना	7,92	45	1,32	7
सैट सीमेंट — साधारण	59,37	0	59,37	0
सैट सीमेंट — पोजोलाना	30,16	0	30,16	0
योग	5,77,46	18,94	5,49,13	17,37
ख. अन्तिम रहतिया				
विलंकर	17,59,77	36,34	25,74,45	47,89
क्लींकर (खरीद)	0	0	0	0
ग. सीमेंट -परीक्षण, मार्गस्थ में कमी इत्यानि	दे			
परीक्षण में प्रयुक्त	0	0	0	0
इकाई को अन्तरण	0	0	0	0
मार्गस्थ इत्यादि में कमी – साधारण	4,66	0	5,51	0
मार्गस्थ इत्यादि में कमी – पोजोलाना	4	0	2	12
योग	4,70	0	5,53	12
7. क्लिंकर : सीमेंट ग्राइडिंग में प्रयुक्त	80,39,59	2,10,19	67,56,66	1,85,59
 उपभुक्त कच्चा माल 				
चूना पत्थर	1,09,04,35	25,24	1,02,13,67	23,61
लैटराइट	89,97	28	83,61	20
लौह अयस्क	1,96,51	8,47	1,57,27	6,30
जिप्सम	1,78,01	4,96	1,74,66	4,40
शैल	4,72,29	1,21	5,19,52	73
फ्लाई ऐश	1,10,03	82	1,54,67	1,29
जली हुई मिट्टी	84,44	28	51,80	22
अन्य	0	0	0	0
उपभुक्त कच्चे माल का योग		41,26		36,75
9. आयातित माल का मूल्य जिसको सी.आई	.एफ.			
आधार पर गुणित किया गया				
क) कच्चा माल	0	0	0	0
ख) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	0	0	0	0
ग) पूंजीगत माल	0	0	0	0







नोट संख्या—31 : दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लाभ (हानि) विवरण का अंश / भाग (जारी...)

विवरण		वर्त	मान वर्ष	गत	वर्ष
		मात्राा	मूल्य	मात्राा	मूल्य
		मी. टन	(₹ लाखों में)	मी. टन	(₹ लाखों में)
कच्चे माल अति का मूल्य तथा :	उपभुक्त सभी आयातित रिक्त पुर्जे एवं संघटकों इसी प्रकार वर्ष के दौरान शी कच्चे माल, संघटकों प्रत्येक का कुल				
आयातित		0.37	21	12	8,11
स्वदेशी		99.63	56,59	88	41,58
योग		1,00	56,80	1,00	49,69
11. विदेशी मुद्रा का प्रे 12. विदेशी मुद्रा में आ		0	0	0 0	0
	ਵ0	ਵ0		8	50
नई दिल्ली	(ए. के. शर्मा)	एस. सी. अ	ग्रवाल	(आर. पी	ो. टाक)
दिनांक : 30.07.2014	उप कंपनी संचिव	निदेशक—	वित्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
	कृते	सम दिनांकित रि एस.पी.जी. एसो सनदी लेखाकार पंजीकरण सं. 01	सिएट र		
		ਵ0			
नई दिल्ली		(एस.पी.गोयल)			
दिनांक : 30.07.2014		भागीदार			

मेम्बरशिप नं. 083131,

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ जो 31.3.2014 के लेखों का भाग है।

1. लेखांकन का आधार

लेखे प्रोद्भूत आधार अपनाते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर तैयार किये जाते हैं, केवल निम्नलिखित मद ही जो कि नकद आधार पर लेखांकित किये जाते हैं।

- (i) परिसमाप्त क्षतियों / दंड / किये गये दावों रेलवे व बीमा छोड़कर, को वसूल होने पर खातों में लिया जाता है तथा विविध आय में जोड़ा जाता है।
- (ii) स्टोर और कलपुर्जों को अधिशेष / कम प्रचलित / अप्रचलित वस्तुओं आदि पर हुए, लाभ / हानि यदि कोई है, को केवल उनके निपटान के वर्ष में ही लेखाकृत किया जाता है।

2. राजस्व मान्यता

बिक्री, उत्पाद—शुल्क सहित एवम् बिक्री कर को छोड़कर बताई जाती है। उत्पाद—शुल्क पृथक दिखाया जाता है।

3. भूमि एवं परिशोधन

- (i) राज्य सरकार द्वारा निशुल्क दी गई भूमि को नाममात्रा लागत या इसके अर्जन पर हुए प्रासंगिक व्यय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (ii) खदान के खान—पट्टे के अधीन उन्मुक्त भूम्याधिकार एवं पट्टे की भूमि जो 99 वर्ष से कम पट्टे पर है, 10 वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से परिशोधित की जाती है।

4. निवेश

- (i) दीर्घकालीन निवेश को लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्यों में स्थाई गिरावट को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाता है।
- (ii) चालू निवेश को लागत एवं उर्द्धित / उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है।

5. उधार लागत

उधार लागत प्राप्त होने वाली परिसम्पितयों के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन के योग्य हैं को उधार लागत की तरह परिसम्पितयों के एक भाग को पुँजीगत किया जाता है। ऐसी परिसम्पितयाँ जिनके प्रयोग में आने के लिए काफी समय लगता है उधार लागतों को राजस्व खातें में प्रभारित किया जाता है।

6. वस्तुसूची

क) मूल्यांकन

- (i) सामग्री, कलपुर्जों एवं कच्चा माल केवल (ii) नीचे में दर्शाये गये को छोड़कर भारित औसत लागत पर दर्शाया जाता हैं। अप्रचलित / कार्य में न आने योग्य सामग्री एवं कलपुर्जों को जब उनका निर्धारण होता है वसूली योग्य मूल्य पर उन्हें स्क्रेप मान लिया जाता है।
- (ii) क्लिंकर व अन्य अर्द्ध-निर्मित माल को इकाई की

भारित औसत लागत अथवा वसूल होने वाले मूल्य वर्कबैक फार्मूले के आधार पर, में से जो भी कम हो, को दर्शाया जाता है किन्तु नकारात्मक मूल्य होने की स्थिति में यह शून्य मूल्य पर लिया जाता है।

(iii) कारखानों / परियोजनाओं / डम्पों अथवा डम्पों के मार्गस्थ तैयार माल को इकाईयों की भारित औसत लागत अथवा प्राप्य मूल्य में, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है। डम्प तक किये गये बिक्री व्यय में सिम्मिलित भाड़े को विभिन्न डम्पों के तैयार माल के मूल्य में शामिल किया जाता है। (iv) विविध स्क्रैप मदों की कुल मात्राा को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार प्राप्त दर पर मूल्यांकित किया जाता है। तथापि जहां यह दर उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि स्क्रैप पहली बार उत्पन्न हुआ है अथवा पहले उसका निपटान नहीं किया गया हो तो ऐसी स्क्रैप मदों के मूल्यांकन के लिए इनके निपटान हेतु तय आरक्षित मूल्य से किया जाता है।

ख) खुले औजार और उपकरण

औजारों एवं उपकरणों को तीन वर्ष की अवधि में प्रभारित किया जाता है।

7. मूल्यह्यास

- (i) स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर और जैसा कि अनुसूची XIV कंपनी अधिनियम 1956 में दर निर्धारित है, पर प्रभारित किया जाता है।
- (ii) परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्नास तभी किया जाता है जब कि वे पूरी हो गई है और प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है।
- (iii) वर्ष के दौरान बढ़ाई गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास उन्हें पूंजीगत करने के तिथि के अनुपात में और हटा देना / बिक्री / समाप्त करने की तिथि तक यथानुपात लगाया जाता है।
- (iv) वर्ष के प्रारम्भ में कोई भी अकेली परिसम्पत्ति जिसका ह्रासित मूल्य ₹ 5000 या उससे कम हो, उसे वर्ष के दौरान पूर्ण–ह्रासित कर दिया जाता है। बिना अवशिष्ट कीमत रखे हुए क्योंकि इसे नगण्य माना जाता है।
- (v) वर्ष के दौरान खरीदी गई ₹ 5000 मूल्य तक की अकेली परिसम्पत्ति को सकल ब्लॉक में लेकर उसी वर्ष उन पर पूरा मूल्यज्ञास कर दिया जाता है।

अास्थगित राजस्व व्यय

- (i) पर्यवेक्षण और बेधन पर हुए व्यय को आस्थिगित राजस्व व्यय माना जाता है और इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद इसे तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- (ii) खान पर से हटाई गई जालोद मिट्टी आदि के व्यय को, जिसका उपयोग सड़क बिछाने, स्टाकयार्ड, क्रशर रैम्प





आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए है, को पूंजीगत किया जाता है। जालोद मिट्टी आदि हटाने पर हुए शेष व्यय को प्रारम्भिक रूप से आस्थिगित राजस्व व्यय माना जाता है और उस अविध तक के लिए प्रभारित किया जाता है जब तक खदान विकास से निकाला गया चूना—पत्थर उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है।

- (iii) किराए के भवनों में किए गए अंदरुनी विभाजन और जुड़नार की लागत को स्थापना के वर्ष में ही सीधा खर्च में दिखाया जाता है। परन्तु यदि यह लागत एक लाख रुपये से अधिक हो तो इसे आस्थिगित राजस्व व्यय माना जाता है और 3 से 5 वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- (iv) इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने के बाद हाई क्रोम ग्राइडिंग मीडिया के प्रारम्भिक सम्पूर्ण प्रभार को आस्थिगित राजस्व व्यय माना जाता है और तीन वर्ष की अविध के अन्दर प्रभारित किया जाता है। तथापि प्रतिपूर्ति—प्रभार लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- (v) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना हेतु यदि कोई अप्रयुक्त अनुदान सहायिकी नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए देय डेढ़ माह के वेतन (वेज) के बराबर का भुगतान या शेष सेवा अवधि का बकाया, जो भी कम हो, तथा नोटिस अवधि वेतन को कर्मचारी की बाकी सेवा अवधि या इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष जो भी कम हो, के लिए आस्थिगत एवं प्रभारित किया जाता है। अपितु 01.04.2003 को या उसके बाद में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति / स्वैच्छिक पृथक योजना के मद में किया गया पूरा खर्च जब खर्च हुआ उसी वर्ष में प्रभारित किया जाएगा।

9. पूर्वावधि/असाधारण मदों का समायोजन

वर्ष विशेष से संबंधित व्यय/प्राप्तियां जो खातों के बंद होने के बाद अर्थात् निर्धारित तारीख के बाद ध्यान में आती है और जिनकी धनराशि ₹ 10,000/— से अधिक न हो तो उसे अगले वर्ष में संबंधित व्यय/प्राप्तियों के शीर्षक में अंकित कर दिया जाता है। यदि धनराशि ₹ 10,000/— से अधिक हो तो इसके लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ए. एस.—5 में दिए प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वर्ष/पूर्वावधि/असाधारण आय/प्राप्तियों के सामान्य/आय प्राप्तियों के सामान्य लेखाशीर्ष में व्यवहृत किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा व्यवहारों का लेखांकन

विदेशी ऋण देयताओं का निर्धारण वर्ष के अंतिम कार्यदिवस पर बंद बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। व्यवहार के निपटान पर प्राप्तियां या हानियां (क) परियोजना अवधि के दौरान संबंधित उपस्कर लागत में जमा / नामे किया जाता है। जो स्टोर्स एवं सेवाओं से संबंधित है, को आई० ई० डी० सी० में जमा / नामे किया जाता है (ख) परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद प्राप्तियों / हानियों को संबंधित उपस्कर

की लागत में डाला जाता है परन्तु जो पुर्जों एवं सेवाओं से संबंधित है उन्हें लाभ / हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। स्थाई परिसम्पत्तियों पर ऐसे समायोजनों से फलित मूल्यह्रास भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान / सहायता

- (i) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों / सहायता को उन परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य में से घटाकर उनका खाता मूल्य निकाला जाता है। जहाँ विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पत्ति हेतु अनुदान उस परिसम्पत्ति की लागत के बराबर अथवा लगभग बराबर हो तो उस परिसम्पत्ति का मूल्यांकन नाममात्रा लागत अथवा उसके अधिग्रहण / संस्थापन पर हुए प्रासंगिक व्यय के आधार पर किया जाता है।
- (ii) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना हेतु अनुदान, परिवहन सहायता एवं अन्य राजस्व अनुदान संबंधित व्यय में से घटा दिए जाते हैं।
- (iii) केन्द्रीय निवेश जनित सहायता के योजनांतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदानों को, जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन स्वरूप हों, एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समरूप अनुदानों को, जिनमें साधारणतः पुनर्भुगतान अपेक्षित नहीं हैं, ऐसे अनुदानों को पूंजीगतसंचिती माना जाता है।
- (iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य पूंजीगत/राजस्य अनुदानों/सहायता को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ए. एस. 12 के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

12. निगम के दावे

- (i) बीमा के दावों को सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर खाते में लेखांकित किया जाता है। और / या जिन दावों का कुछ भुगतान प्राप्त किया जा चुका है उन्हें दावों के दायर करने के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि जहाँ पर, यदि 31 मार्च तक हुई हानियों के मामले की सर्वे रिपोर्ट खाते बंद करने की अवधि से पहले प्राप्त नहीं होती है तो उसके प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों के रूप में किया जाता है।
- (ii) रेलवे के दावे उनके दायर करने पर लेखांकित किए जाते है।

13. जमा कार्य

प्रगतिशील निक्षेप कार्यों को निगम का पूंजीगत प्रगतिशील कार्य समझा जाता है तथा आई० ई० डी० सी० को समानुपात रूप में निक्षेप कार्यों के साथ तब जोड़ा जाता है जब उनका स्वामित्व अंतरित एवं पूंजीगत किया जाता है।

14. कर्मचारी हित सुविधाएं

(i) संदायगी उपदान अधिनियम, 1972 तथा कम्पनी की अपनी उपदान योजना के अधीन उपदान के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

- (ii) अर्जित अवकाश / अर्द्धवेतन अवकाश आदि जो कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर नकदीकरण योग्य होते हैं, का प्रावधान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सेवारत कर्मचारियों के एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- (iii) बोनस के लिए देयता का लेखा संदायगी बोनस अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाई के आधार पर किया जाता है न कि सम्पूर्ण निगम के आधार पर। मुख्यालय के लिए बोनस की देयता की व्यवस्था अन्य इकाईयों को देय बोनस की औसत दर के अनुसार की जाती है।

15. ऋण पत्रों के मोचन पर प्रीमियम

ऋण पत्रों के मोचन पर देय प्रीमियम को जिसकी शुरुआत ऋण पत्रों आबंटन के वर्ष ऋण पत्रों की अवधि तक बराबर किश्तों में लाभ तथा हानि खाते/आई.ई.डी.सी. खाते में प्रभारित किया जाता है।

16. पूर्वदत्त-व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 10,000 / — अथवा उससे कम राशि जो आगामी वर्षों के लिए अग्रिम व्यय कर दी गई है उसे चालू वर्ष के व्ययों के रूप में लेखांकित किया जाता है।

17. वसूल न होने वाले एवं संदिग्ध देनदारियां / ऋणों / अग्रिमों आदि का आलेखन

- (i) संदिग्ध देनदारी / ऋण या अग्रिम यदि वे संदिग्ध हों परन्तु जिनकी वसूली होने की आशा हो, उनके लिए प्रावधान किया जाता है।
- (ii) जब वसूली प्रयास वैधानिक प्रक्रिया से असफल हो जाएं या जहां यह समझा जाता है कि मुकदमेबाजी से वसूली संभव तथा फलदायी नहीं है तब उस रकम को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

18. अंतर-इकाई/अंचल/ मुख्यालय अंतरण

- (i) इकाईयों द्वारा तैयार माल प्रारंभ में प्रेषण योजना दर पर मूल्यांकित किया जाता है तथा बाद में बेची गई मात्रा का वास्तविक वसूली मूल्य, अंचल द्वारा तय किया जाता है।
- (ii) अंतर इकाई/अंचल/मुख्यालय को अंतरित स्थायी परिसम्पत्ति इत्यादि को लेखा खाता मूल्य पर लेखांकित

किया जाता है।

- (iii) किंलकर का अंतर इकाई अंतरण उसके वसूली दरों पर (सीमेंट से वर्कबैक पद्धित द्वारा) आलेखित किया जाता है तथा इसकी मार्गस्थ हानियों को माल प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में आमेलित किया जाता है।
- (iv) अंतर इकाई / अंचल / मुख्यालय के शेषों का नियमित रूप से मिलान किया जाता है तथा उनका पुष्टीकरण प्राप्त किया जाता है।

19. व्यय का वर्गीकरण

- (i) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत पर किया हुआ व्यय जिसमें सामग्री और कलपुर्जों की कीमत सम्मिलित है, नीचे (ii) में दर्शाये को छोड़कर लाभ / हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।
- (ii) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत पर किया हुआ व्यय जिसमें सामग्री और कलपुर्जों की कीमत सम्मिलित है और जो वर्तमान परिसंपत्ति से भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ में पहले अनुमानित की गई कार्य क्षमता में ज्यादा वृद्धि करता है, पूंजीकृत किया जाना है उदाहरणतः क्षमता में वृद्धि।

(iii) वेतन एवं मजदूरी

संयंत्रा एवं मशीनरी, भवनों आदि की मरम्मत और अनुरक्षण की मजदूरी और वेतन को सीधे वेतन और मजदूरी लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(iv) अन्य विविध व्यय

पार्कों, वृक्षारोपण और तम्बु एवं तारपोलिन आदि खरीदने पर किया गया व्यय, राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता हैं।

20. विद्यमान संयंत्रा के साथ ही विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय विद्यमान संयंत्रा द्वारा प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर किए गए सामान्य व्यय को विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर प्रभारित नहीं किया जाता है।

21. निगमित कार्यालय के व्यय का नियतन

प्रबंधन के श्रेष्ठतम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार अनुमानित लाभ के आधार पर या विभिन्न इकाईयों के अनुपात में इकाईयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं में निगमित कार्यालय का राजस्व व्यय आबंटित किया जाता है।

ਵ0

(ए. के. शर्मा) उप कंपनी संचिव ह0 एस. सी. अग्रवाल _{ह0} (आर. पी. टाक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक–वित्त

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते एस.पी.जी. एसोसिएट सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

> ह0 (एस.पी.गोयल) भागीदार

मेम्बरशिप नं. 083131,

नई दिल्ली दिनांक : 30.07.2014

दिनांक : 30.07.2014

नई दिल्ली

147

59 सी सी आई CCi



31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी

(र लाखों में)

	प्रचालित	इकाईयां	गैरप्रचालि	ात इकाईयां		्याखा म्
विवरण	2012-14	2012-13	2012-14	2012-13	2012-14	2012-13
प्रचालन गतिविधियों से कैश						
कर के पश्चात निवल लाभ / हानि (–)	(12,78)	20,38	28,98	(12,27)	16,20	8,11
योग : मूल्य ह्रास के लिए समायोजन	6,68	5,67	2,38	2,44	9,06	8,11
स्थाई परिसम्पतियों के निपटान से लाभ	29	(72)	1	0	30	(72)
ऋण व अग्रिमों के बट्टे खाते के लिए प्रावधान	5,84	1,05	0	4,93	5,84	5,98
वित्त लागत	1,83	2,95	1,12	1,51	2,95	4,46
आस्थगित राजस्व व्यय का समायोजन	1,74	2,57		0	1,74	2,57
घटाएं : आय ब्याज व अन्य प्राप्तियों से	(31,73)	(35,38)	(45,31)	(1,73)	(77,04)	(37,11)
अधिक प्रावधान वापसी	(12)	(53)	(19)	(1,95)	(31)	(2,48)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले	(28,25)	(4,01)	(13,01)	(7,07)	(41,26)	(11,08)
प्रचालन लाभ						
कार्यशील पूंजी परिवर्तन						
समायोजन के लिए परिचलित सम्पत्ति में कमी/वृद्धि						
वस्तु सूची	12,90	(8,70)	59	1,19	13,49	(7,51)
व्यापार देय	2,99	4,14	0	0	2,99	4,14
चालू व गैर चालू ऋण एवं अग्रिम	(8,82)	2,53	2	(14)	(8,80)	2,39
अन्य चालू सम्पत्ति	0	0	0	0	0	0
अन्य गैर चालू सम्पत्ति	0	0	0	0	0	0
समायोजन के लिए परिचलित देयत्तायों में कमी/वृद्धि						
व्यापार प्राप्य	70	5,16	0	0	70	5,16
अन्य दीर्घ—कालिक चालू देयताएँ	10,16	6,30	(7,88)	(3,44)	2,28	2,86
अल्पकालिक एवं दीर्द्यकालिक प्रावधान	7,01	2,17	(1,63)	93	5,38	3,10
अस्थागित राजस्व व्यय (परिवर्धन)	(2,46)	(3,52)	0	0	(2,46)	(3,52)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी II. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो	(5,77)	4,07	(21,91)	(8,53)	(27,68)	(4,46)
अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	2,51	38,69	5,01	0	7,52	38,69
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ	(36)	(72)	(3)	0	(39)	(72)
कार्य प्रगति पर	7,98	7,41	0	0	7,98	7,41
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी	(15,90)	(41,31)	(26,89)	(8,53)	(42,79)	(49,84)
III. वित्तीय गतिविधियों से कैश	(13,00)	(, ,	(=0,00)	(5,55)	(,)	(10,01)
– अंश पूंजी	0	0	0	0	0	0
 गैर प्रचलनरत इकाईयों को निधि का अन्तरण 	(23,96)	(7,36)	23,96	7,36	0	0
– भारत सरकार को ऋण भुगतान	0	0	0	0	0	0
– प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत ऋण	0	0	0	0	0	0
– ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	31,70	34,50	2,25	1,73	33,95	36,23
– ब्याज भुगतान	(20)	(8)	0	0	(20)	(8)
नगदी एवं समतुल्य नगदी में निवल	(8,36)	(14,25)	(68)	56	(9,04)	(13,69)
वृद्धि व गिरावट						

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी(जारी)

	प्रचालित	इकाईयां	गैरप्रचालि	त इकाईय	•	र् <i>लाखों में)</i> योग
	2012-14	2011-13	2012-14	2011-13	2012-14	2011-13
नगदी एवं समतुल्य नगदी (प्रारम्भिक) नगदी एवं समतुल्य नगदी (अंतिम)	1,75,96 1,67,60	1,90,21 1,75,96	76 8	20 76	1,76,72 1,67,68	



(₹ लाखों में)

नगदी	एवं	समतुल्य	नगदी	का	मिलान

• 3		,
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
नगदी हाथ में	2	3
चैक हाथ में	1,33	72
बैंक जमा	1,50,54	1,57,11
चालू खाता	7,71	11,81
बैंकों में शेष जो कि अधीन है		
–प्रतिभूत	8,08	7,05
–साख पत्रा	0	0
योग	1,67,68	1,76,72

- 1. जब जब कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हुई, स्वयं के संसाधनों से पूर्ति की गई है।
- 2. बैंकों में जमा राशि में रु. 80 लाख, (गत वर्ष रु. 2470 लाख) जिनकी मेच्यूरटी अवधि 12 महीनों से अधिक है भी सिम्मिलित है।

ह0 ह0 ह0 नई दिल्ली **(ए. के. शर्मा) एस सी अग्रवाल (आर. पी. टाक)** दिनांक : 30.07.2014 उप कंपनी संचिव निदेशक—वित्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **आडिर्टस प्रमाणप**त्र

हमने उपयुक्त कैश फ्लो विवरणी जो कि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2014 के सत्यापित वार्षिक वित्तीय से उंद्धत की गयी है और उसी के अनुरूप पायी गयी है।

> हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते एस.पी.जी.एसोसिएट सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन ह0

नई दिल्ली (एस.पी. गोयल) दिनांक : 30.07.2014 भागीदार मेम्बरशिप नं. 083131



सामाजिक अधिशीर्षौ पर निवेश एवं व्यय

		(₹ लाखों में)
विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
टाउनशिप	20,41	20,41
वाहन, फर्नीचर एवं विविध उपकरण	1,64	1,65
कुल निवेश	22,05	22,06
सामाजिक अधिशीर्षों पर व्यय		
टाउनशिप का रख–रखाव एवं अनुरक्षण	60	53
मूल्यहास	33	30
जलपान गृह सहायिकी (सब्सिडी)	52	51
शिक्षा सहायिकी	1,05	90
सामाजिक एवं संस्कृतियां गतिविधियों हेतु सहायिकी	39	45
अन्य व्यय	3	3
योग	2,92	2,72
घटाएं : टाउनशिप से प्राप्तियां	47	43
सामाजिक अधिशीर्षों में कुल निवल व्यय	2,45	2,29

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य, सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. नई दिल्ली

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दी कॉर्पोरेशन) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तुलन—पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण युक्त सूचना का सारांश शामिल हैं। इसमें ग्यारह यूनिटों मांढर, तान्दूर, चरखी—दादरी, अलकतरा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुर्कुटा, आदिलावाद, बोकाजन, सिल्चर ग्राइंडिंग यूनिट, जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखापीरक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई और राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और निगमित कार्यालय, जिनकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, शामिल हैं।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 ('अधिनियम'') में संदर्भित लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपूरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

3. लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस

बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों। इन जोखिमों का मृल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कॉर्पोरेशन की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं, परंतु कॉर्पोरेशन के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वूपर्ण अनुमानों के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तक्रसंगत आधार प्रदान करती है।

अर्हतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार

- क. कॉर्पोरेशन के पक्ष में कुछ यूनिटों की भूमि के अधिकार और पट्टा अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित हैं। इसके अलावा दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट के संदर्भ में 99 वर्ष के लिए पट्टा आधार पर 14.20 एकड़ भूमि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है और मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है (नोट संख्या 30 का बिंदु सं. 3 देखें)।
- ख. कॉर्पोरेशन की विभिन्न यूनिटों (राजबन यूनिट से इतर) के संदर्भ में खनन पट्टा (माइनिंग लीज) काफी पहले समाप्त हो चुकी है। कॉर्पोरेशन ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है जो लंबित है, (नोट 30 का बिंदु सं. 4 देखें)
- ग. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि के संदर्भ में एलीनेशन आदर्शों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली देनदारी के





- लिए निर्धारण न करने और प्रावधान न करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है, जिसका प्रयोग पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क मार्ग के रूप में किया गया है, (नोट 30 का बिंदू सं. 5 (i) देखें)
- घ. पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येर्रागुंतला यूनिट के संदर्भ में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित असंगतियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है (नोट 30 का बिंदु सं. 12 देखें)।
- ङ. बीआईएफआर पैकेज के अनुसार कॉर्पोरेशन द्वारा लिए गए 3700.00 लाख रु. के अंतर कार्पोरेट ऋणों पर ब्याज के संदर्भ में 31 मार्च, 2005 को अंतिम तारीख के बाद कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- च. कुछ यूनिटों के संदर्भ में बकाया सांविधिक देयताओं पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि सभी यूनिटें एक जैसी प्रक्रिया का समान रूप से अनुपालन नहीं कर रही हैं। कॉर्पोरेशन के लाभ पर इसके प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- छ. व्यापारिक प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा और उनसे प्राप्त होने वाली राशियों और अन्य देयताओं की बकाया राशियों की पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है। पुनर्मिलान न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है (नोट 30 का बिंदु सं. 21 देखें)।
- ज. कॉर्पोरेशन को 355.85 लाख रुपए (गत वर्ष— 269.21 लाख रुपए) के मूल्य वाले बिक्री कर घोषणा फार्म अभी प्राप्त होने हैं, अतः प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। (नोट 30 का बिंदु सं. 2(i) देखें)
- झ. कॉर्पोरेशन ने बंद कर दी गई यूनिटों के संदर्भ में गैर चालू परिसम्पत्तियों की तुलना में लागू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 4312.35 लाख की संपूर्ण इनवेंटरी दर्शाई है इस तथ्य के बावजूद भी कि यह इनवेंटरी काफी लंबे समय से बेकार पड़ी है और यूनिटों के सामान्य प्रचालन में इनकी खपत की कोई संभावना नहीं है क्योंकि यूनिटों को बीआईएफआर की स्वीकृत योजना के अनुसार बिक्री के लिए रखा गया है।

- ञ. तीन वर्ष से अधिक समय के लिए बकाया 1511.
 00 लाख रुपए की ब्यापारिक देयताओं को गैर—चालू की तुलना में चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यद्यपि उनकी संदेहास्पद कर्ज के रूप में पहचान की गई है और उनके लिए प्रावधान किया गया है।
- ट. कॉर्पोरेशन द्वारा 1900,23 लाख रुपए (गत वर्ष 1900.23 लाख रुपए) के एकीकृत बिक्री कर और संपत्ति कर के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि मांग संबंधी मामला न्यायालय में विचाराधीन है (नोट 30 का बिंदु सं. 2(ii) देखें)
- ठ. क्लिंकर, जो सीमेंट उत्पादन की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न किया जाता है और राजवन यूनिट में कैंप्टिव रुप में जिसकी खपत की जा रही है, पर फरवरी 2013 तक उत्पाद शुल्क की मांग के संदर्भ में 1602.71 लाख रुपए का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया है क्योंकि इस मामले के संदर्भ में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील की गई है। यूनिट ने आपत्ति के तहत 227.71 लाख रुपए (सेनवेट क्रेडिट सहित) जमा कर दिए हैं। (नोट 30 का बिंदु सं. 6(ii) देखें)।
- ड. वर्ष के दौरान वरिष्ठ प्रभागीय प्रबंधक (वाणिज्यिक), रेलवे, अंबाला केंट ने अपने दिनांक 13.06.2013 के पत्र सं. 641 सी / 264 / जेयूडी के जिरए 01.04.2010 से 31.03.2014 की अविध के लिए जगाधारी में सीसीआई के लिए निजी रेलवे स्लाइडिंग पर भूमि पट्टा शुल्क के रूप में 1308.66 लाख रुपए की मांग की है, जिसे यूनिट ने स्वीकार करने से मना कर दिया है और रेलवे प्राधिकारियों को सूचित किया है कि उनकी मांग अनुचित और अव्यवहार्य है। अतः यूनिट ने इस संबंध में कोई प्रावधान करना उचित नहीं समझा है। (नोट 30 का बिंदु सं. 5(ii) देखें)
- ढ. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए मूल्यांकन पूरे हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ असहमति पैदा हुई है। फलस्वरूप, कॉर्पोरेशन की पहले मूल्यांकन की गई और आगे लाई गई हानि 973.00 करोड़ रुपए घट गई है जिसके विरुद्ध कॉर्पोरेशन ने अपील दायर की है जो

अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है। (नोट 30 का बिंदु सं. 2(iv) देखें)। इसके अलावा मूल्यांकन वर्ष 2007—08 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) (ग) के अंतर्गत शास्ति के रूप में आयकर प्राधिकारियों द्वारा 2961.22 लाख रुपए की मांग के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि मामला एक अपील के तहत लंबित है और कॉर्पोरेशन का यह विश्वास है कि सीबीडीटी के दिनांक 02.07.2009 के परिपत्र सं. 05 / 2009 के आलोक में इसे हटा दिया गया है। (नोट 30 का बिंदु सं. 2(iii) देखें)

5. दृष्टिकोण


उपर्युक्त पैरा 4 में हमारे अवलोकनों और उसके परिणामी प्रभाव के अध्यधीन, हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार नोट संख्या 30 और 32 के साथ पठित वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत यथावश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष तस्वीकर प्रस्तुत करते हैं:

- (क) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;
- (ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का (लाभ / हानि); और
- (ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

6. कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- (i) अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (''आदेश'') के अनुसार यथाआवश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।
- (ii) अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं किः
- (क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;
- (ख) हमारे दृष्टिकोण में और जैसा कि इन खाता

बिहयों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई है;



- (घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं.
- (ङ) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001—सीएल.ट के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1) (छ) के प्रावधान लागू करने से छूट प्रदान की गई है।
- (च) कंपनी के वित्तीय विवरण जारी प्रतिष्ठान (कंपनी) के आधार पर तैयार किए गए हैं:
- i. बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 31 के खण्ड (ओ) के निहितार्थ इसे एक बीमार कंपनी घोषित किया गया है।
- कॉर्पोरेशन ने इसकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों से भी अधिक की हानि संचित की हुई है।
- iii. बीआईएफआर ने नया गांव विस्ताकर के अंतर्गत दो यूनिटों सहित कॉर्पोरेशन की सातों फैक्टरियों की बिक्री के लिए 3 मई, 2006 के अपने आदेश के अनुक्रम में योजना स्वीकृत की। कंपनी के जारी प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की योग्यता बीआईएफआर पैकेज में की गई परिकल्पना के अनुसार जो पुनर्जीवन योजना के सफल कार्यान्वयन पर काफी हद तक निर्भर करती है (नोट 30 का बिंदु सं. 9 देखें)। वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड की गई ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली और वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल





नहीं है जो कंपनी के जारी प्रतिष्ठान के रूप में अक्षम होने की स्थिति में आवश्यक हो सकती है।

(छ) कंपनी की सात फैक्टरियां और दिल्ली स्थित एक ग्राइंडिंग यूनिट है जहां 1996—99 के बीच प्रचालन बाधित हो गया था और भटिंडा, पंजाब में एक ग्राइंडिंग यूनिट है जिसका प्रचालन शुरू ही नहीं किया जा सका। इसके संदर्भ में नोट—30 के बिंद सं. 11 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। प्रबंधन के दृष्टिकोण में इंस्टीट्टयुट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखां कन मानक (एस)—28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के गिरावट के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार ऐसी फैक्टरियों/यूनिटों में चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के मामले में वसूली योग्य मूल्य में कमी, यदि कोई है, के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

> कृते एपीजी एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीयन सं: 011217एन

> > (एस पी गोयल) भागीदार सदस्यता सं. 083131

स्थानः गुड़गांव

तारीख : 03 जुलाई, 2014

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतन्त्र लेखा परिक्षक की समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ 6 (क) में संदर्भित सलग्नक

1. इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

- (क) कॉर्पोरेशन ने स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड रखे हैं।
- (ख) कुछ यूनिटों में प्रबंधन द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों का सत्यापन नहीं किया गया है, कुछ यूनिटों में इनका सत्यापन चरणबद्ध ढंग से किया गया है और अन्य यूनिटों में इनका सत्यापन वर्ष में एक बार किया गया है। ऐसे मामलों में, जहां सत्यापन किया गया है, कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई।
- (ग) वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का निपटान नहीं किया गया, अतः इससे जारी प्रतिष्ठान का पूर्वानुमान किसी तरह प्रभावित नहीं होता है।

2. इसकी इंवेंटरी के संदर्भ में:

- (क) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार फैक्टरी में कच्चा माल, तैयार माल और ए तथा बी श्रेणी के स्टोर एवं कलपुर्जों की इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन का संबंध है, तो प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष के ब्लॉक में कम से कम एक बार अवश्य किया जाता है तदनुसार ऐसी इनवेंटरी के एक भाग का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया। हमारे दृष्टिकोण में इनवेंटरी के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन का अंतराल बढ़ाने की आवश्यकता है।
- (ख) स्टोर और कलपुर्जों को छोड़कर इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पक्रियाएं कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप उचित एवं पर्याप्त हैं। कुछ यूनिटों में स्टोर और कलपुर्जों के मामले में उनके आकार और संख्या की दृष्टि से ऐसी प्रक्रियाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- (ग) कॉर्पोरेशन ने इनवेंटरी का उचित रिकॉर्ड तैयार किया है और भौतिक सत्यापन पर पाई गई त्रुटियां / किमयां बही रिकॉर्डों की तुलना में बड़ी नहीं थी।

- (क) कॉर्पोरेशन ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य कंपनियों को कोई सुरक्षित और असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है।
- (ख) उप खंड (ख) कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं है।
- (ग) उप खंड (ग) कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं है।
- (घ) उप खंड (घ) कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं है।
- (ङ) कॉर्पोरेशन ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं लिया है।
- (च) उप खंड (च) कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं है।
- (छ) उप खंड (छ) कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं है।

 4. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार इनवेंटरी, स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद, माल और सेवाओं की बिक्री के संदर्भ में कॉर्पोरेशन के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप कॉर्पोरेशन में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में किसी बड़ी कमजोरी को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं पाई है।
- 5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा यह मानना है कि कॉर्पोरेशन ने कोई ऐसा लेन—देन नहीं किया है, कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।
- 6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कॉर्पोरेशन ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की है। अतः आदेश के पैरा 4 के खंड (iv) के प्रावधान कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं होते हैं।
- हमारे दृष्टिकोण में कॉर्पोरेशन के पास इसके आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है। हालांकि इसमें और अधिक सुधार और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।
 - हमने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा यथाविहित कंपनी (लेखांकन रिकॉर्डों की लागत) नियमावली, 2011 के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्डों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा यह मानना है कि कॉर्पोरेशन ने प्रथम द भटया विहित लागत रिकॉर्ड तैयार किए हैं। हालांकि हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत



रिकॉर्डों की विस्त त जांच नहीं की है कि वे परिशुद्ध अथवा पूर्ण है या नहीं ।

सांविधिक देयताओं के संदर्भ में :

(क) कॉर्पोरेशन के रिकॉर्डों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, रॉयल्टी, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर आदि सहित सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संगत प्राधिकारियों को नियमित रूप से किया गया है। हालांकि भविष्य निधि के मामले में वर्ष के दौरान देयताओं का भुगतान करने में विलंब हुआ है। निम्नलिखित अविवादित मामलों में तुलन पत्र की तारीख को भुगतान बकाया राशियों के रूप में है जो उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय हैं:

संविधि का स्वरूप	देयता का स्वरूप	राशि (लाख रु. में)
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	1800.50
निगमित कर	एनएएलए कर	51.13
निगमित कर	संपत्ति कर	542.31
सेवा कर	सेवा कर	2.29
उत्पाद और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	11.20
निगमित कर	रॉयल्टी	876.64
निगमित कर	प्रवेश कर	12.45
राज्य सरकार	खनन उपकर	86.34
आय कर	आयकर के विलंब से भुगतान पर ब्याज	0.28
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी	9.40
स्थानीय बिक्री कर	अधिभार / अतिरिक्त कर	0.16
उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951	सीमेंट पर उपकर	14.07

उपर्युक्त में से कुछ मामलों में उल्लिखित राशि में बकाया देयताओं के भुगतान न करने पर उनके ब्याज का प्रावधान शामिल किया गया है। संगत सूचना के अभाव में हम इस राशि की गणना करने में असमर्थ हैं कि ब्याज की कितनी राशि इसमें शामिल की गई है।

(ख) रिकॉर्डों के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर की कोई भी ऐसी बकाया राशि देय नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा न की गई हो:

विवरण	देयता का स्वरुप	कहां लंबित है?	राशि (लाख रु. में)
बिक्री कर	बिक्री कर	एपीएसटी अधिकरण /वित्त आयुक्त/ उपयुक्त पदाधिकारी	1884.37
उत्पाद शुल्क	क्लिंकर पर उत्पाद शुल्क	माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अपीलीय प्राधिकारी	1375.00
ईएसआई का अंशदान	संविदा श्रमिकों पर ईएसआई का अंशदान	माननीय बीआईएफआर और क्षेत्रीय निदेशक / ईएसआईसी	64.61
आयकर शास्ति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271(1) (ग) के अंतर्गत शास्ति	आयकर आयुक्त (अपील)	2961.22
संपत्ति कर	संपत्ति कर	स्थानीय पंचायत	23.35

- 10. कंपनी की संचित हानियां इसके निबल मूल्य के 50: से अधिक हैं। कॉर्पोरेशन को हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्त वर्ष के दौरान नकद हानियां हुई हैं। हालांकि कॉर्पोरेशन को तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई भी नकद हानि नहीं हुई है।
- 11. कॉर्पोरेशन ने ऋण के मूलधन और उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है। विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	राशि (लाख रु. में)	चूक की अवधि
अंतर निगमित ऋण	3700.00	12 वर्ष से अधिक
उपर्युक्त पर संचित ब्याज	6163.15	12 वर्ष से अधिक
भारत सरकार	15090.00	काफी लंबे समय से

CCI

- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के 12. अनुसार कॉर्पोरेशन ने शेयर, डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभृतियों को बंधक रख कर सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।
- चिट फंड, निधि फंड अथवा म्यूच्अल लाभ 13. फंड / सोसाइटियों के लिए लागू किसी विशेष संविधि के प्रावधान कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं होते हैं ।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना तथा 14. स्पष्टीकरणों के अनुसार कॉर्पोरेशन शेयर प्रतिभृतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेश के लिए कोई डीलर नहीं है।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना तथा 15. स्पष्टीकरणों के अनुसार कॉर्पोरेशन ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों / संगठनों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
- दिए गए स्पष्टीकरणों और कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड के 16. अनुसार इसने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।
- हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और कॉर्पोरेशान के तूलनपत्र 17. की विस्त त जांच के अनुसार हमारा मानना है कि

अल्पकालिक आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालिक निवेश के लिए और विलोमतः अर्थात दीर्घकालिक आधार पर ली गई निधियों का अल्पकालिक आधार पर निवेश करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कॉर्पोरेशन ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का आवंटन नहीं

18.

किया है।

- हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कॉर्पोरेशन ने 19. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।
- हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कॉर्पीरेशन ने 20. वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यु जारी कर कोई भी धनराशि अर्जित नहीं की है।
- हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कॉर्पीरेशन ने 21. लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी धोखाधडी नहीं पाई गई अथवा न ही इसकी रिपोर्ट की गई।

कृते एसपीजी एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीयन सं. 011217एन

> हस्ता.... एस पी गोयल भागीदार

सदस्यता सं.- 083131

स्थान : गुड़गांव

दिनांक: 03 जुलाई 2014



कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (3) के अनुसरण में निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों की दिनांक 30.07.2014 की रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर नीचे दिए गए है।

पैरा संख्या 4 (क से घ तथा छ, ज और ट से ढ)

वित्तीय विवरणी की नोट संख्या 30 में स्थिति से सम्बन्धित पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

पैरा संख्या 4 (ङ और च)

बी आई एफ आर द्वारा मंजूर शुदा योजना का पालन किया गया।

पैरा संख्या 4 (झ और ञ)

कम्पनी अधिनियम 1956 की परिशोधित अनुसूची VI के मार्गदर्शन का पालन किया गया।

पैरा संख्या 4 (च)

अप्रचालनरत ईकाईयों की परिसम्पत्तियों में गिरावट के संदर्भ में वित्तीय विवरणी के नोट संख्या 30 के बिन्दु संख्या 11 में स्पष्टीकरण किया गया है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ



मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

ह0 (सुपर्णा देव) प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II

स्थान : नई दिल्ली एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II दिनांक : 22.08.2014 नई दिल्ली



31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अर्न्तगत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स जैसे व्यावसायिक निकाय द्वारा विहित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुरूप स्वतंत्रा लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा करने के लिए उनकी दिनांक 3 जुलाई, 2014 की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा यह बताया गया है।

में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) के अन्तर्गत सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की हैं। पूरक लेखा परीक्षा का निष्पादन सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकरण संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों द्वारा की गई पूछताछ और कुछेक लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित हैं। मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मुझे ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा जोडी जा सके।

भारत के नियंत्रक एंव लेखा परीक्षक की ओर से

ਵ0

(सुपर्णा देव)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II

नई दिल्ली


स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 22.08.2014

	इकाईवार क	ार्य परिणाम	
			(र करोड़ों में)
	लेखानुसार	पूर्वावधि समायोजन	लाभ (+)
	लाभ (+) / हानि (–)	एवं असाधारण मदें	हानि (-)
बोकाजन			
2013-2014	(-)10.08	0.00	(-)10.08
2012-2013	2.10	0.00	2.10
2011-2012	(-)5.82	0.00	(-)5.82
राजबन			
2013-2014	(-)15.51	0.00	(-)15.51
2012-2013	(-)9.23	0.00	(-)9.23
2011-2012	(-)6.93	0.00	(-)6.93
तांदूर			
2013-2014	12.81	0.00	12.81
2012-2013	27.51	0.00	27.51
2011-2012	51.90	0.00	51.90
कारपोरेट आफिस			
2013-2014	0.00	0.00	0.00
2012-2013	0.00	0.00	0.00
2011-2012	0.00	0.00	0.00
योग प्रचालनेतर इकाईर	лĭ		
2013-2014	(-)12.78	0.00	(-)12.78
2012-2013	20.38	0.00	20.38
2011-2012	39.15	0.00	39.15
मांढर			
2013-2014	(-)1.37	0.10	(-)1.27
2012-2013	(-)1.43	6.38	4.95
2011-2012	(-)1.29	0.00	(-)1.29
कुरकुंटा			
2013-2014	(-)1.83	0.00	(-)1.83
2012-2013	(-)1.36	0.00	(-)1.36
2011-2012	(-)1.15	0.00	(-)1.15
नयागांव			
2013-2014	(-)1.28	0.00	(-)1.28
2012-2013	(-)1.38	0.00	(-)1.38
2011-2012	(-)1.25	0.00	(-)1.25





	इकाईवार कार्य प	रिणाम (जारी)	
			(र करोड़ों में)
इकाई	लेखानुसार लाभ (+)/हानि (-)	पूर्वावधि समायोजन एवं असाधारण मदें	लाभ (+) हानि (–)
अकलतारा			
2013-2014	(-) 0.79	4.07	1.49
2012-2013	(-)7.08	0.01	(-)7.07
2011-2012	(-)2.04	0.00	(-)2.04
चरखी दादरी			
2013-2014	(-) 1.53	0.00	(-) 1.53
2012-2013	0.32	1.17	1.49
2011-2012	(-)2.08	0.00	(-)2.08
अदिलाबाद			
2013-2014	(-) 5.78	38.88	33.10
2012-2013	(-)6.46	0.00	(-)6.46
2011-2012	(-)9.18	0.00	(-)9.18
नया गांव विस्तार (डी जी यू सहित)		
2013-2014	(-) 1.49	0.00	(-) 1.49
2012-2013	(-)2.44	0.00	(-)2.44
2011-2012	(-)2.73	0.00	(-)2.73
येरागुटला कंट्रोल	खाता		
2013-2014	0.00	0.00	0.00
2012-2013	4.02	(-)4.02	0.00
2011-2012	0.00	0.00	0.00
योग गैर प्रचालनेतर	र इकाईया		
2013-2014	(-) 14.07	43.05	28.98
2012-2013	(-)15.82	3.55	(-)12.27
2011-2012	(-)19.72	0.00	(-)19.72
कुल योग			
2013-2014	(-) 26.85	43.05	16.20
2012-2013	4.56	3.55	8.11
2011-2012	19.43	0.00	19.43



Mines view of Rajban Unit



Mines view of Tandur Unit





सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Ltd. (A Govt. of India Enterprise)